

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE
------------------	----------	-----------

समाज और नारी

(Society and Women)

समाज और नारी

(Society and Women)

मान चंद खंडेला



अरिहंत पब्लिशिंग हाउस
जयपुर

प्रकाशक

अरिहत पब्लिशिंग हाउस
9, राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने
जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
जयपुर-302 004 (भारत)
फोन 515192, 519808

प्रथम संस्करण 2000

© मान चंद ता

ISBN 81-7230-153-7

कम्प्यूटर सैटिंग

अतुल ऑन लाइन कम्प्यूटर्स
जयपुर-1

मुद्रक

अरोडा ऑफ़सेट प्रस
दिल्ली-110 092

अनुक्रमणिका

क्र.	शीर्षक	पेज नं.
1	भारत में बाल विवाह कमजोरों या मजबूतों	1
2	महिला की द्वितीय स्तरीय नागरिकता कारण क्या ?	6
3.	स्कूलों में दैनिक शिक्षा अनिवार्य व अव्याजहारिक	11
4.	महिलाओं पर बटते अन्यायों दोषों पुरुष कम, महिला ज्यादा	16
5.	भारतीय समाज में बहू का शोषण	21
6.	शादी हो जब माटी तब रुके बर्बादी	25
7.	नारी स्वतंत्रता . आंदोलन का यह कैसा स्वरूप ?	28
8.	नारी जाति का विनाश : क्या कुछ परिवर्तन पर्याप्त ?	33
9.	पति को पत्नी से बलात्कार का हक क्यों ?	37
10.	बाल दैनिक शोषण की समस्या	41
11.	स्त्री-पुरुष की समानता कितना दोग, कितना यथार्थ ?	45
12.	कानून के बावजूद महिला शोषण में वृद्धि . यह विरोधाभास क्यों?	49
13.	सामूहिक विवाह व्यवस्था प्रचार अधिक उपयोगिता कम	54
14.	सैक्स का व्यापार . कारण, क्या केवल पैसे की मार ?	59
15.	आधुनिकता की अंधी शैड . सबको बर्बादी की बस होड	64
16.	युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति : समाज कितना दोषी ?	69
17.	देश बचाओ नारे का यथार्थ . आह्वानकर्ताओं का स्वार्थ	74
18.	पश्चिम का मानवाधिकार सरोकार : हमें क्यों हो स्वाँकार	79
19.	साम्प्रदायिकता का बढ़ता जन्माद : आँखिर रुके कैसे ?	84
20.	भ्रष्टाचार का फैलाव : हल क्या ?	89

21	भारत में नानूत क्या ताडने क ललए वनते हे ?	94
22	पर्यावरण प्रदूषण से वचाय वडे कदम केवल उपाय	99
23	स्वदशा जागण जरुर है तो होता क्यों नहीं ?	104
24	प्रतिमाआ को दूध पलाने जालो की चाल त्रिकृत मानमिजता का बुरा हाल	109
25	गणाय नताआ क सम्मान क तरलरे कितन सम्मान क योग्य	114
26	पयजल की समस्या हल केवल वडे उपाय	119
27	वटता आजास समस्या आखिर हल क्या ?	123
28	अनियमितताआ का त्रिस्तार कितना दोषी सजागी व्यवहार ?	128
29	आरक्षण क्यों है समस्या, क्या है हल ?	133

भारत में बाल-विवाह : कमजोरी या मजबूरी

स्वीडन, अमेरिका, जर्मनी व ब्रिटेन जैसे पश्चिमी समाजों में विवाह संस्था तेजी से टप तोड़ रही है। यह आँकड़े हमारे सामाजिक मापदण्डों के आधार पर अविश्वसनीय ही हैं कि स्वीडन में विवाह पूर्व औसतन एक महिला दो से अधिक बार गर्भ धारण कर चुकी होती है, अमेरिका में बीस प्रतिशत स्त्री-पुरुष बिना विवाह के साथ-साथ रह रहे हैं, दो-तिहाई काली लड़कियाँ 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही गर्भवती हो जाती हैं, टॉन एजर्स (12 वर्ष से कम) माताओं की संख्या कई लाखों में है, तलाक होना अति सामान्य व स्वाभाविक घटना माना जाता है, जबकि दूसरी ओर भारतीय समाज में विवाह, उसके बाद बच्चे व कम से कम एक पुत्र प्राप्ति को अभी भी अति अनिवार्य माना जाता है। इतना ही नहीं बाल-विवाह को कानूनी रूप से प्रतिबंधित व दण्डनीय बना दिए जाने के बावजूद इस कुप्रथा पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका है। ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े समाजों व गरीब परिवारों में आखा तीज के दिन हजारों की संख्या में ऐसे-ऐसे बच्चों को विवाह के बंधन में बाँध दिया जाता है जिन्होंने चलना व बोलना तक नहीं सीखा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि यह सब कुछ पुलिस व सामान्य प्रशासन, समाज सुधारकों व जन प्रतिनिधियों की आँखों के सामने होता है। यह सही है कि कानून बना कर इस बुराई को रोकने का प्रयत्न उचित ही है, लेकिन सामाजिक जागरूकता व कानून की जानकारी बढ़ाये बिना कानून को यथावक शक्ति से लागू करने को व्यावहारिक नहीं बनाया जा सकता है। यह तथ्य ही चाहे कटु लेकिन है सत्य के करीब कि किसी भी सामाजिक बुराई का मुकाबला सार्थक रूप से कानून की तुलना में सामाजिक अभियानों, आंदोलनों व प्रचार से ही किया जा सकता है।

यह सब कैसे व कब किया जाए, यह जानने से पूर्व उन कारणों को जानना बहुत जरूरी है जो बाल-विवाह के लिए उत्तरदायी है। भारतीय संस्कृति एवं परम्परानुसार बालिका व नारी की यौन सम्बन्धी शुद्धता को बहुत महत्व दिया गया है, यही कारण है कि लड़की के रजस्वला होने से पूर्व ही विवाह कर दिए जाने को आम माता-पिता अपना नैतिक व धार्मिक दायित्व मानते हैं। यह वह समय होता है जिसके बाद ही उसकी शारीरिक बनावट में परिवर्तन व विकास होना प्रारम्भ होता है। यही कारण है कि तथाकथित शिक्षित, समझदार व विनम्र समाजों में भी लड़की की जादी अधिकांश मामलों में 18 साल से पहले ही करने की कोशिश की जाती है। जब लड़की छोटी होगी तो लड़का भी स्वाभाविक रूप से छोटा ही होगा। अपने बच्चों की जादी करना माता-पिता का नैतिक, धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व माने जाने के कारण उनकी मानसिकता इस दायित्व से यथाशीघ्र मुक्त होने की होती है, क्योंकि विगत में ग्रामीण, गरीब व पिछड़े समाजों में व्यक्ति के सामने अपने भौतिक अस्तित्व को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी समस्या रही है और मृत्यु से पूर्व ही माता-पिता इस दायित्व को पूर्ण करके ही ऊपर वाले के सामने प्रस्तुत होना चाहता है।

बाल-विवाह का दूमरा महत्वपूर्ण कारण व्याप्त गरीबी का है। गरीब व्यक्ति अपने बच्चों का बार-बार विवाह कर आर्थिक भार को बहन करने की स्थिति में नहीं होता है, इसलिए वह अपने अधिक से अधिक बच्चों का विवाह एक साथ करना चाहता है। यही कारण है कि अधिक बाल-विवाह सामूहिक रूप लिए होते हैं। उम्र समूह में चाचा-ताऊ, बहन व दूमेरे रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं। इस सामूहिक बाल-विवाह का समारोह एक ही होता है, जिससे वित्तीय भार प्रति विवाह बहुत ही न्यूनतम हो जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापारियों, बड़े मूषकों व साहूकारों जिनकी आर्थिक स्थिति तुलनान्तर रूप में अच्छी होती है अर्थात् जो अलग-अलग गादिया करने का भार बहन कर सकते हैं, वे यहाँ बाल-विवाह इतनी छोटी उम्र में नहीं करते हैं। आर्थिक स्थिति के कारण ही ऐसे परिवारों का नैतिक स्तर, सामान्य मोच व सामाजिक स्तर कुछ ऊँचा होता है। भारतीय समाज में विवाह के

अवसर पर रिश्तेदारों को नहीं बुलाने, समाज के लिए प्रीतिभोज का आयोजन नहीं करने, आंगंतुकों को भेंट आदि नहीं देने की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए इस दायित्व को हल्का करने का उपाय केवल बच्चों का सामूहिक विवाह करना ही रह जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में यह केवल कहावत ही नहीं बल्कि हकीकत है कि वहाँ अधिकांश परिवारों में जितने खाते हैं उतने ही कमाते हैं। सरकार वाल श्रमिकों को प्रतिबंधित करने के कितने ही कानून बनाए व पोषणाएं करे, लेकिन ग्रामीण परिवारों में अभी भी उनका महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। कृषि, पशु पालन व गृह कार्यों में उनका योगदान किसी भी रूप में वयस्कों से कम नहीं है। विवाह प्रथा से सामान्यतया इस योगदान पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि विवाह के बाद भी लड़की मुकलावा होने तक अपने पिता के यहाँ ही रहती है और पारिवारिक बजट में अपना योगदान बनाए रखती है। यही स्थिति लड़के की होती है। विवाह के बाद भी उसका व परिवार का अतिरिक्त दायित्व महत्वपूर्ण रूप में नहीं बढ़ता है। वास्तविकता तो यह है कि विवाह किसी भी रूप में विशेष घटना नहीं बन पाती है, बल्कि एक प्रकार से दायित्व मुक्ति विना लागत के ही हो जाती है, इसलिए विवाह नफे का सौदा समझा जाता है।

इस कटु यथार्थ के सम्बन्ध में तर्क-वितर्क करना बेकार है कि अभी भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों, स्थानीय राजनीतिज्ञों, निजी सेना के मालिकों, जाति विशेष के सरदारों व अन्य असामाजिक तत्वों से जवान बेटी की इज्जत बचाए रखना मुश्किल बना हुआ है। इस कारण से भी सामान्य व्यक्ति अपनी लड़की की शादी समय पूर्व करने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसकी निगरानी के लिए परिवार का कोई भी बड़ा व्यक्ति कमाई के चक्कर में घर पर रह ही नहीं पाता है। विशेष रूप से कृषि मजदूरों के परिवारों में यह समस्या अधिक गम्भीर है। दूसरी ओर सामाजिक यथार्थ यह है कि एक बार किसी लड़की की 'इज्जत' चले जाने के बाद उसकी शादी होना तो बहुत दूर की बात है, उसका व परिवार का रहना तक मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऐसे मजबूर परिवार दो बुराइयों में से शीघ्र विवाह की बुराई को ही अपनाते हैं।

इन कारणों के अलावा सामाजिक कुरीतियों, अशिक्षा, अस्वस्थ परम्पराओं, सामाजिक सुरक्षा व सुविधाओं का अभाव जैसे कारणों के प्रभाव को भी कम नहीं माना जा सकता है। अभी तक भी बड़े परिवार की महत्ता, एक से अधिक पुत्रों की प्राप्ति व विवाह की अनिवार्यता जैसे सामाजिक बंधनों से हम मुक्त नहीं हो सके हैं। सामान्यतया प्रत्येक पिता अपनी छोटी से छोटी उम्र में बड़े से बड़ा पुत्र प्राप्त कर लेना चाहता है, जिससे उसकी खेती, व्यापार या अन्य कार्यों में उसका हाथ बँटाने वाला मिल सके। इसी मानसिकता के कारण वह पुत्र के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का इन्तजार नहीं करना चाहता है। पुत्र को बुढ़ापे का सहारा माना जाता है और दीन-हीन परिवारों में बुढ़ापा, आर्थिक तंगी, मानसिक वेदना, अत्यधिक शारीरिक श्रम व सामाजिक उपेक्षा के कारण आता भी शीघ्र ही है।

बाल-विवाह के लिए उत्तरदायी इन कारणों का प्रतिकार करते हुए जब तक समाज में प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा, केवल कानून के डंडे से इस कुप्रथा पर प्रभावी नियंत्रण लगाना कठिन ही है। प्रश्न उठता है कि जब परिवार नियोजन, प्रौढ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा व उपभोक्ता आंदोलन का इतना प्रचार-प्रसार सरकारी स्तर पर किया जा सकता है तो कई सामाजिक बुराइयों की जड़ इस कुप्रथा के सम्बन्ध में ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? इसका यह अर्थ विल्कुल नहीं है कि कानून अपना काम करना बंद कर दे, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यकता जागरूकता बढ़ाने व रुढ़ियों तथा उसके कारणों पर प्रहार करने की है, इसके लिए आर्थिक व गैर-आर्थिक प्रोत्साहनों, दूरदर्शन व आकाशवाणी जैसे प्रसार माध्यमों की सहायता, नुकड नाटक, कानून की जानकारी के माहिल्य का वितरण, बाल श्रमिकों पर लगाए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन, सामाजिक सुरक्षा, उपायों का विस्तार, विवाह के पंजीकरण की अनिवार्यता, वयस्कों के सामूहिक विवाह समारोहों का विस्तार, आखा तीज जैसे विशेष अवसरों पर प्रशासनिक मशीनरी की उत्तरदायित्वपूर्ण मुस्तेदी की है। जरूरत इस मानसिकता को बदलने की है कि सालभर इसे हतोत्साहित करने के लिए कुछ न किया जाए न कि सिर्फ आखा तीज पर ही पूरी शक्ति बरतकर केवल प्रचार व अपनी फाइल बढ़िया बनाने के

लिए कुछ दिखावा कर दिया जाए। इस बुराई को वास्तव में ही यदि जड़-मूल से समाप्त करना है तो समाज, कानून, सरकार व प्रचार जैसे सभी स्तरों पर इसके मुकाबले के लिए निरन्तर व प्रभावी कार्यवाही करने की जरूरत है। दोषी को दण्डित करने के साथ ही ऐसे प्रयत्न करने की आवश्यकता है जिससे दोष ही न हो। इसके लिए सामाजिक परिवेश, ग्रामीणों, उनकी मजदूरियों व आर्थिक स्थिति को समझने की जरूरत है, जिससे दिखावे के अलावा कुछ सार्थक किया जा सके।

□□□

महिला की द्वितीय स्तरीय नागरिकता : कारण क्या ?

स्त्री-पुरुष समानता को लेकर पश्चिमी देशों में बीमैन लिव नाम से जो आंदोलन चला वह धीरे-धीरे समाप्त सा ही नहीं हो गया बल्कि स्वयं महिला संगठनों द्वारा ही इसका विरोध किया जाने लगा, क्योंकि इस आंदोलन से प्रभावित महिलाओं द्वारा ब्रा लेस पहनावा, शरीर प्रदर्शन की होड, सिगरेट व शराब का सेवन, नाइट क्लबों में धमाचौकड़ी, बच्चों से बढ़ती दूरियाँ, परिवारों की टूटन, अकेलेपन की पीड़ा, काम के दोहरे भार, एडस जैसी भयानक बीमारी के विस्तार व विवाह प्रथा के प्रति घटते आकर्षण के अलावा समाज को कुछ भी नहीं दिया जा सकता। नारी को स्वतंत्रता के नाम पर उसे मायूसी, भटकाव व खोज ही मिली। अब पश्चिमी नारियों का झुकाव पुनः परिवार योग, सादगी व धर्म की ओर होने लगा है, जबकि भारत में महिला संगठनों ने लिंगीय सचेदीकरण व समानता के प्रश्न को जोर-शोर से उठाने का आंदोलन चला रखा है। इसके लिए बिन्दी, माँग, मंगलसूत्र, पायजेब व विछुआ जैसे गहनों को पुष्प दामता का प्रतीक मानकर नकारने के आह्वान किए जा रहे हैं। पुष्पों से छाना बनाने, बच्चों को खिलाने, घर में झाड़ू लगाने की अपेक्षाएँ हो रही हैं। बलात्कार की शिकार अविवाहित व सतानहीन महिलाओं से हीन भावों को त्यागने की अपील की जा रही है। नाम से पहले कुमारी या श्रीमती लगाने, पति के सर नेम को अपनाने, स्कूलों आदि में बच्चों के नाम के साथ पिता का नाम लिखाने आदि को पुष्ट प्रधान समाज की विशेषता के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा करके प्रगतिशील बना जा सकता है व नर-नारी के भेद को समाप्त किया जा सकता है ? इस प्रश्न का

उत्तर यदि सकारात्मक है तो क्या ऐसी समानता महिला विकास में योगदान दे सकती है ? इन प्रश्नों पर चर्चा से पूर्व यह विचार करने की आवश्यकता है कि स्त्री-पुरुष असमानता वा समाज में नारी की द्वितीय श्रेणी के आखिर कारण क्या हैं ?

यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है कि भारतीय समाज में पुरुष की तुलना में नारी अधिक उत्पीड़ित, उपेक्षित, असहाय व कमजोर स्थिति में है तथा उसके किसी भी प्रकार के विकास, उठाव या प्रचार को पुरुष सहज रूप में नहीं ले पाता है। उसकी मानसिकता हर हालत में नारी से कुछ अधिक प्रभावी, शक्तिमान व प्रचारित होने की होती है। दोनों ही पक्षों की इस स्थिति के लिए कई ऐतिहासिक, गैरारिक्त, जैविक, धार्मिक व सामाजिक कारण उत्तरदायी हैं, जिन पर प्रहार करके ही पुरुष की संकीर्ण व स्वार्थी तथा नारी की भ्रष्ट व परम्परागत मानसिकता को बदला जा सकता है। प्रायः प्रत्येक भारतीय महाकाव्यों व धर्म ग्रन्थों में ऐसी समानता पर जोर ही नहीं दिया गया है, बल्कि नारी को दुर्गा, सरस्वती व लक्ष्मी के रूपों में शक्ति, विद्या व धन के क्षेत्रों में अग्रणी व अनुकरणीय भी माना है। इसी कारण से समाज में नारी नर की पूरक, नर-नारी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिये, घर का शृंगार नारी, पुरुष की सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं जैसी कहावतों का चलन हुआ है, लेकिन धीरे-धीरे नारी डोर, गंधार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी व नारी पाँव की जूती के रूप में पहचानी जाने लगी। अब जब महिला संगठनों व प्रगतिशील कहलाने वाली नारियों द्वारा लिंग भेद की समाप्ति व महिला विकास की बातें व प्रयत्न किए जाते हैं तो पुरुषों द्वारा उन्हें घर फोड़नी, कुलक्षणा, अत्याधुनिक, कुंठाग्रस्त व्यावसायिक समाज सेविका जैसे शब्दों से सम्बोधित कर दूसरे तरीकों से उपेक्षित व उत्पीड़ित करने का प्रयास किया जाता है। कोई भी पुरुष इस तरह की सभा, सम्मेलनों व संगोष्ठियों में चाहे कुछ भी सकारात्मक कहे, लेकिन निजी जीवन में मजदूरियों को छोड़कर परिवर्तन बहुत ही कम नजर आते हैं। आखिर क्यों ?

इस तथ्य को तथाकथित प्रगतिशील महिला पुरुष की तुलना में

शारीरिक रूप से कमजोर व सरल है। इसके लिए नारी शरीर की बनावट, जिस कारण से उसे मासिक धर्म व गर्भ धारण करने जैसी परेशानियाँ भुगतनी पड़ती है व अन्य जैविकी कारण उत्तरदायी है। इस निष्कर्ष की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि आज तक कोई भी ओलिम्पिक महिला खिलाड़ी रिकार्ड पुरुष खिलाड़ी की तुलना में श्रेष्ठ नहीं रह सकी है। चाहे प्रशिक्षण की सुविधाएँ दोनों को समान मिल रही हों। दूसरी ओर उसके कुछ अग इतने कोमल होते हैं कि एक औसत पुरुष से भी वह मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होती है, इसीलिए उसे अधिकार, एकान्त व भीड़-भाड़ वाले वातावरण से बचना पड़ता है। इसी कारण से उसे बचपन में पिता, जवानी में पति व बुढ़ापे में पुत्र का संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है तथा पति परमेश्वर, रॉड का सात छसम, पराया धन, दूधों नहाओ पूतों फलों जैसी कहावतों का सामना करना पड़ता है। इन सबसे मुक्ति तथा नारी को अचला में सवला, भाडक से दूढ़, निर्भर से स्वतंत्र तथा मोहक से महन्वपूर्ण बनाने के लिए उसके शरीर की पुष्ट व सर्गाठत बनाने के गर्भीर प्रयाम करने की आवश्यकता है। इस सदर्थ में जूडो-कराटे, योग जैसी विद्याओं के महत्व को बढ़ाना बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है, क्योंकि किसी भी पुण्य पर किसी भी नारी की शारीरिक श्रेष्ठता उसकी हीन भावना को तोड़ने का महन्वपूर्ण साधन हो सकता है।

पुरुष पर नारी की निर्भरता व उसके साथ किए जा रहे असमान व्यवहार का दूसरा महत्वपूर्ण कारण उसके आर्थिक स्वावलम्बन के कारण ही विवाह की अनिवार्यता, परिवार में ही जीने की मजबूरी, पुत्र की प्राप्ति, पुरुष के साथ ही आवागमन, सम्मान के लिए शीलवान रहने जैसी सीमाओं से नारी बाहर निकल रही है। यह अलग बात है कि इसी कारण से नारी में सिगरेट व शराब पीने, ड्रग्स का मजा करने, स्वच्छंद जीवन जीने जैसी बुराइयाँ तेजी से घर कर रही हैं। भारत में भी लिंगीय सबेदीकरण व महिला विकास के लिए नारी का आर्थिक स्वावलम्बन अति आवश्यक है। तब ही उससे स्वतंत्र चिंतन व निर्णय तथा पुरुष से सहज व सकारात्मक भागीदारी की आशा की जा सकती है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह महिलाओं को अधिक उत्पादक व लाभदायक व्यवसायों के लिए ऋण व अन्य सुविधाएँ प्रदान करे, जिससे वे

अपने परिवर्तन तथा अभिकर्ता की भूमिका अच्छी तरह से निभा सकें।

महिलाओं के पिछड़ेपन व पुरुष द्वारा उन पर दबदबे का एक महत्वपूर्ण कारण हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक परम्पराओं का दुरुपयुक्त होना भी है। अशिक्षा व अज्ञानता के कारण इन परम्पराओं व रीति-रिवाजों को तोड़ना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि सामाजिक दबाव के कारण नारी चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाती है और पुरुष चाहकर भी टूटती वेड़ियों के यथार्थ को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाता है। यदि करता भी है तो उसे भारी विरोध व उपहास का सामना करना पड़ता है। यह अनुभव लेखक को स्वयं राजधानी में लिंगीय सचेदीकरण एवं महिला विकास पर आयोजित सेमिनार में उस समय हुआ जब उसके द्वारा यह कहने पर कि उनकी पत्नी विन्दी, माँग, पायजेब, चूड़ियाँ व मंगलसूत्र आदि की वेड़ियों में जकड़ी हुई नहीं है तो एक सहभागी धीरे से बुदबुदाया कि देखो अपनी अपनी कमजोरियों को गिनाया जा रहा है। प्रश्न उठता है कि यह सब करने पर ही नारी शीलवान व सौभाग्यवती क्यों मानी जाती है? निश्चय ही इसलिए क्योंकि पुरुष चाहे वह अनकमाऊ, निखटू व अज्ञानी ही क्यों न हो उसका प्रभुत्व बना रहे। तब ही तो समाज में ऐसा कोई बंधन पुरुष का नहीं है। नारी के विधवा या पुत्रहीन रहने में उसका दोष कुछ भी नहीं है तो फिर इन्हें अपशुकुनी मानना कहाँ का न्याय है? जबकि लूले, लँगडे, काने, वाबन्ने, कँबारे, बेरोजगार, अनपढ़, पागल आदि सभी प्रकार के लड़कों को लड़कियों से बरीयता दी जाती है। धर्म की आड में ही नारी को सती, शालीन व निर्मल बनाया गया है तथा भगवान के नाम पर उसे दासी, ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मकुमारी बनने को मजबूर किया जाता है। शोषण के इन माध्यमों को शिक्षा के प्रसार से ही रोका जा सकता है।

कानून ने भी नारी को एक सीमा तक द्वितीय श्रेणी का दर्जा प्रदान किया है। सार्वजनिक कानून के नाम पर ही मुस्लिम महिलाएँ पर्दाप्रथा, व्यवसाय व खेल प्रतिबंध, तलाक, अनुबंध विवाह, पुरुष के लिए चार शादी की सीमा, एक ही कुल में विवाह, आधुनिक शिक्षा से दूरी जैसी बुराइयों से लबालब हैं। किसी भी बात पर कभी भी तलाक दे दिए जा सकने के कानून ने उन्हें पुरुष का गुलाम बनने को मजबूर कर रखा है। हिन्दू विवाह, उत्तराधिकार, संयुक्त

परिवार जैसे कानून भी पुरुषों के हितों की ओर ही ज्यादा झुके हुए हैं। एक सीमा तक ऐसी ही स्थिति बाकी सम्प्रदायों से सम्बन्धित कानूनों की है। इन सभी पुरुष प्रधान कानूनों पर काबिल व्यवस्था और उससे प्रभावित पुरुष की अहमूवादी प्रवृत्ति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इन परिस्थितियों में सार्थक परिवर्तन कानून में परिवर्तन करके ही लाए जा सकते हैं। नारी की इस परिस्थिति के लिए अशिक्षा, संगठन क्षमता व इच्छा शक्ति के अभाव, बड़े परिवार का महत्त्व, घर के कामों को गौण स्थान, दरिद्रता व सम्प्रेषण सुविधाओं का अभाव जैसे कारण भी उत्तरदायी रहे हैं। चिन्तन नहीं बल्कि चिन्ता योग्य बात यह है कि समाज में नारी को दूसरा दर्जा दिलवाने वाले इन कारणों को समय रहते पुरुष ने अपनी मानसिकता में परिवर्तन कर दूर नहीं किया तो भारत में भी महिला आंदोलन पश्चिम की तरह विकृत दिशा ले सकता है, जिसका नुकसान पुरुष, नारी व सम्पूर्ण समाज को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि प्रसार माध्यमों ने दुनिया को इतना छोटा बना दिया है कि अब केवल भारतीय नारी ही सती-सावित्री जैसा व्यवहार हर प्रकार से रावण पुरुषों के सामने नहीं करती रह सकती है।

स्कूलों में यौन शिक्षा : अनावश्यक व अव्यावहारिक

शिक्षा प्रत्येक देश के हर क्षेत्र के विकास का आधार होती है और शिक्षा व्यवस्था का आधार होती है स्कूली शिक्षा। इस क्षेत्र में भी हमारी गिनती सप्ताह के पिछड़े राष्ट्रों में ही है। इसका कारण स्कूल जाने वाले बच्चों के न्यून प्रतिशत के साथ ही व्यवस्था की विकृत, अव्यावहारिक व अनियोजित सोच भी है। स्कूली शिक्षा के सम्बन्ध में विगत वर्षों में जितने परिवर्तन हुए, आयोग बैठे और योजनाएँ बनीं उनमें से अधिकांश निष्फल ही साबित हुईं हैं। इसके उत्तरदायी कारण रहे हैं - अव्यावहारिकता, पश्चिमी प्रभाव व बोझिल पाठ्यक्रम। बच्चों के मानसिक स्तर की चिन्ता किए बिना शिक्षा के विकास के नाम पर उनके लिए पढ़ाने की सामग्री बढ़ाने का कोई मौका हम नहीं छोड़ते हैं। स्कूली शिक्षा में हम पता नहीं आर्ट एण्ड क्राफ्ट, कम्प्यूटर, प्राथमिक चिकित्सा, ट्राफिक नियम, नैतिक शिक्षा आदि क्या-क्या शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा भी समय-समय पर बच्चों को उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर शिक्षित करते रहते हैं। आजकल एड्स जैसी बीमारियों से मुकाबले के लिए स्कूलों में यौन शिक्षा दिए जाने पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। प्रश्न उठता है इसकी कोई सार्थकता है? इसी के साथ यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि क्या ऐसा करना व्यावहारिक है?

स्कूलों में यौन शिक्षा दिए जाने की सोच रखने वालों को कोई भी निर्णय लिए जाने से पूर्व भारत में सामाजिक परिवेश, चिन्तन के स्तर, शिक्षा

के टाँचे, शिक्षक व शिक्षार्थी की स्वाभाविक मनोवृत्ति, जन सामान्य की आर्थिक स्थिति व मध्यमे महन्वपूर्ण - देश की जम्हरत के सम्बन्ध में सम्भारता से विचार-विमर्ग करना चाहिए। प्रथम प्रश्न तो यह ही उठता है कि यौन शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को क्या व क्यों बताना चाहते हैं ? यौन शिक्षा की विषय वस्तु निम्न ही यौन अंगों, उनकी क्रियाओं व सम्बन्धों पर ही आधारित हो सकती है। इसका उद्देश्य बच्चों को यौन रोगों, भ्रान्तियों, सुरक्षित संभोग, प्रजनन प्रक्रिया आदि की वैज्ञानिक जानकारी देना ही हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में भी अव्यक्तों में फैल रही यौन प्रवृत्तियाँ, कुण्डल व अमर्षाएँ, स्वाभाविक होते-प्रतिरुद्ध सम्बन्धों, प्रेक्षाओं, कॉल गर्ल्स की बढ़ती संख्या, समलैंगिक सम्बन्धों की ओर बढ़ते-बढ़ते ग्ञान के समाज मुद्दों को चिन्तित कर दिया है, लेकिन इन सब समस्याओं का हल स्कूलों में यौन शिक्षा में खोजना जायत हमारी मध्यमे बड़ी भूल है। प्रथम तो इस विचार पर हँसी आए बिना नहीं रह सकती है कि जिस देश की आधी जनसंख्या अक्षर ज्ञान में वंचित हो, एक-तिहाई को दोनो मध्यम पेट भर खाना नहीं मिलता हो, तीन-चौथाई पोष्टिक आहार में वंचित हो तथा जहाँ शुद्ध पेयजल, छोटा-मोटा मकान, सामान्य मी चिकित्सा सुविधा व फिल्म देखना मिल जाने में बहुत बड़ी बात माना जाता हो वहाँ स्कूलों में औपचारिक यौन शिक्षा की सोचना बहुमध्यम, पीडित, पिठड़ी व उपेक्षित जनसंख्या के 'जले पर नमक छिड़कने' जैसा ही है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि देश की एक-दो प्रतिशत जनसंख्या के अग्रजों को बोलने, टी वी देखने, गराव पार्टियों में जाने व स्वच्छद जीवन का दोग करने से सम्पूर्ण देश पश्चिमी प्रभाव वाला नहीं हो जाता है। अमेरिका, फ्रांस व जर्मनी जैसे देशों का वातावरण हममें बिल्कुल भिन्न है। उन समाजों में साक्षरता शत-प्रतिशत, स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की समानता, स्त्रियों से मुक्तिपूर्ण और वर्जनारहित यौन सम्बन्धों की स्वाभाविकता है। मध्यमे महन्वपूर्ण है आधुनिकता वहाँ सोच में है, दिखाने में ही नहीं। ये जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं और जैसे है वैसे ही दिखना चाहते हैं, जबकि हमारे समाज में आज भी बच्चों व बुजुर्गों में, माता-पिता व बच्चों में, शिक्षक व शिक्षार्थी में, महिला व पुरुष में दूरियाँ बहुत हैं। स्कूल का विद्यार्थी शिक्षक में नर्क - विपरीत लिंग माथों से वार्तालाप व सैक्स

पर वातचीत करने की मानसिकता विकसित नहीं कर सका है। ऐसे वातावरण में यौन शिक्षा कैसे दी व ली जा सकती है ? हमारा समाज तो अभी सहशिक्षा, स्वतः विवाह, कंवारी कन्या के सजने-धजने को ही बरदारत नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालयों तक में लड़कियों के कामन रूम अलग होते हैं, लड़की अपनी माता से तो क्या भाभी तक से अपनी यौन सम्बंधी शंकाओं का समाधान नहीं कर सकती है। लड़के-लड़की की मित्रता स्वीकार्य है ही नहीं। ऐसे सामाजिक वातावरण में कच्ची उम्र के बच्चों को औपचारिक यौन शिक्षा दिया जाना विकृतियों को जन्म देना ही है।

हमारे यहाँ शैक्षणिक वातावरण का भी यह हाल है कि शिक्षकों में से अधिकांश कुण्ठाग्रस्त, रुढ़िवादी व सैक्स को घुराई मानने वाले ही हैं। वे अभी भी गुरु अर्थात् पूजनीय बने रहना चाहते हैं। उनसे अपनी उम्र से बहुत छोटे बच्चों से यौन शिक्षा के दौरान शिरन, वीर्य, अण्डकोष, बीजाण्ड, डिम्बवाहिनी, प्रसव, सहवास जैसे शब्दों के प्रयोग की आशा नहीं की जा सकती है, तो फिर सूचनापूर्ण व लाभदायक यौन शिक्षा की आशा कैसे की जा सकती है ? जिन स्कूलों में सह-शिक्षा है वहाँ तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है। ऐसा करने से लड़के-लड़कियों का कुछ सीखने के स्थान पर विकृत, उच्छृंखल व भोगी होने की सम्भावनाएं ही अधिक हैं, क्योंकि स्कूलों में तो क्या महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में भी लड़के-लड़कियों में स्वाभाविक सम्बन्ध विकसित नहीं हो सके हैं। इतना ही क्यों राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों (प्राध्यापकों) के सामने एड्स पर वीडियो फिल्म के माध्यम से जानकारी दी जाती है तो महिला अधिकारी कार्यशाला छोड़कर चली जाती हैं। ऐसे में छात्राओं से क्या आशा की जा सकती है ?

एक बार के लिए यह मान भी लिया जाए कि ऐसा करना सम्भव है तो दूसरा प्रश्न यह उठता है इसकी क्या वास्तव में ही जरूरत है। वास्तविकता तो यह है कि ऐसी शिक्षा की जरूरत तो वहाँ है जहाँ सैक्स को भोगना जीवन का लक्ष्य होता है, जबकि हमारी संस्कृति तो इससे दूर रहने पर जोर देती है और यदि ऐसा कुछ किया भी जाता है तो पूजा की तरह। जिस देश में विवाह को जन्मजन्मान्तर का बंधन मानने, पराई स्त्री को माँ या बहन की दृष्टि से देखने,

ब्रह्मचर्य व्रत को महाव्रत स्वीकार करने व कौमार्य को धरोहर समझने की परम्परा हो वहा सुरक्षित यौन क्रिया की शिक्षा देना एक साथ अतीत की परंपराओं, वर्तमान की मर्यादाओं व भविष्य की सभी सम्भावनाओं को धता बताना है। ऐसी शिक्षा स्कूल स्तर पर प्रारम्भ करने का सौधा मतलब होगा 'खाओ, पीओ व धौत्र करो' की पश्चिमी विकृति को हम समाज में विकसित करना चाह रहे हैं। इसका मतलब होगा कि हम वेश्यागमन, यौनाचार व अप्राकृतिक सम्बन्धों के विरुद्ध वातावरण बनाने की शिक्षा दे ही नहीं सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि ऐसी स्वीकारोक्ति चाहे वह परोक्ष ही सही हमारे समाज को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगी। आश्चर्य है जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा तक सबको नसीब न हो, स्कूलों में शिक्षक नदारद रहते हो, अधिकांश स्कूलों में खेल के मैदान, पीने के पानी, वाचनालय, ब्लैक बोर्ड, टाट-पट्टी तक की व्यवस्था नहीं हो, स्कूल की छत का मतलब आसमान हो व स्कूल में शिक्षण के अलावा सब कुछ होता हो वहाँ यौन शिक्षा दिए जाने की बातें की जाती है।

हमने स्कूलों में धार्मिक क्राफ्ट, फर्स्ट एड, रेडक्रास, ए सी.सी., एन सी सी, एन.एस.एस. जैसी शिक्षाएं देकर देख ली है। उसका परिणाम हमारे सामने है। किसी का कुछ भी लाभ तो हमें नहीं मिला है। तो फिर हम यौन शिक्षा के सम्बन्ध में ही इतने आशावादी क्यों हैं? और फिर जब सामान्य शिक्षा प्रौढों को देकर हम अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं तो उन्हें यौन शिक्षा के लायक क्यों नहीं समझते हैं। यह बौद्ध बेचारे बच्चों के माथे पर ही लादने का क्या मतलब है? बच्चों को तो सामान्य शिक्षा दिए जाने की ही हम व्यवस्था कर दे तो उन्हें अन्य किसी प्रकार की शिक्षा औपचारिक रूप से देने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें वास्तव में ही एड्स जैसी महामारियों से बचाव करना है तो यौन शिक्षा राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ट्रक ड्राइवरों, सुग्गी-शोपटियों के निवासियों, वेश्याओं, होस्टल में रहने वाली लड़कियों व महिलाओं, सिनेमा जगत में जुड़े कलाकारों, पॉस कॉलोनीयों के निवासियों आदि को दी जानी चाहिए। जो वास्तव में ही इसके ज्ञान से वंचित ही नहीं है, बल्कि इसकी आवश्यकता भी उन्हें बहुत ज्यादा है।

इसी संदर्भ में उन कारणों पर प्रहार करने की जरूरत भी है, जिनके कारण युवाओं में यौन विकृतियाँ व आकर्षण बढ़ता जा रहा है। ऐसा यदि किया जा सकता है तो यौन शिक्षा को औपचारिक रूप से दिए जाने की आवश्यकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके लिए पारम्परिक शिक्षा को ज्यादा तर्कपूर्ण, उपयोगी व व्यावहारिक बनाने की जरूरत है, जिससे युवाओं को अनावश्यक कुण्ठाओं से बचाया जा सके, साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता व उदारोक्ति के नाम पर बढ़ रही स्वच्छंदता पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता भी है। टेलीविजन के बढ़ते चैनल, सस्ते व उत्तेजक साहित्य, कामुकतापूर्ण फिल्मों व वीडियो कैसिटों, शराब की सहज उपलब्धि ने युवाओं को केवल सैवसी बना कर रख दिया है। उनके उन्माद को यौन शिक्षा से सहज व दोपरहित नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए तो इन सब कारणों को नियमित व नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इन सबके चलते यौन शिक्षा की औपचारिक कोशिश करना उन्हें त्रिशंकु बनाना ही होगा किसी लायक बनाना नहीं।

निष्कर्ष यह ही है कि भारतीय परिस्थितियों में स्कूलों में यौन शिक्षा दिया जाना सैद्धान्तिक दृष्टि से भले ही उचित ठहरा दिया जाए, लेकिन यह व्यावहारिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम मानसिक, सामाजिक व आम वातावरण किसी भी दृष्टि से इसके अनुरूप नहीं हैं, इसलिए अच्छा यही है कि 'चौबे जी छब्वे जी बनने चले थे व दुब्वे जी ही रह गए' की कहावत को हम चरितार्थ होने का मौका ही नहीं दें।

महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार : दोषी पुरुष कम, महिला ज्यादा

यौन शोषण व महिला उत्पीड़न का मामला जब भी अखबारों की सुर्खियों में स्थान प्राप्त करता है महिला समूहन उसके विरोध में आवाज उठाकर पुरुष प्रधान समाज को कोसने में कोई कसर उठा कर नहीं रखते हैं तथा सरकार दोषियों को उनकी किसी प्रकार की हैसियत का ह्याल किए बिना दण्डित करने का विश्वास दिलाती है। इसके बाद होता कुछ भी नहीं है। भटेडों की भैंवरी देवी व अजमेर फोटोकॉण्ड से सम्बन्धित मासूम वालाओ की इज्जत लूटने वालो को आज तक सजा नहीं होना तो यही बताता है। कितना दुखद यथार्थ है कि हमारे आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और एक सीमा तक सामाजिक दृष्टि से विकास के साथ ही समाज में बलात्कार, आत्महत्या व शोषण का आतक बढ़ता जा रहा है। महिलाओ को यौन शोषण, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न, दहेज व दुष्चरित्र जैसे बहानों के कारण होने वाले अत्याचार, रोज-रोज के झड़टो से मुक्ति के उद्देश्य से की जाने वाली आत्महत्याएँ जैसी घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ भारतीय सस्कृति एव सस्कारो के विपरीत तलाक, पति व पत्नी के अलग रहने, विवाहेतर सम्बन्ध और कुँआरे मातृत्व का चलन असामान्य दर से बढ़ रहा है, जिसका अधिकांश मामलों में नशरामक प्रभाव कहा जाता है। यह प्रभाव महिलाओ पर ही अधिक पड़ता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या इन सबके लिए पुरुष ही दोषी है? क्या केवल कानून बनाकर ऐसी समस्याओं का निदान किया जा सकता है ?

यह व्यग्य या कहावत भारत के सदभं में आज भी बहुत सही है कि

महिला की सबसे बड़ी शत्रु महिला ही होती है। सास व नन्द के अत्याचार आज भी भारतीय बहू की सबसे बड़ी समस्या है। अविवाहित तलाकगुदा व पति द्वारा छोड़ दी गई महिला पर पुरुष की कुट्टि हमेशा रहती है, लेकिन उसकी पीड़ा रुद्धियों व परम्पराओं में मिमटी, धोथे अहंकार में डूबी व बेवजह जलन की शिकार महिलाएं ही कई गुना बढ़ती रहती हैं। उनके तानों व बिना सिर पर की अफवाहों व गंकाओं से ऐसी महिलाओं का जीना हराम हो जाता है। किसी विवाहित जोड़े के सतान नहीं होने के लिए स्त्री व पुरुष समान रूप से दोषी होते हैं, लेकिन निपुत्री, वांझ व डायन जैसी गालियाँ महिला को ही सुननी पड़ती हैं। दुर्भाग्य से ऐसी वेदना भी महिलाओं द्वारा ही सर्वाधिक पहुँचाई जाती है। विधवा महिला को शादी, सगाई, मकान प्रवेश, जन्म दिवस, जलवा जैसे शुभ दिवसों पर शामिल नहीं होने देने, पति की मृत्यु के बाद कई दिनों तक एक कमरे में कोने में बैठने को बाध्य करने, उसके बाद रंगीन कपड़ों, बिन्दी, चूड़ियों, पायजेव, चुटकी आदि से वंचित करने के लिए महिला ही जिम्मेदार है। विधवा विवाह, बालिका शिक्षा तथा वयस्क होने पर ही विवाह को हतोत्साहित करने की अधिक दोषी महिलाएँ ही हैं। बालिका को पराये पर का धन व हर तरह से निकृष्ट पति को भी परमेश्वर मानने की प्रेरणा बल्कि बाध्यता व स्त्री घर की शोभा है की प्रेरणा महिलाओं द्वारा ही अधिक दी जाती है, जब किसी महिला के दिमाग में ऐसी भावना भर दी जाती है तो वह हर अत्याचार को सहन करने की आदत बना लेती है।

अलवर, अजमेर, जलगाँव या नाथद्वारा जैसे किसी भी सैक्स काण्ड को लिया जा सकता है, उसमें प्रत्यक्षत शोषण करने वाले तो पुरुष ही होते हैं, क्योंकि उनकी हरकतों को ही शोषण के अंतर्गत परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी किसी महिला की ही होती है। अलवर सैक्स काण्ड में ही मुख्य अभियुक्त सुरीला गर्मा है, जिस पर लगाए आरोपों के अनुसार वह लडाकियों को फँसाने के लिए अपने पति से ही अपनी ही उपस्थिति में उनका शील भंग करवाती थी। वैसे भी राजनेताओं, बड़े अफसरों व धनिकों को महिलाएँ किसी महिला के माध्यम से ही परोसी जाती हैं। इस काम के लिए सरकारी नियंत्रण में चलने वाले महिला सदन, बालिका

अत्याधुनिक दिखाई भर देने, विलासितापूर्ण जीवन जीने, बिना कुछ किए ही बहुत कुछ प्राप्त कर लेने की भावना रहती है उसे शोषण से मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सरकार, प्रशासन, कानून व्यवस्था या पुरुष को दोषी ठहराते रहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर प्रत्येक महिला दूसरी महिलाओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाने, उनके विकास में आड़े नहीं आने व सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रण कर ले तो परिस्थितियों में बहुत कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है।

□□□

भारतीय समाज में वहू का शोषण

संसार के सभी देशों की सरकारें अपनी जनता को शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संप्रदान अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है। भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाज में व्याप्त शोषण को खत्म करने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए। आपातकाल के दौरान बन्धुआ मजदूरी प्रथा की समाप्ति के लिए बड़े कानून बनाए गए, लेकिन आश्चर्य है कि पिछले सैकड़ों-हजारों सालों से भारत में “वहू” पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर सरकार का तो क्या किसी समाज सुधारक तक का ध्यान नहीं गया है।

भारत में समाज सुधारक केवल एक कार्य को व्यावहारिक रूप प्रदान कर दें तो हमारे समाज का आधारभूत परिवर्तन हो सकता है - वह है “सास-वहू” के रिश्ते को “माँ-बेटी” के रिश्ते में बदलना।

यदि हम हमारे समाज की गहराइयों में झाँकने की कोशिश करें तो बहुत ही दुःखदायी स्थिति सामने आती है। जो लड़की शादी से पहले अपने सुखमय भविष्य की कल्पनाओं में खोयी रहती है, शादी के बाद जब ससुराल में पहुँचती है तो उसे अपना ससुराल अपनी कल्पनाओं के अनुरूप ही लगता है। उसे लगता है जैसे हर व्यक्ति प्यार से उसे देख रहा है, उसकी सास मौहल्लेभर में वहू की अच्छाइयों का गुणगान करती नहीं थक रही है, उसका पति इस तरह का आभास दिलाता है कि वह उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह पाएगा। यहाँ वहू जब दूसरी बार ससुराल पहुँचती है तो उसे अपने सारे अरमान चक्रनाचूर होते नजर आते हैं। उसे अब वास्तविक सास का रूप देखने को मिलता है। दो

सदन या सरकारी सहायता प्राप्त महिलाओं से सम्बन्धित आवास गृह ज्यादा बटनाम है और एक सीमा तक उनकी बटनामी का पुख्ता कारण भी है, लेकिन हकीकत यह है कि उन सबकी अधीक्षिकाएँ प्रत्येक शत-प्रतिशत मामलों में महिलाएँ ही होती हैं। वहाँ होने वाले काले कारनामे उन प्रशासनिक महिला अधिकारियों की जानकारी में ही नहीं बल्कि अधिकांश मामलों में उनकी सहमति व देखरेख में होते हैं। भारत के हर छोटे-बड़े शहर ही नहीं बल्कि गाँवों तक में वेश्यालय चल रहे हैं। जहाँ अवोध बालिकाओं से लेकर प्रौढ़ महिलाएँ करोड़ों की सख्या में अनपे मन को मार कर तन का सौदा करती हैं। दुर्भाग्य से यह सब कुछ करवाने वाली बेरहम दिलवाली महिलाएँ ही होती हैं। ब्यूटी पार्लर, हॉवी सेन्टर्स, नृत्य शाला, जिमनेजियम, फैशन डिजाइन केन्द्र आदि की आड में आजकल सम्भ्रान्त कहे जाने वाले घरों की लड़कियाँ व महिलाएँ लाखों की संख्या में गर्म माँस के भेडियों तक पहुँच रही हैं, लेकिन उन्हें वहाँ तक पहुँचाने वाली कौन होती है? दुर्भाग्य से कोई न कोई महिला ही। बम्बई, कलकत्ता व मद्रास जैसे बड़े शहरों में तो गर्म माँस की व्यापारी महिलाएँ उन पर ऐसी शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ाएँ पहुँचाती हैं कि क्रूर पुरुष भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकता है। दस वर्ष से भी कम उम्र की बालाओ, तपेदिक व एड्स जैसे भयकर रोगों की पीड़ितों, कोख में पाल रही बच्चे की माताओं तथा श्मशान की इतजार में बैठी वृद्धाओं को इस कार्य के लिए मजबूर करना किसी भी अत्याचार से ज्यादा ही है।

राजनीतिक दलों के महिला प्रकोष्ठों, महिला जागृति व उत्पीडन निवारण के काम में लगे सरकारी सहायता के भूखे महिला संगठनों, निजी रूप से स्वदेशी या विदेशी सहायता से चल रहे विभिन्न प्रकार के आश्रम स्थलों के कार्यकलापों का वारीकी से अध्ययन किया जाए तो कुछ अपवादों को छोड़कर सभी की भूमिका सदिग्ध ही नजर आती है। ऐसी ही धारणा कार्यशील महिलाओं व छात्रा होस्टलों के सम्बन्ध में है, जहाँ का सारा नियंत्रण महिलाओं के ही हाथ में होता है। दुर्भाग्य से ऐसी धारणाएँ सभी मामलों में आधारहीन नहीं हैं। इस अवधारणा को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है कि महिलाओं की महिलाओं द्वारा व महिलाओं के लिए कही जाने वाली ऐसी संस्थाओं या

संगठनों द्वारा ही महिलाओं का हर प्रकार का शोषण अधिक होता है। अन्तर केवल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होने का है। पुरुष पर सामान्यतया यह आरोप लगाया जाता है कि वह महिला के आगे बढ़ने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन यह लांछन तो महिलाओं पर भी उतना ही सही उतरता है। कंटु यथार्थ तो यह है कि अंग्रेजी बोलना, आधुनिक पोशाक पहन व लच्छेदार भाषा में भाषण देने वाली हर तरह से सम्पन्न महिलाएँ समय गुजारने या अपने राजनीतिक भविष्य को सुधारने के लिए कुछ करती सी नजर आ रही है। उनका वास्तविक उद्देश्य पीडित, पिछड़ी, अशिक्षित, गरीब व रूढ़ियों से ग्रस्त महिलाओं का उद्धार करना कम व समाचार माध्यमों में अपने नाम को उछालना अधिक होता है। तब ही तो सरकार द्वारा ऐसे संगठनों को अरबों रुपए वार्षिक की सहायता दिए जाने के बाद भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के समाचार अधिक से अधिक आते जा रहे हैं। एक तरह से ऐसी महिलाओं को दूत बनाकर कुछ वर्ग की महिलाओं ने अपने लिए बहुत कुछ प्राप्त करने का साधन बना लिया है। यह अनैतिकता व अवांछनीय कृत्य नहीं तो और क्या है ?

यौन शोषण व अन्य प्रकार के उत्पीड़नों के विरुद्ध आवाज उठाने, प्रदर्शनों, संगोष्ठियों व जुलूसों का आयोजन करने वाली आधुनिक महिलाओं को यह पता होना चाहिए कि सम्भ्रांत, पढ़ी-लिखी व उच्च सोसायटी की महिलाएँ विभिन्न कारणों से ऐसा शोषण व उत्पीड़न अति उत्साह या अपनी उच्चाकांक्षाओं के कारण स्वेच्छा से या विना वजह के दबाव के कारण करवाती हैं। नौकरी में तुरन्त व अनुचित तरीकों से पदोन्नति प्राप्त करने, विना कुछ किए पी.एचडी. पाने, किसी पद पर चयन करवाने, चुनावों में पार्टी टिकट या संगठन में पद प्राप्त करने, अपनी सुविधा की जगह तबादला करवाने जैसे कार्यों के लिए चाहे कुछ ही सही लेकिन महिलाएँ ही तो अनुचित तरह से अपने को समर्पित करती हैं। अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा करने, आधुनिक सोसायटी में स्थान बनाने, सिनेमा सीरियल एवं विज्ञापन फिल्म में जगह पाने, विलासिताओं से पूर्ण वस्तुओं तक पहुँच बनाने के लिए भी तो महिलाएँ स्वैच्छिक रूप से ही कुछ अन्यथा होने देती हैं। इन सबके लिए कोई और नहीं केवल महिला जिम्मेदार होती है। जब तक उसमें समय से बहुत आगे बढ़ने,

अत्याधुनिक दिखाई भर देने, तिलासितापूर्ण जीवन जीने, विना कुछ किए ही बहुत कुछ प्राप्त कर लेने की भावना रहती है उसे शोषण से मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सरकार, प्रशासन, कानून व्यवस्था या पुरुष को दोषी ठहराते रहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर प्रत्येक महिला दूसरी महिलाओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाने, उनके विकास में आड़े नहीं आने व सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रण कर ले तो परिस्थितियों में बहुत कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है।

□□□

भारतीय समाज में बहू का शोषण

संसार के सभी देशों की सरकारें अपनी जनता को शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है। भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाज में व्याप्त शोषण को खत्म करने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए। आपातकाल के दौरान बन्धुआ मजदूरी प्रथा की समाप्ति के लिए बड़े कानून बनाए गए, लेकिन आश्चर्य है कि पिछले सौकड़ों-हजारों सालों से भारत में “बहू” पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर सरकार का तो क्या किसी समाज सुधारक तक का ध्यान नहीं गया है।

भारत में समाज सुधारक केवल एक कार्य को व्यावहारिक रूप प्रदान कर दें तो हमारे समाज का आधारभूत परिवर्तन हो सकता है - यह है “सास-बहू” के रिश्ते को “माँ-बेटी” के रिश्ते में बदलना।

यदि हम हमारे समाज की गहराइयों में झाँकने की कोशिश करें तो बहुत ही दुःखदायी स्थिति सामने आती है। जो लड़की शादी से पहले अपने सुखमय भविष्य की कल्पनाओं में खोयी रहती है, शादी के बाद जब ससुराल में पहुँचती है तो उसे अपना ससुराल अपनी कल्पनाओं के अनुरूप ही लगता है। उसे लगता है जैसे हर व्यक्ति प्यार से उसे देख रहा है, उसकी सास मौहल्लेभर में बहू की अच्छाइयों का गुणगान करती नहीं थक रही है, उसका पति इस तरह का आभास दिलाता है कि वह उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह पाएगा। वहीं बहू जब दूसरी बार ससुराल पहुँचती है तो उसे अपने सारे अरमान चकनाचूर होते नजर आते हैं। उसे अब वास्तविक सास का रूप देखने को मिलता है। दो

पीढियों में संपर्क का प्रारम्भ वहीं से होता है। वर्तमान भारतीय हिन्दू समाज में उसी सास को "वास्तविक सास" का दर्जा मिलता है जो अपनी बहू को उन सब कार्यों को करने के लिए मजबूर कर दे जिन्हें वह करना नहीं चाहती है।

भारत में (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) बहू की सामान्य दिनचर्या में महत्वपूर्ण कार्य यह है - प्रातः परिवार के सब सदस्यों से पहले उठना, पूरे परिवार के सदस्यों के लिए पाना बनाना, बच्चों व सास के कपड़े धोना, सास व बच्चों को नहलाना, दिन में या रात में मोहनले या किसी भी स्थान से किसी बड़ी-बूढ़ी के आने पर उसके पाँवों में पडना, लम्बे घूँघट में रहना, किसी से न बोलना व रात को सबके सोने के बाद अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करना। शायद बन्धक मजदूर से भी इतने सारे कार्य इस प्रकार की परिस्थितियों में नहीं कराए जाते हैं, लेकिन इस बेचारी बहू की दयनीय दशाओं की ओर कौन ध्यान दे, क्योंकि ऐसा करने पर भी कोई राजनीतिक लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है।

जिठम्यना देखिये। जिस पति के लिए जिसने पिछले इतने वर्ष इन्तजार में गुजार दिए हैं, उसे वह रात के 11 बजे बाद ही देख सकती है। यदि कोई बहू दिन में 5 मिनट के लिए अपने परमेश्वर से मिलने की गलती कर लेती है तो उसे सास के तानों का सामना करने को तैयार हो जाना होता है। भारतीय समाज में श्रेष्ठ बहू वह है जो अपने पति से कम से कम मिले, किसी परिचित या अपरिचित से बात न करे, दिनभर बेल या गधे की तरह घर का कार्य करे, अपने शरीर का विल्कुल ध्यान न रखे व हर एक के द्वारा कोसे जाने पर भी अपने पीहर वालों के बारे में एक शब्द का भी जवाब न दे व सबसे अन्त में अपने किमी भी कष्ट का पता अपने परमेश्वर को भी न होने दे। प्रश्न उठता है इस प्रकार की श्रेष्ठता के मापदण्ड किसने निर्धारित किए हैं? उसी रूढ़िवादी समाज ने जिसमें कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने बराबर होता देखना नहीं चाहता है - वह समानता चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक, चाहे सामाजिक या चाहे धार्मिक। यही कारण है कि बहू के द्वारा किमी भी बात का विरोध किए जाने पर उसे ऐसा प्रत्युत्तर मिलता है कि उसका साहम हमेशा के लिए उत्तम हा जाता है व उसकी आत्मा हर प्रकार के अत्याचारों को सहने को

मजबूर हो जाती है।

शहरी क्षेत्रों में बहुओं की दशा भी कुछ विज्ञेय भिन्न नहीं है। कहने को तो यह कहा जाता है कि अशिक्षित व्यक्ति ही शोषण का शिकार अधिक होता है, लेकिन शहरों की शिक्षित बहुओं की दशा को यदि हम देखें तो यह कथन पूर्णतया असत्य साबित हो जाता है। बड़े-बड़े शहरों में हजारों की संख्या में शोषण का शिकार इस प्रकार की बहुएँ मिल जाएँगी जो शिक्षित होते हुए भी उसी प्रकार शोषित हैं। वे समाज के डर के कारण सब कुछ सहन कर लेती हैं। कहते हैं भारत में स्त्रियों का शोषण उनके आर्थिक परावलम्बन के कारण है, लेकिन उन बहुओं को हम क्या कहेंगे जो प्रतिदिन आदमी की ही तरह दफ्तर में 8 घंटे काम करने के बाद भी अपने घर के उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से उठाने पर मजबूर हों। हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी है जिसमें बहू के होते घर का काम करना सास अपनी तौहीन समझती है। आश्चर्य तब होता है कि ऐसा व्यवहार करने वाली सास ही अपनी लडकी के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता देखकर आग-बवूला हो जाती है व अपनी लडकी की सास से ऐसी अपेक्षा रखती है कि वह उसे पुत्री जैसा ही प्रेम व अपनत्व दे।

हमारे देश में पारिवारिक कुंठाओं को जन्म देने में सास के इस रिश्ते का बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रत्येक सास केवल अपने अहम् की सन्तुष्टि के लिए पूरे परिवार में दुष्टों को जन्म देती है। एक पति जब कभी भी किसी भी बात के लिए अपनी पत्नी का पक्ष लेने की हिम्मत करता है तो उसे भी सामाजिक दृष्टि से परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपनी माँ से ही इस प्रकार के ताने सुनने को मिलते हैं कि "जिस माता ने इसे पाल-पोष कर बड़ा किया उसे वह आज बिल्कुल भूल गया व जिस स्त्री के साथ इसका सम्बन्ध कुछ दिनों का है वह इसके लिए सब कुछ हो गई, कैसी जादूगरनी हमारे परिवार में आई? इस प्रकार उसी सास के द्वारा पारिवारिक व सामाजिक वातावरण इस प्रकार का बना दिया जाता है जिससे एक पति चाहकर भी अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार पति-पत्नी के प्रेम पूर्ण सम्बन्धों में दूरियाँ बढ़ना प्रारम्भ हो जाती हैं व उनके वैवाहिक जीवन के आकर्षण खत्म हो जाते हैं। अब वे यांत्रिक प्राणियों की तरह जीने के लिए

मजदूर हो जाते हैं।

उस बहू की दयनीय दशा का आभास किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकता, जिसने शादी के तीन-चार साल के अन्दर किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। चाहे इसके लिए वह किसी भी रूप में दोषी न हो। माता समान सास से उसे बाँझ, कलमूँही जैसे असहनीय शब्दों को रात-दिन सुनना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में सास पूरे मौहल्ले व गाँव में अपनी बहू की बुराइयों का प्रचार करना व हर गलत व सही कार्य के लिए उसे दोष देकर मानसिक वेदना पहुँचाना अपना अधिकार समझती है। इस प्रकार की बहू की जिन्दगी उस बन्धुआ मजदूर से भी बढतर होती है, जिसकी मुक्ति के लिए सरकार प्रयत्नशील है, लेकिन भारत के हर घर में उपलब्ध इन बन्धुआ मजदूरों की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इस प्रकार की वेदनापूर्ण व असहनीय परिस्थितियों में जब बहू अपना मानसिक सन्तुलन खो देती है तो ऐसा प्रचार किया जाता है कि उसे ऊपर का (भूत-प्रेत) कुछ हो गया है व इस चक्कर में वास्तव में उसे पागल बना दिया जाता है।

यह तथ्य हो सकता है कि अपने शरीर की गलत बनावट के कारण बाँझपन का दोष उसमें हो, लेकिन इस कार्य के लिए बहू को कैसे दोषी बताया जा सकता है कि उसकी कोख से लडके का जन्म नहीं होता है? पुत्रहीन बहू को निपुत्री, मनहूस आदि कई विशेषणों से सम्बोधित किया जाता है व ऐसी स्त्री के खाने-पीने, हँसने, किसी से बोलने आदि सब ही अधिकार छीन लिए जाते हैं। सामाजिक परिस्थितियों के कारण उस बहू का पति परमेश्वर भी उसे ही दोषी बताकर उसके दुखों में वृद्धि करता है।

दिखावे के समाज सुधार के कार्य को छोड़कर वास्तविक कार्यों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता वर्तमान समाज सुधारकों के लिए है। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति इस बुराई को दूर करने में अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि यह बुराई प्रायः प्रत्येक घर में किसी न किसी रूप में अवश्य मिल जाती है।

शादी हो जब सादी : तब रुके बर्वादी

हमारे देश का ऐसा कोई राजनेता, राजनीतिवाज या समाज सुधारक नहीं है, जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त बुराइयों या रूढियों का विरोध भाषणों में न करता हो। ऐसी ही एक बुराई है शादी की भव्यता। शादी को सादी बनाने का प्रवचन हमें हर कहीं सुनने को मिल जाएगा, लेकिन प्रवचक के पर जब शादी होती है तो वह कितनी सादी होती है इससे हम सब पूर्ण रूप से परिचित हैं। किसी सभा, समारोह व आयोजन के अवसर पर भाषण देने का अवसर किसी राजनीतिज्ञ या धनी व्यक्ति को ही मिल सकता है। वह धनी व्यक्ति अपने घर में शादी होने पर पैसे की बर्वादी व धन का खुला प्रदर्शन जिस प्रकार करता है उससे स्पष्ट हो जाता है कि उसके पास पैसा गाढ़े पर्साने की कमाई का नहीं है। पैसा यदि पर्साने के बल पर कमाया गया है तो एक वारात के आगे दो या तीन बैंड नहीं हो सकते, हजारों रुपयों की आतिशवाजी नहीं की जा सकती, कई हजार रुपयों के मूल्य का इत्र वारातियों पर नहीं छिड़का जा सकता है। दस-बीस घोड़े या पाँच-सात हाथी नहीं मँगाए जा सकते, हजारों वारातियों का स्वागत काजू व मुनबका की धैलियाँ भेंट करके नहीं किया जा सकता। ऐसा करना किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला नहीं हो सकता। इससे पूरा समाज प्रभावित होता है। उसी समाज में एक गरीब व्यक्ति भी रहता है, जिसके पास भरपेट खाने को भी नहीं है। यदि वह अपनी लडकी या लडके की शादी सादगी से करना चाहता है तो समाज उसे ऐसा करने नहीं देता है। उसे ताने सुनने पडते हैं कि समाज का खाया है तो खिलाना भी पडेगा, धन दवा कर दीवाला बता रहा है, वह वारात क्या एक शवयात्रा लग रही थी

आदि। इन्हीं तानों के डर से बेचारा गरीब और गरीब व पीड़ित होने को मजबूर हो जाता है। ऋण लेता है व तथाकथित धनिकों की "दादागिरी" स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाता है।

प्रश्न उठता है - शादी को इतना वैभवपूर्ण बनाने का लाभ क्या है ? धनिकों के लिए तो इसका लाभ है। उन व्यक्तियों की व्यापारिक साख तो शादी में खर्च किए गए पैसे पर ही निर्भर करता है, इसीलिए एक धनी के लिए तो वैभवपूर्ण शादी "बर्बादी" के साथ ही साथ "विनियोग" भी हो जाती है, लेकिन इन धनिकों के चक्कर में जब एक सामान्य नौकरोंपेगा व्यक्ति फँस जाता है तो मन को दुःख व खर्च करने वाले पर तरस आता है।

धन के नगे में मदहोश व्यक्तियों को तो छोड़िये, लेकिन समाज के सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी लड़की या लड़के की शादी में बेकार की सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अपने पेट को काटकर जमा किए गए पैसे को गाजे-वाजे, आतिशवाजी, हाथी-घांटा या सैकड़ों व्यक्तियों के जमण पर खर्च नहीं करे। उस पैसे को जो वर व वधू पक्ष के द्वारा "बर्बाद" किया जाता, वर व वधू के नाम से बैंक में जमा करवा दे, जिससे उनका भविष्य कुछ निश्चित बनाया जा सके। इस परम्पराशादी समाज में लड़की की कुँड इज्जत हो सके व लड़की के भाजी अरमानों को पूरा करने की ताकत लड़के में आ सके, लेकिन परेशानी का कारण यह है कि हमारे समाज में तथाकथित बड़े लोग ऐसा नहीं होने देना चाहते। ऐसा होने से उनके अस्तित्व को सीधा खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों का अस्तित्व तो समाज में अधिकतर लोगों के गरीब बने रहने पर ही बना रह सकता है। ऐसी परिस्थितियों में तथाकथित बड़े लोगों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए गरीबों की बर्बादी हो जाने की अपनी परम्परा को अब त्यागना होगा व अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए शादी को शादी बनाना ही होगा। हो सकता है कि ऐसी शादी समाज के मण्डारों की आँखों में कुछ समय के लिए खटके, लेकिन वर-वधू की जिन्दगी को बनाने में सहायक होगी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है। फिर हम चाहते भी तो वर-वधू की जिन्दगी को बनाना ही है। परम्परागत शादी के अमर पर हजारों व्यक्तियों की भीड़ आखिर किसलिए जमा होती

है? बर-बधू के भावों जीवन में खुशहाली की कामना करने के लिए ही तो। जब हर एक की मनोकामना पूरी हो रही है तो किसी को भी ऐसी सादी शादी से विरोध आखिर क्यों होगा? क्यों कोई ऐसी शादी से दुःखी होगा? फिर भी यदि होता है तो उसकी चिन्ता गरीब माता-पिता को नहीं करनी चाहिए। किसी भी माता-पिता का प्रथम कर्तव्य अपने पुत्र या पुत्री के लिए बनता है, समाज के लिए नहीं। फिर ऐसे समाज के प्रति अपने कर्तव्य की चिन्ता आखिर क्यों की जानी चाहिए जो दुःखी को और अधिक दुःखी देखकर प्रसन्न होता है?

शादी सादगीपूर्ण हो, यही हर व्यक्ति की भावना, कामना व क्रिया होनी चाहिए, तब ही बर-बधू को हम सच्चा आशीर्ष दे सकते हैं।

□□□

नारी स्वतंत्रता : आंदोलन का यह कैसा स्वरूप ?

एक राजस्थानी कहावत है कि 'सत्तर साल में तो कूल्ही (जहाँ गाँव भर का झूठा डाला जाता है) के भी दिन फिरते हैं। इसके लिए महिलाओं के सम्बन्ध में चाहे इतनी ही दशाब्दियाँ लगी हों, लेकिन लगता है अब महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन अवश्यम्भावी सा हो गया है। पचासवीं राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण, राज व्यवस्था में उनकी बढ़ती भूमिका, महिला मगडनों के फैलते जा रहे प्रभाव, महिला हितों के सम्बन्ध में पिछले दिनों आए कानूनी बदलाव, पुलिस व सामान्य प्रशासन में बढ़ती जा रही उनकी भागीदारी आर सबसे महत्वपूर्ण विचारों में आ रहे व्यापक बदलाव से तो कुछ ऐसा ही लगता है। इस बदलाव के लिए संचार माधमों, साक्षरता के प्रतिशत में हो रही वृद्धि, स्टा, एम व जी टीवी जैसे प्रसार माध्यमों, भौतिकवादी संस्कृति, सन्त परिवारों की टूटन, कार्यशील महिलाओं की बढ़ती संख्या, महिला मतों को आकर्षित करने की राजनैतिक दलों की मजबूरी, नय-धनादय एव उच्च-मध्यम वर्ग परिवारों की बढ़ती संख्या, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी महिलाओं की राजनैतिक हेसिबत जैसे कई कारण उत्तरदायी रहे हैं।

आज ऊपरी तौर पर समाज में महिलाओं का स्थान बनता सा नजर आने लगा है। आज पर्दाप्रथा, विधवा उत्पीड़न, स्त्री निरक्षरता, कौमार्यता, वालिका विवाह, समाज व परिवार में उपेक्षा, बेमेल विवाह, विधवा विवाह निषेध जैसी समस्याएँ उतनी भयानक नहीं रही हैं। एकल परिवार व्यवस्था ने महिलाओं को परिवार व समाज के समित दायरे से निकाला है। परिवर्तन की इस संचार माध्यमों से प्रामाण क्षेत्रों तक भी पहुँची है। अब हम तैयारी करना

द्वारा पायल व चुटकी पहनने, शृंगार करने व फिल्मों की वाते करने, भावी पति के सम्बन्ध में विचार रखने, समुद्र व जेठ से बतियाने, सबके सामने अपने ही पति से वाते करने को स्वीकार करने लगे है। मोहल्ले में किसी पुरुष का सामना होते ही तुरन्त वहाँ बैठ जाने, बालक - देवर से भी घूँघट निकालने, वृद्ध पुरुष के सामने से निकलते हुए चम्पलें हाथ में लेकर चलने, पति की मृत्यु के बाद मर्दानों कमरों के एक ही कोने में बैठे रहने, निस्सतान औरत को शुभ कार्य में नहीं बुलाने, पिता की उग्र के पुरुष से शादी को मजबूर होने, कन्या पैदा होते ही उसे मार देने जैसी पीडादायक घटनाएँ तो अब अपवादस्वरूप ही होती हैं।

परिवार में उसकी निर्णय क्षमता, अभिव्यक्ति के अवसरों, बच्चों पर अधिकार व प्रश्न करने की क्षमता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। एक आम पिता लडकी के साथ भेदभाव करने, उसे पढाई से वंचित करने, पैसे लेकर शादी करने, सार्वजनिक रूप से पिटाई करने, लडकी पैदा होने पर मातम मनाने, डंडे के जोर से बेमेल विवाह करने में झिझकने व हीनभावना महसूस करने लगा है। यही हालत कामचोर, शराबी व अनकमाऊ पति की भी है।

कामकाजी महिलाएँ अब अपने सहकर्मियों को घर बुलाने, कमाई को अपने पास रखने, पति को गृह कार्य में सहभागी बनाने, प्रातः देरी से उठने, इच्छा न होने पर काम से मना कर देने, पति के बिना सभा - सम्मेलनों में जाने, यूनियनवाजी करने सहित कई स्वतंत्र निर्णय करने की हकदार होती जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में महिला द्वारा स्कूटर या कार चलाना अब कौतूहल का विषय नहीं रहा है। कामकाजी महिलाएँ अकेली रहने व यात्रा तक करने लगी हैं। प्रश्न उठता है कि क्या इसको ही हम महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन मान लें ? यदि यही परिवर्तन है तो क्या इससे संतुष्ट हुआ जा सकता है ? इस विषय पर विवेचना करने से पूर्व उन 'परिवर्तनों' की ओर भी दृष्टिपात करने की आवश्यकता है जो नारी स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर हो रहे हैं व पहले से अधिक नारकीय जीवन की परिस्थितियाँ पैदा कर रहे हैं।

नारी स्वतंत्र होने के स्थान पर स्वच्छंद और इसी कारण पहले से अधिक घुटन व भ्रमित महसूस कर रही है। अधिक आधुनिक प्रगतिवादी व स्वतंत्र

कही जाने वाली महिलाएँ सिगरेट व शराब पीने, नाइट क्लबों में जाने, अविवाहित रहने, जरा सी बात पर विवाह विच्छेद कर लेने, बच्चों से परहेज करने, शारीरिक श्रम से दूर रहने, स्वजनो से रिश्ते काट लेने, विवाहेतर सम्बन्धों की ओर प्रवृत्त होने, शारीरिक प्रदर्शन करने की मानसिकता से ग्रसित होती जा रही है। पुरुष व सरकार की हर बात में दोष निकालना, सांस्कृतिक मूल्यों, प्राचीन परम्पराओं व सामाजिक रीति-रिवाजों की खिल्ली उड़ाना, हर काम में पुरुष की बराबरी करना, हर संस्था में महिला संगठन बना लेना, हर क्षेत्र में आरक्षण की माँग करना इनकी आदत सी हो गई है। अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि कुछ अति आधुनिक महिलाओं व उन्हीं के संगठनों द्वारा धार्मिक ग्रंथों का उपहास उड़ाने, विवाह व्यवस्था को नकारने, स्वच्छंद भाव से 'सवध' स्थापित करने, एक्सचेज क्लबों का सदस्य बनने, नारी ही बच्चे पैदा क्यो करे जैसे प्रश्न उठाने, जैसी बातें भी सामने आ रही है।

यही कारण है कि फैंटेसी व बी.एम. एड्स जैसी स्वच्छंद यौनाचार सस्कृति को बढ़ावा देने वाली पत्रिकाओं की प्रसार सख्या लाखों में होती जा रही है। इनमें महिलाएँ भी हजारों रुपए व्यय कर उत्तेजक भाषा में रति क्रियाओं के लिए 'उपयुक्त' पुरुष को आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन देती हैं और मुद्रित विज्ञापनों का लाभ उठाती हैं। पाँश कही जाने वाली कॉलोनियो व ऊँचे माने जाने वाले परिवारों में अश्लील फिल्मों को सामूहिक रूप से देखने, सम्मिलित रूप से भोग विलास करने, उन्मुक्त वातावरण वाली शराब पार्टियों को आयोजित करने, पति की आँखों के सामने ही दूसरों की बाँहों में झूलने जैसी प्रवृत्तियाँ तेज गति से बढ़ रही हैं। क्या इन सब परिवर्तनों से नारी जाति प्रगति की ओर बढ़ रही है? निश्चय ही नहीं। अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता व कैबारी माताओं की बढ़ती जा रही सख्या, छिन्न-भिन्न होते जा रहे परिवारों, बढ़ती जा रही अवैध सतानों, महिलाओं के लिए बन रही लाइट सिगरेटों की बढ़ती विक्री, बढ़ती जा रही रसोइयों, खुलते जा रहे फास्ट फूड सेंटर व नाच गृहों को परिवर्तन तो मानना ही होगा, लेकिन प्रगति बिल्कुल नहीं।

तो फिर प्रश्न उठता है ऐसे परिवर्तन कौनसे हैं जिनसे प्रगति आ सकती है? इसके लिए समस्या के मूल पर चोट करने की आवश्यकता है। नारी की

दुर्दशा, उत्पीडन, उपेक्षा व कष्टों के मुख्य कारण हैं। उसके पास राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक व बौद्धिक शक्ति की न्यूनता। इस न्यूनता को अधिकता और पर्याप्तता में बदलकर ही सकारात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में पचासवीं राज कानून को आदर्श मानकर ससद व विधानसभा सहित सभी बोर्डों, समितियों, सलाहकार परिषदों आदि में महिलाओं को न्यूनतम तीस प्रतिशत आरक्षण देने की कानूनी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। तभी अखिल भारतीय व राज्य स्तरीय प्रशासनिक, पुलिस व सामान्य नारी को विभिन्न बहानों से घर में कैद करके रखने के स्थान पर उसे विधाविकाओं, दफ्तरों, कारखानों, व्यापार स्थलों, शोध संस्थानों, प्रशिक्षण केन्द्रों, नियोजन कार्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों आदि में भेजने की आवश्यकता है। महिलाओं के विकास के लिए कानून बनाने से पूर्व उनके संगठनों से विचार-विमर्श नहीं करने, क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी नहीं देने, सम्बन्धित अधिकारियों को दायित्वपूर्ण नहीं बनाने, उत्तरदायी अधिकारियों का निर्धारण समयान्तर में प्रतिनिधि महिला संगठनों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार जरूरी नहीं बनाने, निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं करने को कार्य के प्रति लापरवाही नहीं मानने, लक्ष्यों के अनुसार राशि का आवंटन नहीं करने से महिला विकास होने वाला नहीं है।

महिला साक्षरता के लिए व्यापक व्यावहारिक व औपचारिक कार्यक्रम बनाकर तथा उसी के अनुरूप मानवीय व वित्तीय साधन उपलब्ध करवाकर एक साथ अज्ञानता, रूढ़िवादिता, संकीर्ण सोच व झिझक की मानसिकता के विरुद्ध लड़ा जाना आसान हो सकता है। निश्चय ही यह कार्य केवल सरकार पर निर्भर रहने, उसे दोषी ठहराते रहने या पुरुष प्रशासकों को कोसते रहने से पूरा होने वाला नहीं है। इसके लिए विशेष रूप से महिला संगठनों को आगे आकर इस महायज्ञ में अपनी क्षमता व योग्यतानुसार आहुति देने की आवश्यकता है। केवल समय गुजाने, प्रचारित होने व सरकारी मदद को हड़पने के उद्देश्य से महिला संगठन चला रही कॉन्वेंट संस्कृति वाली पदाधिकारियों को भी समझ लेना चाहिए कि यह उद्देश्य केवल सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी व कार्यशाला आयोजित कर समाचार पत्रों में खबर छाप देने मात्र से पूर्ण हो सकता है।

निष्कर्ष यही है कि महिला विकास का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब महिला सगठन स्वयं सगठित, समन्वित, सक्रिय व समर्पित हो। सरकार, कथनी व करनी के भेद को मिटाए व सामान्य प्रशासन कुण्ठाओं से रहित होकर कार्य करे, तभी हर परिवर्तन को विकास मानने की मानसिकता से दूर होकर वास्तविक विकास की परिस्थितियाँ पैदा की जा सकती है।

□□□

नारी जाति का विकास : क्या कुछ परिवर्तन पर्याप्त ?

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लगता है इसी नियम के अनुसार अब महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन अवश्यम्भावी हो गया है। पचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण, राज व्यवस्था में उनकी बढ़ती भूमिका, महिला सगठनों के फैलते जा रहे प्रभाव, महिला हितों के सम्बन्ध में पिछले दिनों आए कानूनी बदलाव, पुलिस व सामान्य प्रशासन में बढ़ती जा रही उनकी भागीदारी और सबसे महत्वपूर्ण विचारों में आ रहे व्यापक बदलाव से तो कुछ ऐसा ही लगता है। इस बदलाव के लिए संचार साधनों, साक्षरता के प्रतिज्ञात में हो रही वृद्धि, स्टार, एम व जी टीवी जैसे प्रसार माध्यमों, भौतिकवादी संस्कृति, संयुक्त परिवारों की टूटन, कार्यशील महिलाओं की बढ़ती संख्या, महिला मतों को आकर्षित करने की राजनैतिक दलों की मजबूरी, नवधनाध्य एव उच्च-मध्यम वर्ग परिवारों की बढ़ती संख्या, स्वर्गीय इंदिरा गांधी व जयललिता की राजनैतिक हैसियत जैसे कई कारण उत्तरदायी रहे हैं। आज ऊपरी तौर पर समाज में महिलाओं का स्थान वनता सा नजर आने लगा है। आज पर्दाप्रथा, विधवा उत्पीड़न, स्त्री निरक्षरता, बालिका विवाह, समाज व परिवार में उपेक्षा, बेमेल विवाह, विधवा विवाह निषेध जैसी समस्याएँ उतनी भयानक नहीं रही हैं। एकल परिवार व्यवस्था ने महिलाओं को परिवार व समाज के सीमित दायरे से निकाला है। परिवर्तन की हवा संचार माध्यमों से ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुँची है। अब हम कैवारी कन्या द्वारा लिपस्टिक लगाने, पायल व चुटकी पहनने, सजधज कर आने-जाने, फिल्मों की बातें करने,

भावी पति के सम्बन्ध में विचार रखने, समुद्र व जेठ से बतलाने, मक्के सामने अपने पति से बात करने, महन करने लगे हैं। मोहल्ले में किसी पुरुष के सामने मिलते ही तुरन्त वही बैठ जाने, बालक देवर से भी धूँपट निकालने, वृद्ध पुरुष के सामने से निकलते हुए चप्पले हाथ में लेकर चलने, पति की मृत्यु के बाद यहींना तब कपड़े के एक ही कोने में बैठे रहने, निमतान आगत की शुभ कार्य में नहीं बुलाने, पिता की उम्र के पुरुष से जादी को मजबूर होने, कन्या पैदा होते ही खुलेआम मार देने जैसी पीटाशयक घटनाएँ तो अब अपवादस्वरूप ही होती हैं। परिवार में उमरी निर्णय क्षमता, अभिव्यक्ति के अवसरों, बच्चों पर अधिकार व प्रश्न करने की क्षमता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। एक आम पिता अब लडकी के साथ भेदभाव करने, उसे पढाई से बचित करने, उसे लेकर जादी करने, सार्वजनिक रूप से पीटाई करने, लडकी पैदा होने पर मातम मनाने, डंडे के जोर में बेमेल विवाह करने में झिझक व हीनभावना महसूस करने लगा है। यहाँ हालत कामचोर, शराबी व अनक्रमाऊ पति की भी है।

कामकाजी महिलाएँ अब अपने सहकर्मियों को घर बुलाने, रुमाई को अपने पास रखने, पति को गृह कार्य में सहयोगी बनाने, पति के पहले सी जाने, प्रात देरी से उठने, इच्छा न होने पर काम से मना करने, पति के बिना सभा, सम्मेलनों में जाने, यूनिवर्सिटी करने सहित कई स्वतंत्र निर्णय करने की हकदार होती जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में महिला द्वारा स्कूटर या कार चलाने और कौतूहल का विषय नहीं रहा है। कामकाजी महिलाएँ अकेली रहने व यात्रा करने लगी हैं। प्रश्न उठता है कि क्या इसको ही हम महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन मान लें। यदि यह ही परिवर्तन है तो क्या इससे सतुष्ट हुआ जा सकता है? इस विषय पर विवेचना करने से पूर्व उन परिवर्तनों की ओर भी दृष्टिगत करने की आवश्यकता है जो नारी स्वतंत्रता आन्दोलन के नाम पर हो रहे हैं व पहले से भी अधिक नारकीय जीवन की परिस्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। नारी स्वतंत्र होने के स्थान पर स्वच्छंद और इसी कारण पहले से अधिक व घुटन व भ्रमित महसूस कर रही हैं। अधिक आधुनिक, प्रगतिवादी व स्वतंत्र कही जाने वाली महिलाएँ सिगरेट व शराब पीने, नाइट क्लबों में जाने, अविवाहित रहने, जरा सी बात पर विवाह विच्छेद कर लेने, बच्चों से परहेज

करने, शारीरिक श्रम से दूर रहने, स्वजनो से रिश्ते काट लेने, शरीर का खुला प्रदर्शन करने की मानसिकता से ग्रसित होती जा रही हैं। पुरुष की हर बात में दोष निकालना, सांस्कृतिक मूल्यों, प्राचीन परम्पराओं व सामाजिक रीतिरिवाज की खिल्ली उड़ाना, हर काम में पुरुष की बराबरी करना, हर संस्था में महिला संगठन बना लेना, हर क्षेत्र में आरक्षण की माँग करना इनकी लत सी हो गई है। अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि कुछ अति आधुनिक महिलाओं व उन्हीं के संगठनों द्वारा नारी ही वच्चे पैदा क्यों करे जैसे प्रश्न उठाने, अपने नाम के साथ पिता या पति का नाम नहीं लगाने जैसा दुस्साहस भी दिखाया जा रहा है। यही कारण है कि फैन्टेसी व वी.एच.एड्स जैसी स्वच्छंद सस्कृति को बढ़ावा देने वाली पत्रिकाओं की प्रसार संख्या लाखों में होती जा रही है। अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता व कैवारी माताओं की बढ़ती जा रही संख्या, छिन्न-भिन्न होते जा रहे परिवारों, बढ़ती जा रही अवैध संतानों, महिलाओं के लिए बन रही लाइट सिगरेटों की बढ़ती विक्री, बंद होती जा रही रसोइयों, खुलते जा रहे फास्टफूड सेन्टर्स व नाचगृहों को परिवर्तन तो मानना ही होगा, लेकिन प्रगति विलकुल नहीं।

तो फिर प्रश्न उठता है कि कि ऐसे परिवर्तन कौनसे हैं, जिससे प्रगति संभव है? इसके लिए समस्या के मूल पर चोट करने की आवश्यकता है। नारी की दुर्दशा, उत्पीड़न, उपेक्षा व कष्टों के मुख्य कारण हैं। उसके पास राजनैतिक प्रशासनिक, आर्थिक व बौद्धिक शक्ति की न्यूनता। इस न्यूनता को अधिकता या कहा जाए पर्याप्तता में बदलकर ही सकारात्मक परिवर्तन बिना किन्हीं साइड इफेक्ट्स के लिए जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में पंचायती राज कानून को आदर्श मानकर संसद या विधानसभा सहित सभी बॉर्डों, समितियों, सलाहकार परिषदों आदि में महिलाओं को न्यूनतम तीस प्रतिशत आरक्षण देने की कानूनी व्यवस्था करने की आवश्यकता है तब ही अखिल भारतीय व राज्य स्तरीय प्रशासनिक, पुलिस व सामान्य सेवाओं में इसी अनुपात में आरक्षण की बात मनवाई जा सकती है। नारी को विभिन्न बहानों से घर में कैद करके रखने के स्थान पर उसे विधायिकाओं, दफ्तरों, कारखानों, व्यापार स्थलों, शोध संस्थाओं, प्रशिक्षण केन्द्रों, नियोजन कार्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थाओं आदि में भेजने की है। महिलाओं के विकास के लिए कानून बनाने से पूर्व संगठनों से विचार-विमर्श नहीं करने, क्रियान्वयन में

उनको भागीदारी नहीं देने, सबधित अधिकारियों को दायित्वपूर्ण नहीं बनाने, उत्तरदायी अधिकारियों का निर्धारित समयान्तर में प्रतिनिधि महिला संगठनों से प्रत्यक्षत साक्षात्कार जरूरी नहीं बनाने, निर्धारित लक्ष्योंको पूरा नहीं करने को कार्य के प्रति लापरवाही नहीं मानने, लक्ष्यों के अनुसार राशि का आवंटन नहीं करने से महिला विकास होने वाला नहीं है। चाहे राजनैतिक दृष्टि से प्रचार का लाभ भले ही मिल जाए।

महिला साक्षरता के लिए व्यापारिक, व्यावहारिक व औपचारिक कार्यक्रम बनाकर तथा उसी के अनुरूप मानवीय व वित्तीय साधन उपलब्ध करवाकर एक साथ अज्ञानता, रुढ़िवादिता, सकीर्ण सोच, झिझक की मानसिकता के निरुद्ध लडा जाना आसान हो सकता है। निश्चय ही यह कार्य केवल सरकार पर निर्भर रहने, उसे दोषी ठहराते रहने या पुरुष प्रशासकों को कोसते रहने से पूरा होने वाला नहीं है। इसके लिए विशेष रूप से महिला संगठनों तथा सभी स्वैच्छिक संगठनों को आगे आकर इस महायज्ञ में अपनी क्षमता व योग्यतानुसार आहूति देने की आवश्यकता है। केवल समय गुजारने, प्रचारित होने व सरकारी मदद को हड़पने के उद्देश्य से महिला संगठन चला रही कोन्वेन्ट संस्कृति वाली पदाधिकारियों को भी समझ लेना चाहिए कि यह उद्देश्य केवल सभा, सम्मेलन, सगोष्ठी व कार्यशाला आयोजित कर सभाचार पत्रों में खबर छपा देने मात्र से पूर्ण नहीं हो सकता है। इसके लिए तो गरीब, निरक्षर व सूचनाहीन महिलाओं के साथ समानता, सहृदयता व स्वाभाविकता के साथ व्यवहार करने की जरूरत है। उनमें जब तक स्वाभिमान, आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति जागृत नहीं होती है, बहुत कुछ ठोस नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष यह है कि महिला विकास का उद्देश्य तब ही पूरा हो सकता है जब महिला संगठन स्वयं संगठित, समन्वित, सक्रिय व समर्पित हों, सरकार कथनी व काली के भेद को मिटाये व सामान्य प्रशासन कुण्ठाओं से रहित होकर कार्य करे। तब ही हर परिवर्तन का विकास मानने की मानसिकता से दूर होकर वास्तविक विकास की परिस्थितियाँ पैदा की जा सकती हैं।

पति को पत्नी से बलात्कार का हक क्यों ?

पति द्वारा पत्नी के साथ बलात्कार। जो हाँ चौंकिये नहीं बल्कि यों कहिये पतियों द्वारा पत्नियों के साथ बलात्कार। यह किसी दैनिक में प्रकाशित भडकीले समाचार की केवल हेड लाइन नहीं है बल्कि एक ऐसी वास्तविकता है जिसका भारतीय समाज की विवाहित महिलाएँ बर्षों से मुकाबला करती आ रही हैं, लेकिन किसी भी समाज सुधारक, विधिज्ञाता या राजनीतिज्ञ का ध्यान इस ओर आज तक नहीं गया है। व्यक्ति केवल उसी बलात्कार के बारे में बात करता है जिसकी छबर समाचार पत्र में प्रकाशित होती है। उसी बलात्कारी को मजा दी जाने की माँग की जाती है जिसके कृत्यों का पर्दाफाश हो जाता है, लेकिन भारत में आज जो लाखों की संख्या में प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति चिंतित होता नजर नहीं आता - वह व्यक्ति भी नहीं जो इस दुष्कृत्य का गिकार होता है।

कोई भी व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता है कि पति द्वारा पत्नी के साथ कैसा बलात्कार ? पति को तो कानूनी रूप से अपनी पत्नी के साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने का पूरा अधिकार है। जो हाँ - पति का अधिकार है " इस वाक्यांश में ही तो भारतीय विवाहित स्त्री का पूरा दुःख-दरद छिपा है। पति को अपनी पत्नी के साथ किसी भी समय शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार है, चाहे पत्नी मानसिक व शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार इस कार्य के लिए तैयार न हो।

इण्डियन पेनल कोड की धारा 375 के अनुसार किसी भी स्त्री की इच्छा के विपरीत उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना बलात्कार की

श्रेणी में आता है व यदि कोई महिला 17 वर्ष में कम उम्र की है तो उसकी सहमति में स्थापित शारीरिक सम्बन्ध भी बलात्कार की श्रेणी में ही आते हैं। कानून में चाहे महिला के साथ किए गए ऐसे कुकर्म के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन वास्तविक रूप में मुस्लिम से 2 प्रतिशत केम ही कानून के सामने आ पाते हैं, क्योंकि भारतीय समाज की ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनमें कोई भी महिला जिसके साथ बलात्कार किया गया है कानून की शरण में जाने में हर हालत में वचना ही चाहती है, क्योंकि भारतीय कानून में ऐसी अनेकों कमियाँ हैं, जिसके सहारे बलात्कारी पुण्य सजा से बच जाता है व वे कार में ही पीड़ित महिला को सामाजिक तथा पारिवारिक, तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से पत्नी को तो किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार ही नहीं है। भारतीय कानून के अनुसार यदि पत्नी 15 वर्ष से अधिक उम्र की है तो पति का उसके साथ बलात्कार करने का भी पूरा अधिकार है व पत्नी की उम्र यदि 15 वर्ष में कम है तो भी पति के लिए बहुत ही मामूली सजा का ही प्रावधान है। कानून में ऐसे प्रावधानों के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय समाज को हमेशा से ही पुण्य प्रधान समाज माना जाता रहा है व ऐसे कानूनों के निर्माण में पुरुषों का ही हाथ सबसे महत्वपूर्ण रहा है।

भारतीय समाज में पत्नी को पति की एक तरह से वस्तु ही माना गया है व समाज ने उसे ऐसे अधिकार दे रखे हैं कि वह उसका जैसे चाहे वैसे उपयोग करे व शारीरिक सम्बन्धों की स्थापना के सम्बन्ध में भी उसका यही दृष्टिकोण रहता है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ सायकाल दिनभर भरी दोपहरी में छेतों में काम करने के बाद अपने सिर पर भारी बजन रख कर घर पहुँचती हैं। पूरे परिवार के लिए खाना बना कर वह घर का अन्य कार्य करने के बाद जब सोने के लिए पहुँचती हैं तो क्या वे मानसिक रूप से शारीरिक सम्बन्धों से आनन्द लेने की अवस्था में होती हैं। निश्चित रूप से नहीं, लेकिन क्या उस महिला का पति उम्रकी मानसिक अवस्था की चिन्ता करता है? नहीं। वह तो अपनी मानसिक व शारीरिक भूख शांत करने के लिए पत्नी के न चाहने पर भी उससे शारीरिक सम्बन्ध स्थापित कर ही लेता है। वह बेचारी पत्नी, जिसे हर समय पति को परमेश्वर मानने की झी सलाह दी जाती रहती है, यह सब कुछ

करने के लिए उम्मीद प्रकृत तैयार हो जानी है, जिस प्रकार एक बलात्कारी के चक्कर में पड़ने के बाद लोबलाज के डर के मारे कोई भी महिला बेमन से तैयार हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ स्थापित शारीरिक सम्बन्ध क्या किसी भी प्रकार बलात्कार से कम है ?

एक गरावा पति जिसे अपनी पत्नी व बच्चों के खाने-पीने की चिन्ता न होकर केवल गराव पीने की ही चिन्ता होती है, गराव के नगे में धुत्त होकर जब रात बारह बजे के आसपास घर पहुँचते हैं गाली-गलीच के साथ अपनी पत्नी के साथ एक पशु जैसा व्यवहार करना प्रारम्भ कर देता है तो क्या उस पत्नी की इच्छा ऐसे पति से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने की होती है ? और पति-पत्नी के साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करता है तो उसे बलात्कार नहीं तो क्या दो दिलों का मिलाप कहा जाएगा ?

ऊपर वर्णित उदाहरण जिन्होंने दो-चार महिलाओं से ही सम्बन्धित नहीं हैं, बल्कि यह तो भारतीय समाज में प्रतिदिन लाखों-करोड़ों स्त्रियों के साथ होने वाले व्यवहार की आम बात है। प्रश्न उठता है, भारत में विवाहित स्त्रियों को ऐसी परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ता है व उमका हल आज तक क्यों नहीं निकल पाया है ? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है - भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति। भारत की महिला केवल शारीरिक दृष्टि से ही पुरुष से कमजोर नहीं है, बल्कि वह आर्थिक दृष्टि से भी पूरी तरह पति पर निर्भर रहती है। समाज में दूसरे दर्जे का नागरिक समझी जाती है, राजनैतिक तौर पर असंगठित है, धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक धार्मिक ही नहीं बल्कि पूरी तरह अंधविश्वासी भी है। भारत में शादी के तुरन्त बाद विदाई के समय परिवार का हर छोटा व बड़ा व्यक्ति विवाहिता को एक ही शिक्षा देता है कि अब इस संसार में तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा पति ही है वह जैसा भी है तुम्हारे लिए परमेश्वर के समान है।

आज का आधुनिक पति, पत्नी को सोसायटी में मूव करवाने, एडल्ट पार्टियों में शिरकत करवाने, वॉस से इंट्रोड्यूस करवाने, विजनेस ट्यूर पर भेजने व आवातमो को इन्टरटेन करवाने के नाम पर ऐसी ही परिस्थितियाँ पैदा कर रहा है। आश्चर्य तो यह है कि यह सब कुछ फारवर्ड होने के बहाने से

न खाया जा रहा है। इतना ही क्यों भारत में ऐसे परजीवी पतियों की भी कमी नहीं है जो पत्नी को वास्तव में ही वेश्या बना कर उसके लिए ग्राहक ढूँढते रहते हैं। ऐसी कई उपजातियाँ हैं जहाँ एक भाई की पत्नी को सभी भाइयों की पत्नी मान लिया जाता है। ऐसे सभी भाइयों से पत्नी का भावनात्मक लगाव कैसे हो सकता है ? जब ऐसा नहीं हो सकता है तो सब पति मिल कर उसके साथ जो कुछ करते हैं वह बलात्कार क्यों नहीं हुआ ?

प्रश्न उठता है बलात्कार की इस समस्या का निदान क्या है ? समस्या का वास्तविक निदान है, परिवर्तन। जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन। आर्थिक क्षेत्र में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे महिलाएँ आत्मनिर्भर बन सकें।

!पुरुष व महिला को काम के समान अवसर व समान काम के लिए समान वेतन मिल सके। सामाजिक मान्यताओं में ऐसे परिवर्तन हो, जिनसे समाज में पुरुष की प्रधानता के स्थान पर पुरुष व महिला को समान दर्जा मिल सके। कुल मिलाकर पत्नी को सच्चा जीवन साथी स्वीकार करने की पुरुष की मानसिकता तब ही बन सकती है जब महिला को भी व्यक्ति मानने की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकें।

बाल यौन शोषण की समस्या

मुम्बई स्थित टाटा समाज विज्ञान संस्थान जिसका नाम महिलाओं व बच्चों की समस्याओं के अध्ययन व शोध के क्षेत्र में जाना-पहचाना है के अनुसार भारत में तीन लाख बाल बेश्याएं हैं तथा इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। पिछले दिनों स्टॉकहोम में इस समस्या पर विचार करने के लिए हुए एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में भी नोबल पुरस्कार विजेताओं ने बाल यौन शोषण रोकने हेतु कई कदम उठाने की एक अपील जारी की। सम्मेलन का महत्त्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि इसका उद्घाटन स्वीडन के प्रधानमंत्री ने किया तथा इसमें हजारों की संख्या में विभिन्न राष्ट्रों के समाज वैज्ञानिकों, सरकारी अधिकारियों व स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन की गतिविधियों व कुछ ही समय पूर्व बेलजियम में दो मासूम बच्चियों की बलात्कार के बाद हत्या किए जाने की घटना को प्रायः सभी देशों के प्रचार माध्यमों ने जो स्थान दिया उससे समस्या की व्यापकता का आभास हो जाता है। प्रश्न उठता है कि बाल यौन शोषण की समस्या क्या वास्तव में ही इतनी भयानक व व्यापक है? ऐसा ही यदि है तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका निदान क्या और कैसे किया जा सकता है?

अन्तरराष्ट्रीय संदर्भों में इस हकीकत को नहीं नकारा जा सकता कि अधिकांश पश्चिमी अमेरिकी व अफ्रीकी राष्ट्रों में भोग विलास की संस्कृति का प्रभाव अविश्वनीय स्तर तक बढ़ रहा है। हमारे लिए ये आँकड़े सिर चकरा देने वाले भले ही हों, लेकिन यथार्थ यह है कि स्वीडन में विवाह होने तक एक

वालिमा ओसतन चार पुण्या के सम्पर्क मे आ चुकी होती है तथा वहाँ दो-तिहाई जोडे अविवाहित है। अमेरिका मे वारह वर्ष से कम उम्र की गर्भवतियों की मर्या प्रतिवर्ष लाखों मे होती है तथा पन्द्रह लाख के करीब ऐसी वालिका माताएँ विवाह किए बिना ही अपने बच्चों की पाल रही है। युगाडा, सूडान, नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी राष्ट्रों मे वेश्यावृत्ति सर्वाधिक सस्था, सुलभ व मात्रिय व्यवसाय बन चुका है। यह राग नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश व भारत जैसे परम्परावादी मस्कृति वाल दगों मे भी तेजी से फलता जा रहा है। भारत मे ही बम्बई, कलकत्ता व मद्रास जस महानगरों मे हजारों की मर्या मे वाल वेश्याएँ अपना व परिवारजनो का पट भरने के लिए अपना सब कुछ दाँप पर लगाने को मजबूर हो गई है। ऐसी ही स्थिति थाईलेट, ताइवान, हांगकांग, विवतनाम जैसे दगों की है जहा वेश्यावृत्ति सत्रमे बडा मुठार उद्योग व विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम बन गया है। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील ही नहीं बल्कि जापान जमे गट्टा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पर यह समझना भारी भूल होगी कि वाल वान शोषण का मतलब केवल वालिका वेश्याओं की समस्या मे ही है। यह समस्या वालकों व सदर्थ मे भी उत्तरी ही भवानक है तथा दोसो ही के बौन शोषण के तरीके व कारण अनेको और प्रकार के भी है। उनको जानने से पूर्व यह जानना बहुत जरूरी है कि आट-टम माल मे लकर 18 वर्ष मे कम उम्र की बच्चियाँ वेश्यावृत्ति की ओर ज्यादा क्यों जा रही है वा उन्हें क्या लावा जा रहा है ?

आमतौर पर गर्भाव, निरक्षरता व मरक्षण व अभाव जमे वेश्यावृत्ति के कारणों का वहाँ भी गिनाया जाता है, जो एक सीमा तक सही भी है। गर्भाव सभा मजबूतियों की कट है। दुर्भाग्य मे गर्भव लोगो के ही बच्चे ज्यादा होने है, जिनका लानन-पालन करना माता-पिता के बस की बात नहीं होती है। ऐसे मे कम पास उन्हें वेश्यावृत्ति की ओर धकलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचना है। इस बाजार मे कई कारणों मे अद्यानक बच्चियों की माँग बहुत बढ़ गई है। इसके लिए एडम के भय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। यह माना जाता है कि ज्यादा की देखभाल पर चढ़ रही वालाओं का गारीरक मध्यम तुलनात्मक रूप से कम पुण्यो म हा चुका होता है तथा उनमे

रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होती है। एक आम मिथ्या धारणा यह भी बनी हुई है कि इस उम्र की बालाओं से यौन सम्पर्क करने से पुरुष की शारीरिक क्षमता बढ़ती है तथा उसे यौन रोग होने की सम्भावनाएँ कम होती हैं। विकृत मानसिकता वालों ने यह मिथ्या धारणा भी पाल रखी है कि इससे यौन तृप्ति भी ज्यादा मिलती है। इन सबको तो धनी लोगों के चौचले माना जा सकता है, लेकिन भारत जैसे गरीब व रुढ़िवादी देशों में इसके लिए कई सामाजिक व धार्मिक कारण भी उत्तरदायी हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों ऐसी प्रजातियाँ हैं, जिनमें बालक के जन्म पर मायूसी व बालिका जन्म पर उल्लास का सा वातावरण हो जाता है। यहाँ पुरानी प्रथाओं व संस्कारों के कारण माता-पिता अपनी बच्चियों को सैक्स के भेड़ियों के सामने परोसने में कुछ भी अन्यथा महसूस नहीं करते हैं। सैकड़ों की संख्या में ऐसे मंदिर हैं जहाँ मासूम बालिकाओं का पिचाह केवल भगवान से होता है। स्पष्ट उन्हें भगवान के नाम पर अपना यौन शोषण बाल्यकाल से ही करवाने को राजी किया जाता है।

भारत में जमींदारी व बंधुआ मजदूरी प्रथा कानून बनाकर बंद कर दी गई हो, लेकिन देश में करोड़ों की संख्या में ऐसे मजदूर नौकर, खेतिहर मजदूर हैं जिनका सम्पूर्ण अस्तित्व अपनी मालिक की कृपा पर निर्भर करता है। बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्य हैं जहाँ ऐसे पराजित लोगों की बहू-बेटियों की इज्जत लूटना मालिक अपना अधिकार समझता है। ऐसी ही स्थिति शहरी व अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के घरों में काम करने वाली बाल नौकरानियों की है। मकान निर्माण, कस्ती के भट्टों, सड़क बनाने जैसे कार्यों में जहाँ मजदूरों के परिवार सामूहिक रूप से रहते हैं बालक-बालिकाओं का कार्य के माध्यम से शारीरिक यौन शोषण भी होता है। ऐसी परिस्थितियों का प्रमुख कारण मजदूरों में व्याप्त दासता की प्रवृत्ति व शक्ति का अतुलनीय भेद ही है, जहाँ ऐसे शोषण के विरुद्ध जरा सी भी आवाज उठाना अपने भौतिक अस्तित्व को भी समाप्त करने के समान है। भारत की रुढ़िवादी सामाजिक परिस्थितियाँ भी इस समस्या के लिए जिम्मेदार हैं, जहाँ पारिवारिक रिश्तों में लाज, शर्म, छवि व प्रतिष्ठा जैसी थोथी बातों का अनावश्यक महत्त्व ज्यादा है, जिसकी आड़ में चालाक, धूर्त व मानसिक

विकृति वाले व्यक्ति वाल यौन शोषण के कुकर्म को करने व उसे छिपाकर रखने में सफल हो जाते हैं। टीवी के माध्यम से फैल रही अपसंस्कृति व यौन प्रवृत्तियों की दृष्टि से मासूम बालक-बालिकाओं को समय से पहले ही जवान बना दिया गया है, ऐसे शोषण के अवसर हर एक के लिए बहुत बढ़ा दिए गए हैं। तब ही तो स्कूल के अध्यापकों, तैराकी, चित्रकला व संगीत के प्रशिक्षक व रिश्ते में चचेरे एव मौसरे भाइयों द्वारा ऐसे यौन शोषण के समाचार अधिक सख्या में आने लगे हैं। दूसरी ओर कटु सत्य यह भी है कि सांस्कृतिक प्रदूषण के विस्तार के साथ ही कच्ची उम्र के बालक-बालिकाओं में सैक्स के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है। इससे आधुनिकता के नाम पर स्वच्छंद व्यवहार करने, शराब की पार्टियाँ आयोजित करने व वात-वात पर भौड़े प्रदर्शन करने वाले माता-पिता का योगदान भी कम नहीं है।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह ही है कि समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही इस समस्या का व्यावहारिक हल क्या है? इसके लिए बड़े कानून बनाने तथा उन्हें दृढ़ता से लागू करने की आवश्यकता तो है ही साथ ही महिला जागृति मंचों, महिला विकास समितियों तथा आय बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने, बाल शोषण के अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार करने, प्रत्येक ऐसी घटना के विरुद्ध तीव्र व तत्काल सामूहिक प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत है। प्रत्येक सरकार का यह दायित्व है कि राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ धार्मिक एव सामाजिक परम्पराओं के नाम पर चल रही बुराइयों को रोकने के लिए कानून बनाए तथा प्रशासन को इस सम्बन्ध में सवेदनशील निष्पक्ष व सक्रिय होने को मजबूर करे, साथ ही इस क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को भी प्रोत्साहित व सरक्षित करने की आवश्यकता है।

स्त्री-पुरुष की समानता : कितना ढोंग कितना यथार्थ ?

विभिन्न सरकारों, राजनैतिक दलों व सामाजिक संगठनों द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलावने की बातें व घोषणाएँ जव-तव की जाती रही हैं। हाँ ! हाल के वर्षों में इसका चलन कुछ ज्यादा ही हो गया है। विशेष रूप से उनके लिए नौकरियों व चुनावों के समय टिकट वितरण में तीस प्रतिशत की माँग हर कोई कर रहा है। इतना ही नहीं अब तो ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद के चुनावों तक में उनके लिए तीस प्रतिशत स्थान संवैधानिक रूप से सुरक्षित कर दिए गए हैं। अब सामान्यतया सम्पूर्ण देश में व विशेषतः शहरी क्षेत्रों में बैंकों, निजी कम्पनियों, पुलिस, होमगार्ड, विद्यालयों व सरकारी कार्यालयों में महिलाएँ काम करती हुई नजर आ जाती हैं। हर राजनैतिक दल, कर्मचारी संगठन व सामाजिक संगठनों में महिला विभाग का पृथक अस्तित्व मिल जाएगा। इतना ही क्यों भारत की महिलाएँ अब तो सेना के तानों अंगों व उच्च पुलिस सेवा तक में बराबरी के आधार पर शामिल हो रही हैं, लेकिन प्रश्न उठता है क्या इन उदाहरणों के आधार पर यह मान लिया जाए कि भारत में महिला-पुरुष का अन्तर समाप्त हो गया है ? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठाए जाने की आवश्यकता है कि क्या ऐसी समानता की बातें व आह्वान करने वाले वास्तव में ही गम्भीर हैं ? या उनका उद्देश्य भी केवल राजनैतिक लाभ प्राप्त करना ही है ?

जहाँ तक राजनैतिक दलों के गम्भीर होने का सवाल है उन पर तो भि्रवास किया ही नहीं जा सकता है। इसका कारण केवल यह नहीं है कि

उनकी छवि एमो बन गई है, वनिक्रम सम्वन्ध में तो यथार्थ भी स्पष्ट रूप से ऐसा ही है। जिस कांग्रेस दल ने पचासत सस्थाओं में महिलाओं के लिए तीस प्रतिशत स्थान संप्रधानिक प्रावधानों के द्वारा सुरक्षित करवाए हैं उसकी राष्ट्रीय से लेकर ब्लाक स्तर तक की शायद किसी भी कमेटी (जिनकी संख्या कई हजारों में है) में तीस प्रतिशत महिलाएँ पदाधिकारी नहीं हैं। इससे इस दल के 'कर्णधारों' की मन्त्रीण, स्वार्थी व प्रचार पाने वाली मानसिकता का पता चल जाता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सर्वाधिक मतों से जातकर आने वाले अर्जुनमिह व गरुड पवार को मनोनीत सदस्य का दर्जा देते समय उद्देश्य अनुमूचित जाति, जनजाति व महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का ही बताया गया था। उन स्थानों को नहीं भरा जाना इसी मानसिकता का परिचायक है। क्रमोद्देश्य वही स्थिति और मानसिकता अन्य राजनीतिक दलों की है। इस सम्वन्ध में अपने को सर्वाधिक प्रगतिशील कहने वाले साम्यवादी दलों का भी यही हाल है। मार्क्सवादी, साम्यवादी या फार्बर्ड ब्लॉक जैसे किसी भी वामपथी विचारधारा वाले दल में नेतृत्व के स्तर पर महिलाओं का स्थान गौण ही है। विभिन्न जनता दलों व भारतीय जनता पार्टी सहित विभिन्न क्षेत्रीय दलों की स्थिति तो और अधिक दयनीय है। वहाँ तो नारी के नेतृत्व को गुलामी की सी बात माना जाता है। तब ही तो प्रत्येक महत्वपूर्ण पदों पर पुरुष ही नजर आ रहे हैं। नारी स्वतंत्रता या समानता के विचार को व्यापारिक रूप प्रदान करने के लिए आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने किसी कार्यक्रम या आंदोलन की रूपरेखा नहीं बनाई है। देश की पचास प्रतिशत जनसंख्या के साथ भी वोट बैंक जैसे ही व्यवहार किया जा रहा है।

वही कारण है कि आजादी के चार दशकों व आठ पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के बाद भी भारत में नारी ही सर्वाधिक पीड़ित, शोषित व उत्पीड़ित वर्ग में है। दहेज विरोधी कानून के बन जाने के बाद भी नारी को जलाने, त्यागने व मार दिए जाने की घटनाएँ व दहेज की वीमारी बढ़ती ही जा रही है। उनके द्वारा सौंदर्य प्रसाधनों के उपभोग, फेशनपरक वस्त्रों के पहनाये, सार्वजनिक समारोह में उपस्थिति व पुरुष से बातचीत को चरित्र हनन के रूप में देखा जाता है। बालविवाह निषेध व विधवा विवाह की स्वीकृति को समाज

आज भी पचा नहीं पा रहा है। सती होने व उसे महिमामंडित करने की मानसिकता में परिवर्तन नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आय की गणना में गृहणियों के काम को जो आर्थिक सिद्धान्तों के अनुसार हर प्रकार से उत्पादन है शामिल नहीं किया जाता है। बालक को बालिका की तुलना में खिलाने, पिलाने, शिक्षा दिलवाने व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने में वरीयता दिए जाने की माता-पिता की सोच में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं आया है। संसद व विधानसभाओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रतिरात दस तक भी नहीं पहुँच सका है। इनमें निरक्षरता, बेरोजगारी व बीमारी आदि की दर तुलनात्मक रूप में कई गुना अधिक है। रुढ़ियों, सामाजिक कुरीतियों व परम्पराओं की सर्वाधिक मार इन्हीं को सहनी पड़ती है। कानूनों के निर्माण के बाद भी बहु पत्नी, बहु पति, नाता व रखैल जैसी नारी विरोधी प्रथाएँ उसी प्रकार चल रही हैं। समाज की पंचायत "मीरा" को नंगा करके गाँव में सरेआम धुमाये जाने व 'भँवरी' के साथ बलात्कार किए जाने पर भी अपराधियों का कुछ भी नहीं बिगड़ने दे रहा है। प्रशासन की निष्क्रियता व भावनारून्यता के कारण नारी उत्पीडकों के हौसले आसमान छूने लगे हैं। पाँच सितारा होटलों, व्यूटी पार्लरों, हैल्थ क्लबों, नृत्य स्कूलों व हॉबी सेन्टर्स ने आधुनिकता के नाम पर नारी शोषण के नए रास्ते खोल दिए हैं। बालिका भ्रूण को मार देने, दूध के दौत टूटने से पूर्व ही शादी रचा देने, बड़े भाई की पत्नी को सब भाइयों की पत्नी मानने जैसी बुराइयों पर काबू नहीं पाया जा सका है। देह व्यापार का विस्तार दिन-दूनी रात चौगुनी गति से हो रहा है। प्राइवेट सैक्रेट्री, रिसेप्शनिष्ट, मॉडल सिनेमा जैसे धंधों ने तो नारी को केवल भोग की वस्तु बना कर रख दिया है। नौकरीपेशा महिलाओं की नौकरी व गृहस्थ रूपी दो पाटों के बीच में कैसी दयनीय हालत होती है, उसका अनुमान पुरुष नहीं लगा सकता है। नारी अभी भी समाज में किसी पुरुष की बहन या पत्नी के रूप में ही जानी जाती है, जिस नारी का स्वतंत्र अस्तित्व है उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है।

प्रश्न उठता है स्वतंत्रता के बाद नारी स्वतंत्रता, समानता व स्वात्मबल के लिए कई कानूनों के निर्माण, योजनाओं की क्रियान्विति व घोषणाओं के बाद भी परिस्थितियों में आधारभूत परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है? इस प्रश्न

का सीधा व स्पष्ट उत्तर है - किए गए प्रयासों का वस्तुनिष्ठ व मूल परिवर्तन वाले नहीं होना। इसके लिए आवश्यक है नारी की सामाजिक, पारिवारिक व आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाने वाली रूढ़ियों, कुरीतियों व परम्पराओं पर सीधा प्रहार किया जाए। यह कैसी हास्यास्पद स्थिति है कि पुरुष के साथ समानता की घोषणाओं, कार्यक्रमों व कानूनों के बीच पति को परमेश्वर मानने की मानसिकता में हम जरा सा भी परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। माँग में सिन्दूर, गले में मंगल सूत्र व हाथों में चूड़ियों को सुन्दरता का नहीं बल्कि सुहाग (अर्थात् गुलामी) का प्रतीक माना जाता है। राखी को भाई-बहन के प्रेम का नहीं बल्कि बहन पर भाई के प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। राखी बंधाकर भाई बहन की रक्षा का दायित्व ऐसे लेता है जैसे नारी का पुरुष के बिना कुछ अस्तित्व ही नहीं है। विवाहित स्त्रियों द्वारा करवा चौथ का व्रत करना पुरुष के आधिपत्य को स्वीकार करना ही है। यह सब प्रथाएँ व रूढ़ियाँ ही नारी को पुरुष के बराबर नहीं होने दे रही हैं। विडम्बनापूर्ण स्थिति तो यह है कि पति चाहे कितना भी मदबुद्धि, अनकमाऊ व गँवार हो पत्नी को उसे निभाने व उसे परमेश्वर मानने को बाध्य किया जाता है। उसकी मृत्यु के बाद चूड़ियाँ फोड़ना, माँग में सिन्दूर डालना बंद करना, लाल-पीले कपड़े पहनने से परहेज करना, उच्चतम शिक्षित नारी के लिए भी समाज ने आवश्यक बना रखा है। लड़की चाहे कितनी भी योग्य हो उसे अपने भावी पति के सामने परखे जाने के लिए पेश होना ही होता है।

□□□

कानून के वावजूद महिला शोषण में वृद्धि : यह विरोधाभास क्यों

पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में बलात्कार के मामलों की सुनवाई वंद कमरों व महिलाओं के बीच ही करने का फैसला हुआ, अपनी सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व व्यावहारिकता का एक और परिचय दिया है। इसी के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा बलात्कार की शिकार बालिका को हर हालत में सही मान कर न्यायालयों में कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है जबकि एक बयान समाचार पत्रों में पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी के.पी.एस. गिल के अभद्रव्यवहार की शिकार भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्रीमती रूपेन दिवोल वजाज का छपा, जिसमें उन्होंने गिल की निजी क्षमा याचना पर मामला रफादफा करने के लिए पंजाब के पूर्व राज्यपाल सिद्धार्थ शंकररे, मुख्य सचिव आर.पी. ओझा व सुरक्षा सलाहकार जुलियो रिवैरो जैसे अधिकारियों द्वारा उन पर दवाव डालने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार उन्हें तो राष्ट्रीय हित में ऐसा करने के लिए बाध्य तक करने का प्रयत्न किया गया। इतना ही नहीं श्री गिल को अनेकों प्रकार से सम्मानित व पदोन्नत भी किया गया तथा अधिकांश उत्तरदायी समझे जाने वाले व्यक्तियों ने ऐसा तो होता ही रहता है, कह कर मामले को हलकर बनाने का ही प्रयास किया। इसी संदर्भ में भटेरी सामूहिक बलात्कार की शिकार भँवरी देवी की न्यायालय में हार व उसके ही विरोध में उसी के गाँव की महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन की घटना को देखने की जरूरत है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में महिलाएँ शिक्षा, चिकित्सा, सामान्य

रोजगार, प्रशासनिक सेवाओं, राजनीति, सामाजिक सेवा ही नहीं बल्कि पुलिस व सेना आदि सभी क्षेत्रों में आगे आई है तथा महिला संगठनों की संख्या व प्रभाव में वृद्धि हो रही है, साथ ही पचासवीं राज मंत्रि सचिवालय सशोधन अधिनियम द्वारा हजारों की संख्या में महिलाओं ने जन प्रतिनिधि का दर्जा प्राप्त किया है। आमतौर पर महिलाओं की पढ़ाई, नौकरी व शादी सम्बन्धी सामाजिक धारणाओं में सकारात्मक परिवर्तन आने प्रारम्भ हो गए हैं। हमारा वर्तमान समाज अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के साथ ही साथ स्वच्छंदता जिसे आधुनिकता भी कहा जाता है की ओर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आन्वयजनक रूप से इसी के साथ बलात्कार, बालिका ब्रह्मचर्य, तलाक, महिला उत्पीड़न व महिला अपराध की घटनाएँ भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। वह हमारे समाज का निश्चय ही विडम्बनापूर्ण विरोधाभास है। यानि जिस समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका तेजी से बढ़ती हुई बताई जा रही है, उसी समाज में उनके तिरस्कार, शोषण व अपमान का स्तर भी बढ़ता ही जा रहा है। प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या अधिक से अधिक कानून बना कर ऐसी समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है?

दूसरे प्रश्न का उत्तर यदि पहले खोजने का प्रयास किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि यह समस्या केवल कानून के सहारे हल होने वाली नहीं है, क्योंकि कानून तो पहले से ही बहुत बने हुए है। वास्तविक समस्याएँ उन्हें पूरी तत्परता से लागू करने की है। बलात्कार की कानूनी परिभाषा तो किसी महिला से पति जैसा ढोंग करके या फुसला कर किसी पुरुष द्वारा सम्भोग करने की है। इस अपराध के लिए पुरुष को बड़ी सजा की व्यवस्था है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375-76 में वर्ष 1983 में ही सशोधन कर पुलिस हिरासत में होने वाले बलात्कारों के लिए पुलिसकर्मियों के लिए अधिक बड़ी सजा की व्यवस्था की गई है। धारा 376 (सी) जोड़ कर पुलिसकर्मियों के लिए सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी धारा के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक तम के लिए सजा की व्यवस्था की गई है तथा शिवायतकर्ता महिला को मूल रूप में सही माना गया है अर्थात् बलात्कार

नहीं हुआ यह सिद्ध करने का कानूनी दायित्व पुलिसकर्मियों पर ही आ जाता है। इसी प्रकार वर्ष 1992 में महाराष्ट्र में मथुरा नामक एक महिला के साथ अस्पताल में सामूहिक बलात्कार हुआ तो कानून में संगोधन कर अस्पताल अधिकारियों तक के लिए सजा की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार धारा 509 में महिला के साथ छेड़छाड़ करने पर धारा 354 में गारोबिक रूप से किसी भी प्रकार से तंग करने तक के लिए सजा के प्रावधान हैं। यहाँ तक कि महिला सेवाकर्मी के वार्षिक वेतनवृद्धि निर्धारित समय पर नहीं लगाने, उसके सम्बन्ध में दुष्प्रचार करने, दूसरी जादो करने पर भी पुष्प को सजा हो सकती है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करना स्वतः अपराध की श्रेणियों में आ जाता है। कानून के अनुसार तो 16 वर्ष से कम आयु की लड़की से सहमति के आधार पर भी संभोग नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं 15 वर्ष से कम आयु की विवाहिता से तो पति भी अनिच्छा से गारोबिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार बाल विवाह पर रोक का कानून - गारदा एक्ट तो 1931 में बना हुआ है। दहेज विरोधी कानून का उपयोग तो अब होता सा नजर आ रहा है। हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अन्तर्गत तो विवाहित महिला तक को पिता की सम्पत्ति में से बराबर का हिस्सा पाने का अधिकार है।

प्रश्न उठता है इतने अधिक महिला समर्थक कानून होने पर भी उनके विरुद्ध बलात्कार, पारिवारिक हिंसा, देह गोपण जैसे अपराध क्यों तेजी से घट रहे हैं? अकेले राजस्थान में ही वर्ष 1994 के दौरान 347 दहेज हत्याएँ हुईं व करीब पचास हजार बाल विवाह प्रति वर्ष होते हैं। यहाँ गाँवों में महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 5 प्रतिशत है। कई जातियों में तो बहु पति प्रथा उसी रूप में चल रही है तथा पति के सामने किसी भी पत्नी की हैसियत प्रायः कुछ भी नहीं मानी जाती है। पिता की सम्पत्ति में से अपना हिस्सा प्राप्त करने वाली महिला तो एक हजार में से एक भी नहीं है। बालिका देह गोपण की घटनाएँ तो आश्चर्यजनक रूप से बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। कारण विलकुल स्पष्ट है कि किसी भी कानून को न तो प्रशासन व न ही जनता ने गम्भीरता से लिया है। साथ ही महिला को पैर की जूती समझने, महिला की अक्ल माथे के पाँछे

होने, उसका कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखने व उसकी कौमार्य पत्रिता को अति-महत्त्वपूर्ण मानने की पुरुष की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आ सका है, साथ ही अभी तक भी आम महिला पति को परमेश्वर मानने, सहनशीलता को नारी की धरोहर के रूप में स्वीकार करने व विवाह को सामाजिक बंधन समझने की मानसिकता में ही जी रही है। यही कारण है कि बलात्कार, शारीरिक उत्पीड़न, पति द्वारा किए जाने वाले अत्याचार, निकट सम्बन्धियों की नाजायज हरकतों आदि के अधिकांश मामले तो प्रकाश में आते ही नहीं हैं। नारी अधिकांश अत्याचार समाज में इज्जत बनाए रखने के नाम पर ही सहन कर रही है। उसकी इस कमजोरी या मजबूरी के कारण ही शारीरिक उत्पीड़न करने वाले पुरुष बलात्कारी व बलात्कारी कालान्तर में सामूहिक बलान्कारी हो जाते हैं। बच्ची की इज्जत बचाए रखने के नाम पर ही अधिकांश माता-पिता उपलब्ध कानूनों, पुलिस या सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का सहारा नहीं लेते हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार ऐसे केवल दो प्रतिशत मामले की ही पुलिस तक शिकायत होती है और उनमें भी वास्तविक सजा पाच प्रतिशत अपराधियों को ही हो पाती है।

यह सही है कि महिला सगठनों की संख्या व प्रभाव दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह केवल बड़े शहरों में संध्रात कही जाने वाली महिलाओं के समय गुजराने के साधन अधिक हैं, जिनको सरकारी सहायता आवश्यकतानुसार व कार्य के अनुसार नहीं बल्कि सम्बन्धों के आधार पर ही दी जाती है। ऐसे सगठन महिलाओं के विरुद्ध किए जा रहे हत्याचारों का मुकाबला कानून के माध्यम से कर मीडिया के माध्यम से करना चाहती है। उनके आंदोलन पीड़ित महिलाओं की पीड़ा को कम करने के लिए नहीं बल्कि समाचार माध्यमों में छाये रहने के लिए होते हैं। इसके लिए वे हमेशा मुद्दे तलाशते रहते हैं, परिणामस्वरूप भँवरी 'भँवर' में से निकलने के स्थान पर महिलाओं द्वारा ही अति-आंदोलन के कारण असहाय बन कर रह जाती है।

कानून को लागू करने का वास्तविक दायित्व तो प्रशासन का होता है और दुर्भाग्य से कानून निर्माताओं (जन प्रतिनिधियों) के ढीले नियंत्रण के कारण उसकी ही भूमिका सर्वाधिक गैर उत्तरदायित्वपूर्ण होती है। तब ही तो

शारदा एक्ट, दहेज विरोध व उत्तराधिकार जैसे कानूनों की सरेआम धजिया उड़ती हैं। वास्तविकता तो यह है कि कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी प्रशासकों के दफ्तरों में ही महिलाओं का सर्वाधिक शोषण होता है और प्रत्येक हैसियत वाला अधिकारी तो यह सब कुछ करना अपना अधिकार समझता है। ऐसी ही स्थिति राजनीतियों की है। प्रायः प्रत्येक राजनैतिक दल में महिला उत्थान व उत्पीड़न विरोध के लिए कई महिला सम्भाग व सगठन बने हुए हैं, लेकिन शायद शोषण की शिकार उनकी पदाधिकारी व सदस्य ही होती हैं, इसीलिए भारत में कोई भी महिला आंदोलन सफल होकर अंतिम परिणति तक नहीं पहुँच पाता है। एक कारण यह भी है कि महिला स्वयं ही अपनी 'सास' व 'नन्द' ब्रांड प्रवृत्तियों को त्याग नहीं पा रही है। कुल मिलाकर अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि वर्तमान कानूनों को पूरी तरह से लागू करके व महिला तथा पुरुष दोनों की ही मानसिकता में परिवर्तन लाकर ही कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, साथ ही अभी भी पारिवारिक हिंसा, विवाह के अनिवार्य पंजीयन, पति की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति पर पत्नी का अधिकार, पिता की सम्पत्ति में से पुत्री का भाग स्वतः माँगे बिना नहीं देने को दण्डनीय अपराध मानकर कानून बनाने व उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है, साथ ही अव पुलिस, सेना व अन्य पुरुष प्रधान माने जाने वाले कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अतिरिक्त प्रयत्न कर बढ़ाने की भी जरूरत है, तब ही कुछ सार्थक व स्थायी परिणाम प्राप्त किया जा सकता है।

□□□

मामूहिक विवाह व्यवस्था : प्रचार अधिक उपयोगिता कम

वर्तमान में मामूहिक विवाह ऐसी व्यवस्था हो गई है जिसे प्रगतिशीलता, सद्दिशे पर प्रहार व सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक मान लिया गया है, जब ही तो न जानि, सम्प्रदाय व गठन में इस हेतु पजीवन, परिचय सम्मेलन व विवाह समारोह करने वाले सगठनों की संख्या तेज गति से बढ़ती जा रही है। समाज सेवा के कार्यक्रमों वाली क्षेत्रों को छोड़ कर इस पुण्य कार्य के लिए दौड़े जा रहे हैं। आन्ध्रपंजनक स्थिति तो वह है कि विभिन्न सगठन लाखों रुपए प्रचार पर खर्च ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि परोक्ष रूप से दूसरे ऐसे ही सगठनों को नीचा दिखा व स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के हर अच्छे व बुरे उपाय अपना रहे हैं। इतना ही नहीं सम्भारित व वधुओं व उनके माता-पिता तथा मालिकों को ललचाने का प्रयास भी किए जाते हैं। प्रश्न उठता है क्या वह मात्र कुछ ग्रामों में ही समाज सेवा की भावना से किया जाता है ? क्या मामूहिक विवाह निश्चय ही एक सकारात्मक कदम है ? क्या इनमें परम्परागत युगदोषों पर काबू पाया जा रहा है। भट चाल व क्रिया का भी बिना कारण दुस्कार देने वाले समाज में क्या व विपरीत दिशा में चलना "आवैल मुझे मार" की कहावत को चरितार्थ करने का समाज ही है, लेकिन बंधार्थ का बचान नहीं करना स्वयं का अकाम ही ना है।

सैद्धान्तिक रूप में हमारे जैसे विवाह को अनिच्छता वाले समाज में मामूहिक विवाह निश्चय ही एक प्रगतिवादी व सकारात्मक कदम है, जिसके माध्यम से दहेज प्रथा, विवाह, विधुत व प्रदर्शन साधनों का अपव्यय, वंश

विवाह, अवयस्क लड़कियों के हाथ पीले करने जैसा बुराईयो पर काबू पाया जा सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस माध्यम से समाज में मेल-मिलाप, पिछड़े को सम्मान, विकल्पों वा विस्तार व सात फेरों से पहले भावी पति-पत्नी द्वारा एक-दूसरे को जानने की आवश्यकता जैसे उद्देश्यों को भी एक सीमा तक पूरा किया जा सकता है ? क्या वास्तव में ही सामूहिक विवाहों के माध्यम से यह सब कुछ हो रहा है ? सीधे रूप में इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। इस संदर्भ में सभी गतिविधियों का गहन विश्लेषण किया जाए तब ही तथाकथित समाज सुधारकों, राजनीतिज्ञों व जैसे के बल पर नेतागिरी जमाने के महन्वाकाक्षी व्यक्तियों के ढांचों व प्रचार की पोल खोली जा सकती है।

इसे केवल संयोग नहीं माना जा सकता है कि ऐसे सगठनों के पदाधिकारी अधिकांश मामलों में धनी, लेकिन विचारों से सजीर्ण होते हैं। जो मुद्रा खर्च कर पद, समारोहों में विशिष्ट स्थान व समाचार माध्यमों में प्रचार तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने पुत्र, पुत्री या किसी रिश्तेदार को सामूहिक विवाह समारोह में शामिल कर रुढ़ियों को तोड़ने की अगवाइ का साहस नहीं दिखा सकते हैं। इसके लिए वे लड़के या लड़की द्वारा सहमत नहीं होने, पारिवारिक वृद्धजनों द्वारा इजाजत नहीं देने, परिवार में पहली ही शादी होने या दूसरे पक्ष द्वारा नाराजगी बताने जैसे धोखे बहाने हूँड लेते हैं। यह तो 'चढ़ जा बेटा मूली पर, भला करेगा राम' व 'गुड खाओ व गुलगुलों से परहेज' कहावतों के कथनानुसार व्यवहार करना ही हुआ। जिस सामूहिक विवाह सस्था के पदाधिकारी सामूहिक वेश्यावृत्ति काण्ड के आरोपी, बहू व पत्नी के कुख्यात शोषणकर्ता, परस्त्री गमन के आदती, दूसरी पत्नी, रखैल या बेरी प्राइवेट सेक्रेटरी रहने वाले सफेदपोश हों, वहाँ इस बहाने क्या कुछ करने का नापाक उद्देश्य हो सकता है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इस बात के सैकड़ों प्रमाण हैं कि जैसे वालों व तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा यौन अपराध, महिला या विधवा आश्रमों, बालिका गृहों या इनसे सम्बन्धित कुटीर उद्योगों आदि की आड़ में ही किए जाते रहे हैं। लगता है अब ऐसे समाज सेवकों ने सामूहिक विवाह को इन सबका माध्यम बनाना प्रारम्भ कर दिया है,

योंकि पिछले दिना में सामूहिक विवाह के लिए पञ्चांग होने वाला वालाओं, विधवाओं व बटी उग्र की लडाकियों के मजबूर माता-पिता से अन्यथा उद्देश्य में व्यक्तिगत सम्पत्ति स्थापित करने, उन्हें रोजगार व महायता का तालच देने व विवाह समारोह में अतिरिक्त रूप में अनुगृहीत करने की कई शिमायने व मामले प्रकाश में आए हैं।

विवाहों में होने वाली फिजूलखर्ची उपरो तौर पर कम होती नजर आती है, लेकिन त्यजहार में इसकी मात्रा व कुरीति पर नियंत्रण न तो स्थापित किया जा सका है और न ऐसा उद्देश्य ही प्रतीत होता है। फिजूलखर्ची अब विवाहपनवाजी, बेंच, पम्पलेट, बेज, सामूहिक प्रीतिभोज, विशाल मामवानों, ठहरने आदि की व्यवस्था व राजनेताओं की अगवाइं पर किए जाने वाले खर्चों के रूप में हो रही है। इसके लिए पिछले दिनों शंताम्बर जैन सामूहिक विवाह समारोह को उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है, जिसमें कुल तीन मा व्यक्तियों का पञ्चायन हुआ, लेकिन विवाह पाँच ही हो सके, जिसमें से दो विवाह तो पुनर्निर्धारित ही थे। कुल मिलाकर ऐसे अधिकांश समारोहों में प्रति विवाह खर्चा औसतन उतना ही हो जाता है। खर्चा कुछ मामलों में भले ही कम हो जाता हो, लेकिन वैटवाजो, हाथी-घोड़ों, सजावट, दहेज, निमासी, विदाई, मात, कन्यादान, विनौरी, आरती, लुआलुई आदि पर पैसा उमी प्रकार खर्च किया जाता है व कुरीतियों को पूरा किया जाता है। मच तो यह है कि वही मच कुछ करने के बहाने आयोजक आवश्यकता से बहुत अधिक पैसा खर्च के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसका वही कोई हिसाब न तो वैधानिक रूप से अकैक्षित ही होता है और न ही आयोजक निमा के प्रति जिम्मेदार होने हैं। म्हु वथायं तो यह है कि धीरे-धीरे सामूहिक विवाह करवाना एक व्यवसाय होता जा रहा है। भ्रष्टाचार करने का वास्त्व में यह एक सम्मानित तरीका हो गया है।

इन समारोहों में युवक-युवतियों का परिचय किस प्रकार से करवाया जाता है वह बाचना करने से निमा भी रूप में कम नहीं होता है। सार्वजनिक रूप से लडकी को मच पर छडा कर उमसे उग्र, नैक्षणिक योग्यता, आदती, पारिवारिक पृष्ठभूमि, रिजनेदारों, अपना पसन्द के लडके, साथ निभाने के वादे

आदि के बारे में जिस प्रकार प्रश्न किए जाते हैं वह किसी भी रूप में मानसिक यातना दिए जाने से कम नहीं है। सूचनाओं से सम्बन्धित पुस्तिकाओं की प्रामाणिकता का न कोई आधार होता है और न इसे गम्भीरता से लिया जाता है। यही कारण है कि ऐसे समारोहों में कई शराबी, जुआरी, शादीशुदा, अनपढ़ व व्यसनो विवाह करने में सफल हो गए हैं, क्योंकि एक बार सामने देखकर व्यक्ति के आचरण, स्तर, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, गौत्र आदि के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता है तथा आयोजक संख्या बढ़ाकर अपना प्रभाव बढ़ाने के चक्र में ग्रामीण क्षेत्रों से आए भोले-भाले नागरिकों को थोड़े सब्बबाग दिखाकर व आश्वासन देकर विवाह करने को एक प्रकार से मजबूर कर देते हैं। सुनने को यहाँ तक मिलता है कि दोषपूर्ण लडकों या पुरुषों को वधू दिलवाने के आयोजक पहले से ही सौदे कर लेते हैं। कुल मिलाकर अधिकांश विवाह बेमेल ही होते हैं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से सफल भी कम ही हो रहे हैं।

आश्चर्यजनक रूप से ऐसी संस्थाओं जो व्यक्ति के जीवन का फैसला करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दावा करती हैं, किसी प्रकार की सम्बन्धित जिम्मेदारी लेती ही नहीं हैं। वर या वधू पक्ष में से किसी के साथ भी धोखा हो जाने पर आयोजकों के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे विवाह समारोहों की उपयोगिता तब ही कुछ हो सकती है जब सरकार कानून बनाकर विवाह का पंजीयन करवाने, दोनों ही पक्षों द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं को शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत किए जाने, आयोजकों की जिम्मेदारी को निर्धारित करने, व्यय राशि का हिसाब मान्यता प्राप्त सी.ए. से अंकित करवाने, न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत वर-वधुओं की संख्या आयोजकों या उनके सम्बन्धियों की ही होने, सामूहिक प्रीतिभोज में अधिकतम संख्या की सीमा लगाने की ओर कदम उठाए। आयोजकों को भी ऐसे व्यक्तियों के लडके-लडकियों को शामिल नहीं करना चाहिए जो प्रचार व सामाजिक सम्मान के लिए तो सामूहिक विवाह व्यवस्था में विवाह रचवाते हैं व पर्दे के पीछे दहेज के लिए सौदेबाजी व खुलेआम अलग से प्रीतिभोज देने जैसे कार्य करते हैं। सभी वर-वधुओं की पूरे तामझाम के साथ हजारों लोगों के साथ

भरे बाजारों में सवारी निकालना किसी भी रूप में मर्यादित नहीं कहा जा सकता है। वैसे तो कन्यादान, पर्दे में फेरे, पति को परमेश्वर मानने की प्रतिज्ञाओं से बचने के प्रयत्न किए जाने चाहिए और ऐसा यदि होता भी है तो कन्यादान की रस्म किसी राजनेता, अनैतिक व्यक्ति या किसी अन्य कारण से कुख्यात व्यक्ति से तो नहीं ही करवानी चाहिए।

निष्कर्ष यह है कि ऐसे विवाह समारोहों को अधिक उपयोगी व लोकप्रिय इन्हें आडम्बरहीन व कम खर्चीला बना कर, आयोजकों की वास्तविक सहभागिता बढ़ाकर व प्रचार से दूर रख कर ही बनाया जा सकता है, जिसके लिए जन सामान्य का जागरूक होना बहुत जरूरी है।

□□□

सैक्स का व्यापार : कारण, क्या केवल पैसे की मार ?

“अबोध बालिकाओं को वेश्यावृत्ति के लिए बेचा”, माँ ने पुत्री को धंधे के लिए विवश किया”, “रंगरेलियाँ करते चार जने गिरफ्तार”, “विश्वविद्यालय परिसर में कॉल गर्ल्स का फैलता जाल”, “कॉल गर्ल्स की संख्या में दस गुना वृद्धि”, “सड़कों के किनारे वेश्याओं के फैलते अड्डे” यह कुछ समाचार शीर्षक हैं जो समाचार पत्रों में आम होते जा रहे हैं। दूसरी ओर पिता या भाई द्वारा पुत्री या बहन से बलात्कार, अध्यापक या गाइड द्वारा मामूम छात्रा या परिपक्व रिसर्च स्कॉलर से छेड़छाड़, राजनैतिक नेता या धनाढ्य व्यापारी से महिला कार्यकर्ता या कर्मचारी के अवैध सम्बन्ध, तीन बच्चों की माँ प्रेमी के साथ फरार, साँतेली माँ व पुत्र में नाजायज हरकत व टॉक्टर-नर्स के काले कारनामों के समाचार भी सुर्खियों में स्थान बनाने लगे हैं। इसी प्रकार स्कूल स्तर के बालक-बालिकाओं के बीच प्रेम प्रसंगों, यौन आकर्षण पर आधारित प्रेम विवाहों, तलाकों, अवैध गर्भपातों व जबरन यौनाचार के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। फिल्मों में सैक्स, पोशाक में कामुकता व व्यवहार में खुलापन सीमाएँ लाँच रहा है। संगीत के माध्यम से स्वतंत्र यौनाचार की शिक्षा देने वाले माइकल जैक्सन व बाबा सहगल युवा पीढ़ी के आदर्श बनते जा रहे हैं। इस संदर्भ में चिन्तन नहीं, बल्कि चिन्ता की बात यह है कि सैक्स के प्रति हमारे विचारों में आधारभूत परिवर्तन हो रहा है या इसका शोषण बढ़ रहा है ? जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसके पीछे आखिर कारण क्या हैं ? क्या हमारा समाज भी निकट भविष्य में स्वच्छंदता का

पर्यायवाची बनने जा रहा है ? यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनके उत्तर पर हमारे भविष्य का बहुत कुछ टिका हुआ है।

भारतीय सस्कृति में सैक्स को एक पवित्र क्रिया के रूप में माना गया है। तब ही तो इस सवध में प्राचीन ऋषियों तन्त्र ने विश्वविख्यात ग्रंथ लिखे हैं, जिनका स्थान धीरे-धीरे समाज की सोच तथा परिस्थितियों व जीवन के प्रति दृष्टिकोण में हो रहे परिवर्तन के कारण सैक्स पूजा का नहीं बल्कि व्यग्रमाय का माध्यम होता जा रहा है। जैसे तो जब में समाज रूपी सस्था का उदय हुआ है वेद्यावृत्ति का अस्तित्व रहा है तथा वर्तमान में भी ऐसा कोई राष्ट्र, राज्य या समाज नहीं है जिसमें इस बुराई का स्थान नहीं हो, लेकिन वर्तमान समाज में वेद्यावृत्ति के रूप जिस प्रकार बदलते जा रहे हैं, इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है व समाज की घृणा कम होती जा रही है, वह निरचय ही चिन्ता का विषय है। एक अवोध बालिका, पुत्री, बहन या बहू से वह अनैतिक आचरण करने वाला मानव तो नहीं समझा जा सकता है। एक पत्नी के साथ व्यभिचार होता कौन देख व सहन कर सकता है ? माँ या बहन के पवित्र रिश्ते को देखते हुए उसे कमाई का माध्यम आखिर कोई बयो बनाता है ? इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है - पैसा ! फिर प्रश्न उठता है पैसा आखिर किस लिए ? जीवन चलाने के लिए या जीवन सजाने के लिए ? इस बुराई से जुड़े व्यक्तियों अर्थात् स्वयं वेद्याओ, मर्यादित वेद्याओ तथा उनसे सम्बन्धित दलालों व मालिकों की मनोवृत्ति, सोच व जीवन मूल्यों का गहन विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि यह कार्य भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग उद्देश्यों से किया जाता है।

यह जीवन का कटु यथार्थ है कि भूख व्याक्त को कोई भी पाप करने को बाध्य कर देती है और गरीब की नैतिकता, धर्म व सदाचार पेट भरने की जुगाड करने तक ही सीमित होकर रह जाती है। यही कारण है कि महानगरी वम्बई में अधिकांश वेद्याएं भूटान, नेपाल, मणिपुर व दक्षिण भारत के अति पिछड़े प्रदेशों से आती हैं। अवोध बालिकाओं, त्याज्य गरीब महिलाओं को इस धधे के लिए लुभाना बड़ा आसान होता है। जिन्दा रहने के लिए अपनी आत्मा को मारने का सौदा उन्हें करना पड़ता है। यह केवल सयोग ही नहीं है

कि भारत में गरीबों, बेरोजगारों, भिखारियों व बीमारों की संख्या के साथ ही गर्म मौसम का व्यापार व इससे सम्बद्ध लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जबकि सरकारी व गैर-सरकारी सुधार संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं व समाज सुधारकों द्वारा इस क्षेत्र में बहुत काम किया जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, आगरा व मद्रास जैसे शहरों में जिस फरोसी के धंधे में लगी अभागी महिलाएँ व बच्चियाँ एक ही दिन में अनेकों 'भेड़ियों' से मुकाबला करने के बाद भी केवल पेट की भूखामि को ही बड़ी मुश्किल से शांत कर पाती हैं। वही हाल बाकी शहरों, कस्बों व गाँवों का है, जहाँ लाखों की संख्या में पीड़ित परिवार व उपेक्षित प्रजातियाँ यह धधा करते रहने को विवश हैं। इसके अलावा भी समाज में अपनी तथाकथित इज्जत बचाने के लिए कितनी मजबूर महिलाओं को पर्दे के पीछे अपनी इज्जत बेचनी पड़ती है इसकी गिनती करना असम्भव है। पिता व पतिहीन महिला जिसके पास अर्थ के नाम पर शून्य होता है अपनी इज्जत बचाते हुए पेट भरने की लाख कोशिश करे, केवल अपवाद स्वरूप ही सफल हो पाती है।

इस विवेचन से क्या यह निष्कर्ष निकाल लिया जाए कि ऐसा सब कुछ केवल पेट की भूख शांत करने के लिए ही किया जाता है? हो सकता है अधिकांश मामलों में ऐसा सही है, लेकिन समाज में जिस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक व नैतिकता संबंधी परिवर्तन आ रहे हैं, उनसे व्यक्ति में स्तर, आधुनिकता, पहुँच व जीवन को जीने सम्बन्धी कई प्रकार की नई भूखें व तृष्णाएँ तेजी से उत्पन्न हो रही हैं। हर कोई एक-दूसरे से अधिक सम्पन्न, खुशहाल व प्रगतिशील दिखाई देना चाहता है। उपयोग की संस्कृति का विकास बहुत तेजी से ही नहीं बल्कि विनाशकारी तरीके से हो रहा है। हर कोई (विशेष रूप से मध्यम आय वर्ग वाला व्यक्ति) जल्दी से जल्दी अपने घर में फ्रिज, टीवी, टेलीफोन, टेपरिकार्डर व सोफा आदि लाना, बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाना, विवाह की सालगिरह व जन्म दिन मनाना, हिल स्टेशन पर जाना, महँगी पार्टियाँ देना, स्वयं का मकान बनाना तथा हर प्रकार से अपने स्टेटस को बनाना चाहता है, क्योंकि मनुष्य की आदत अपने से नीचे वाले को नहीं बल्कि ऊँचे वाले को देखने व उससे होड़ लेने की होती है। ऊँचा

दिखने की इस टोट को जानना वा बहुत दूर की बात है, इसमें बने रहने के लिए ही बहुत महत्त्व की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम सब में प्रतिक्रिया बढ़नी चाहिए है। हम आधुनिकता की तरफ में इतने आहत हैं कि कुछ करके कुछ प्राप्त करना हेतु बिना कुछ किए ही मज कुछ प्राप्त कर लेना सम्मान की दृष्टि में देखा जाता है, लेकिन इस प्रकार जीवन में 'मफल' कुछ ही व्यक्ति हो पाते हैं। स्पष्ट कहा जाए तो ऐसी मफलना भ्रष्टाचारियों, काला-बाजारियों व मुनाफाखोरा को ही मिल पाती है। ऐसे में बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति इस मूल गम्मे को चुनते हैं। सामान्यतया इस बात का रोना रोया जाता है कि प्रभावशाली गजनीतिज्ञ, अफसर, बुद्धिजीवी व व्यवसायी अपने अर्धान कार्यरत महिलाओं का यौन शोषण करते हैं तथा इस बात में मत्वना का अंश भी बहुत अधिक है, लेकिन प्रश्न उठना है क्या वह मज कुछ हर वार किसी दबाव में ही होता है? चुनावों से पूर्व पार्टी टिकट माँगने के लिए लाइन लगाने वाली, दूसरे का दफ्तर मारकर तुरन्त तगड़ी चाहने वाली, बिना कुछ किए व स्तरहीन होने पर भी पी एचटी उपाधि की चाहना रखने वाली, बिना योग्यता व अनुभव के नोकरी चाहने वाली महिलाओं के सवध में ऐसा नहीं माना जा सकता है। वही हाल मिनेमा व दूरदगंन के पदों पर अपनी एक झलक भर देखने, बिना काम के सरकारी महायता प्राप्त करने, निर्धारित मानदंडों को पूरा किए बिना विद्यालय की मान्यता लेने, अनुचित रूप से सरकारी पुरस्कार वा सम्मान चाहने की आकांक्षा रखने वाली महिलाओं का है।

पश्चिमांतरण की बढ़ती प्रवृत्ति, आधुनिकीकरण की गलत धारणा, मचार माध्यमों में हो रही क्रान्ति, घटती जा रही भौगोलिक दूरियाँ, महिला आंदोलनकारियों के बढ़ते जा रहे प्रभाव, स्त्री-पुंग्य की बढ़ती समानता, नोकरीपेक्षा महिलाओं की बढ़ती सख्या जैसे कारण भी यौन विकृतियों व स्वच्छंद यौनाचार के लिए जिम्मेदार हैं। जहाँ दबाव वाला तत्व महत्त्वपूर्ण होता है। जीवन में बढ़ती जा रही आपाधापी, समयाभाव, क्रमाने की बढ़ती जा रही अनावश्यक लालमा, अहम् का टकराव, रूभी जात नहीं हो सकने वाली भौतिक वस्तुओं की लालमा आदि कारण भी अनैतिक आचरण को प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज स्कूल के छात्र-

छात्राओं में योनाकर्षण बढ़ने के लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से फिल्मों व टेलीविजन कार्यक्रमों को। जैसे-जैसे हमारा रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, शिक्षा व्यवस्था व सामाजिक पर्यावरण पश्चिमी सोच के अनुरूप होता जा रहा है। यौन प्रवृत्तियों की स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि स्वच्छंदता के बढ़ने को रोका नहीं जा सकता है, इसलिए जीवन के यथार्थ को स्वीकार करके ही कुंठा, असंतोष व द्वंद्व रहित जीवन की कल्पना की जा सकती है। सरकारी कानूनों, सामाजिक मर्यादाओं व मामूहिक दबाव से जीवन धारा को कुछ ही समय रोककर रखा जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए बाँध कर नहीं। यौन शोषण से मुक्ति के लिए गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन की समाप्ति के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्वेच्छापूर्ण स्वच्छंदता को न तो रोका जा सकता है और न रोक ही जाना चाहिए, क्योंकि किसी के विचारों, क्रियाकलापों व नैतिक स्तर पर आक्रमण करना किसी व्यभिचार से कम नहीं है। इस समस्या के हल के लिए केवल कानून बनाने, भाषण देने व सरकारी पैसा बहाने से काम चलने वाला नहीं है। आवश्यकता है समाज में इस संबंध में जागृति पैदा करने, मजबूर महिलाओं, परिवारों व प्रजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्तर में वृद्धि करने, यौन शिक्षा को प्रोत्साहित करने, महिला-पुरुष सम्बन्धों को स्वाभाविक मानने व प्रचलित कानूनों को वस्तुनिष्ठ भाव व तत्परता से लागू करने की। तब भी समस्या के अन्त की नहीं बल्कि कुछ नियंत्रण की ही आशा की जा सकती है।

□□□

आधुनिकता की अंधी दौड़ : सबकी वर्षादी की बस होड

आधुनिकता, ऐसा शब्द है जो हर एक को आकर्षित करता है और हर कोई आधुनिक दिखना चाहता है। आम भारतीय आधुनिकता का अर्थ केवल पश्चिमी पहनावे, स्वच्छद आचरण, पुरानी परम्पराओं व मान्यताओं के विरोध, अंग्रेजी भाषा व भारतीयता के विरोध में ही लेता है। इन्हीं से प्रभावित होकर हमारे समाज में शराब, सिगरेट, प्रेम विवाह, तलाक, एकल परिवार, विवाहेतर यौन सम्बन्धों, महानृत्य, स्वच्छद यौगचार आदि प्रवृत्तियाँ तेजी से बढ़ती जा रही हैं। पश्चिमी नृत्य, गानों व फिल्मों की युवा पीढ़ी दिवानी होती जा रही है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों, ब्यूटी पार्लरों, फैशन परेडों, सौंदर्य प्रतियोगिताओं, शराब पार्टियों, सेक्स पत्रिकाओं, विपरीत लिंग वालों से मित्रता का चलन रफतार पकड़ रहा है। स्त्रियों में शराब, सिगरेट व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन, विवाहित जोड़ों में विनिमय यौन सम्बन्ध, सम्भ्रान्त वेश्यावृत्ति, अश्लील साहित्य व दृश्य-श्रव्य साधनों के प्रति घृणा कम होती जा रही है। प्रश्न उठता है कि क्या इस सबको ही आधुनिकता कहने है? और यदि यहाँ आधुनिकता है तो क्या हमें परिवर्तन ही जीवन है व दौड़ने का दूसरा नाम ही जीवन है के आदर्श को मानकर इसे अपनाना चाहिए।

आधुनिकता वास्तव में मूल रूप से विचारों से आनी चाहिए। इसका मतलब छुआछूत, देहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न, लिंग भेद, पदांग्रथा, अनावश्यक दिखावा, बेमेल विवाह जैसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना है। आधुनिक व्यक्ति में जाति प्रथा, साम्प्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, क्षेत्रीयता, भ्रष्टाई संकीर्णता

के विरोध किए जाने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन हमारी वास्तविकता क्या है? हर मामलों में हमारा आचरण दोहरा है। हम आधुनिक बनना नहीं बल्कि दिखना भर चाहते हैं। दुर्भाग्य से दहेज की बुराई सम्भ्रांत, पढे-लिखे व सुसस्कृत कहे जाने वाले लोगों में ही बढ़ती जा रही है। लोग टाँगों में जीन्स, कानों में वाली, खुले बटन की कमीज पहन व बाल बढ़ा कर अपने आपको आधुनिक कहलवाने का चाव रखते हैं। इससे पीड़ित भी उसी लड़की के माता-पिता अधिक होते हैं, जो ऊँची ऐडी के सैन्डल, नाभी के नीचे साड़ी, कट स्तिब्ज का ब्लाउज या पुरुषों से मिलती पोशाक पहन कर उस बदन पर इतराती रहती है जो प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि ब्लिच, फेसियर व बाल सज्जिका के बल पर सुन्दर दिखना भर है। दहेज के खुले बाजार में भारतीय प्रशासनिक सेवा, सी.ए., डॉक्टर्स, प्रोफेसर, इंजीनियर जैसे अधिकारियों, अमेरिकी ग्रीन कार्ड धारकों, राजनीतिज्ञों के रिश्तेदारों आदि की खरीद की बोली ऐसे ही तथाकथित आधुनिक लोग लगाते हैं। दहेज के कारण उत्पीड़न, मनमुटाव व तलाक के मामले ऐसे ही परिवारों में ज्यादा बढ़ रहे हैं। दिखावे की आधुनिकता के लिए ऐसे परिवारों में ही नारी को शराब पीने, माँसाहार को अपनाने, पराये मर्द के साथ नाचने, स्वच्छंद तबियत वालों की पार्टियों में हिस्सा लेने व पर्दे की ओट में पता नहीं क्या-क्या करने को मजबूर किया जाता है? ऐसे ही घरों में देवर-भाभी, जीजा-साली ही नहीं, बल्कि रिश्ते की भाई-बहन के सम्बन्ध भी विकृत होते जा रहे हैं। भावना व संवेदना की शून्यता यहाँ ही ज्यादा महसूस की जाती है। अगर यही आधुनिकता है तो इसे नहीं अपनाना व इस पर नहीं इतरना ही अच्छा है।

भारत में अंग्रेजी में बोलना आधुनिकता की पक्की निशानी माना जाता है, लेकिन ऐसे आधुनिकों की सही दशा का चित्रण किया जाए तो दया आए बिना नहीं रह सकती है। पब्लिक स्कूलों में पढने वाले अधिकांश विद्यार्थी शुद्ध अंग्रेजी की बात तो बहुत दूर है, सामान्य अंग्रेजी भी मुश्किल से ही बोल पाते हैं। वे हल्लो, हॉय, बॉय, ओके तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। अंग्रेजी वे सीख नहीं पाते हैं व हिन्दी या अन्य भारतीय भाषा बोलते नहीं हैं। इस तरह उनकी स्थिति एक त्रिशंकु जैसी होकर रह जाती है। वे अपनी इस हीन

भावना को दवाने के लिए बिना वजह वालों व नाखूनों को बढ़ाने, कानों को बिदवाने, महिलाओं जैसे कपडे पहनने जैसे अंटसंट कामों में लगे रहते हैं। आधुनिकता के इस चक्कर में लोग अपने मासूम बच्चों का वर्तमान और भविष्य दोनों ही वर्वाद कर रहे हैं। समय पूर्व स्कूल में भर्ती करवाने, विदेशी भाषा सीखने को मजबूर करने, आया के सहारे जीने को छोड़ देने को आधुनिकता कहने का क्या मतलब है ? इसी के नाम पर बच्चों को दूध पिलाने से परहेज करने, उन्हें प्यार-दुलार से वचित करने, स्लिम होने के चक्कर में काया को सुखा देने व रोग पाल लेने, किटी पार्टियों के कारण पारिवारिकजनों के सान्निध्य से दूर रहने, पति या पत्नी से विमुख होकर कहीं अन्य 'आनन्द' के लिए भटकने, सगे-सम्बन्धियों से अलग रहने को तो दासता के मार्ग पर चलना ही माना जाएगा। कैसी अजीब स्थिति है, स्वच्छंद विचरण करने की चाह रखने वाली 'आधुनिक' चुगलखोरी करने, सास-बहू व ननद-भाभी के रिश्तों से आहत होने से बच नहीं पा रही है, पराई स्त्री की स्वस्थ स्वतंत्रता भी उससे सहन नहीं हो पा रही है, अपने पति द्वारा दूसरी स्त्री से हैस कर बात भी कर लेना उसे रास नहीं आता है। माँग से सिन्दूर, पैर में पायजेब, गले में मंगलसूत्र, अंगुली में चुटकी वह उतार नहीं पा रही है। कारण स्पष्ट है - आम महिला विचारों से आधुनिक यानि विकासवादी सोच रख ही नहीं पा रही है। उसका उद्देश्य केवल आधुनिक दिखनाभर है। ऐसे ही दिखावे के शिकार अधिकांश आधुनिक कहे जाने वाले पुरुष हैं। बातचीत में अल्ट्रा मॉडर्न होने का दावा करने वाले पुरुष अपनी बहन या पत्नी को अनजान पुरुष से बातचीत करते, प्रेम विवाह की हठ करते, पढ़ने के लिए अकेले रहने का आग्रह करते ही आपसे बाहर हो जाते हैं। यह आधुनिकता का उपहास नहीं तो क्या है ?

झूठी आधुनिकता ने हमारे समाज को किस विकृति तक पहुँचा दिया है इस पर विचार करना समय का सबसे बड़ा तकाजा हो गया है। आज फलुलस, फेन्टेसी व बी.एम एड्स जैसी पत्रिकाएँ यौनाचार प्रसारक का काम खुलेआम कर रही हैं। मशाज व पार्लरो की आड में वेश्यालय चल रहे हैं। समूह में ब्ल्यू फिल्में देखी जा रही हैं, दस वर्ष की बालिका से 'चोली के पीछे क्या है' गाने पर नृत्य करवा कर माता-पिता इतरा रहे हैं व बच्चों के साथ बैठ

कर घर के बुजुर्ग 'ए' श्रेणी की फिल्में देख रहे हैं। ब्याव व गर्ल फ्रेंड होना प्रत्येक प्रकार का नशा करना, समय में नहीं आने पर भी अंग्रेजी फिल्में देखना, शादी के तुरन्त बाद हनीमून पर जाना, बच्चों को स्तनपान नहीं करवाना, आधुनिकता की पहचान हो गया है। इस कारण से बच्चा शारीरिक विकास से वंचित व असहाय रोगों से पीड़ित हो जाता है, आधुनिक माताओं को इसकी कोई चिन्ता नहीं है। किटी पार्टियाँ समय की बर्बादी ही नहीं बल्कि जुआ, शराब, अश्लीलता व लापरवाही की प्रेरक स्थल भी होती जा रही हैं।

आधुनिकता से प्रेरित नारी स्वतंत्रता आंदोलन के कारण सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था किस प्रकार छिन्न-भिन्न हो रही है इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। एकाकी परिवारों के बढ़ते चले जाने के कारण बृद्धों व बच्चों की उपेक्षा, पति-पत्नी में आपसी तनाव, परिवारों की दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। सामाजिक नियंत्रण, लोकलाज, बडों की तहजीब जैसे तत्वों का तो महत्व समाप्त सा ही हो रहा है। हर कोई तनावग्रस्त नजर आ रहा है। आश्चर्य है महिलाएं झाड़ू व पोंछा लगाने के स्वाभाविक व्यायामों को छोड़ कर जिम का सहारा ले रही हैं। स्टेंडिंग रसोई के कारण हिप्स की मोटाई, कमर की चौड़ाई व पीठ तथा कमर के दर्द को बढ़ा रही हैं। निजी जिन्दगी में खलल नहीं पड़े इसलिए बच्चों को छात्रावासों में भर्ती करवा रही हैं। अब तो धीरे-धीरे अविवाहित रहने पर भी मातृत्व का 'सुख' भोगने वाली साहसी बालाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। सरेआम सिगरेट या शराब पीना, पर-पुरुष से आलिंगनबद्ध होना, विवाह की आयु निकल जाने के बाद इस रस्म की पूर्ति करना, आधुनिकता की निशानी समझा जाने लगा है।

आधुनिकता की इस दौड़ ने हमारे सभी सुसंस्कार, आदतें व रीति-रिवाज छीन लिए हैं। हम जल्दी सोना, जल्दी उठना, उठते ही पानी पीना, मल त्याग के लिए जाना, माता-पिता को प्रणाम करना आदि सब कुछ भूलते जा रहे हैं। आश्चर्य है केवल आधुनिक दिखनेभर के लिए हम आयुर्वेदिक जैसी हानिरहित व हजारों वर्षों से आजमाई हुई चिकित्सा पद्धति को भूल कर हर प्रकार से हानिकारक एलोपैथी को अपना रहे हैं व फैमिली डॉक्टर नियुक्त कर रहे हैं। जैसे बीमार तो हमें हमेशा रहना ही है। हम ऐसे हर काम को दकियानूसी मानने लगे हैं जिससे बीमार

होना ही नहीं और महंगा इलाज करवाना भी हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। आज परम्परागत त्यौहारों से अधिक महत्वपूर्ण बड़ा दिन हो गया है। हमारी मानसिकता ही हर उस बात की खिल्ली उड़ाना जो भारतीय है व उसे स्वीकार करना जो विदेशी है, की हो गई है।

इस बेसमझ आधुनिकता से समाज में तनाव, कुंठाओं, नीरसता, अक्रोश, अज्ञान, हीन भावना को ही बढ़ावा मिला है, क्योंकि केवल आचरण, दिखावा व जवान तक ही तथाकथित आधुनिकता आ रही है। इससे विचार आधुनिक नहीं हो सके हैं। हम वास्तव में त्रिशंकु बन कर ही रह गए हैं।

□□□

युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति : समाज कितना दोषी ?

इन दिनों आत्महत्या के मामले इतने अधिक बढ़ते जा रहे हैं कि दैनिक समाचार पत्रों में इनके समाचारों के बीच संस्था चुनाव, धरना प्रदर्शन व नगर में आज जैसे ही स्तम्भ बनने लगे हैं। इस सम्बन्ध में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि ऐसी घटनाओं से आम व्यक्ति ने अचम्भित, दुखी व सम्बद्ध होना ही बंद कर दिया है। प्रश्न उठता है, क्या आत्महत्या करना किसी का व्यक्तिगत मामला है या सामाजिक समस्या ? यह चाहे जो कुछ भी है इसको रोकने की चिन्ता प्रत्येक व्यक्ति, समाज व सरकार को लेनी चाहिए, इस तथ्य को इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ भी सकारात्मक करने से पूर्व उसके कारणों को जानना अति आवश्यक है। इसके लिए समाज शास्त्रीय सोच, वर्तमान के सामाजिक यथार्थ व जीवन के विभिन्न पक्षों की गहराई से जानकारी का होना जरूरी है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार आत्महत्या अपनी इच्छा से और जानबूझकर की जाने वाली आत्म हनन की क्रिया है। यानी यह किसी की व्यक्तिगत व स्वैच्छिक क्रिया है। दूसरी ओर प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुखीम सहित अधिकांश विद्वान इसे सामाजिक घटना मानते हैं, क्योंकि आत्महत्या व्यक्ति पर उसके समूह के एक अस्वस्थ दबाव का ही परिणाम होती है। इसीलिए माना यह जाता है कि आत्महत्या स्त्रियों की तुलना में पुरुष, ग्रामीण की तुलना में शहरी, विवाहितों की तुलना में अविवाहित, सुहागिनों की तुलना में विधवाओं तथा संतान वालों की तुलना में निसंतान वालों द्वारा अधिक की जाती है। इन निष्कर्षों को मोटे रूप में मान लिया जाए तो

आत्महत्या स्वतः सामाजिक परिणतियों से प्रभावित ऐसी व्यक्तिगत क्रिया हो जाती है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्पूर्ण समाज पर पड़ता है, इसलिए इस समस्या का हल खोजने का दायित्व भी समाज पर आ जाता है।

पिछले दिनों जयपुर में प्रेमी-प्रेमिका द्वारा एक साथ आत्महत्या करने से पूर्व कथाकथित रूप से विवाह रचाने से प्रेमिका द्वारा सुहाग के प्रतीक वस्त्र, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र व माँग को धारण करने, मरने में पूर्व एक दूसरे के गले लिपटने व स्वेच्छापूर्वक ऐसा कृत्य किए जाने संबंधी पत्र लिख कर जाने की जमी घटनाएँ बढ़ रही हैं। उमें दो पीढ़ियों में बढ़ते अन्तर, युवाओं में स्वतंत्र निर्णयों के लिए वगावत करने की बढ़ती प्रवृत्ति, परम्परागत भारतीय विचारों पर बढ़ते पश्चिमी प्रभाव, टेलीविजन की चकाचौंध में चिन्तनपूर्वक निर्णय लेने की शक्ति क्षमता व प्रेम करने वाले हर युवा को गलत समझने की धारणा के मदर्भ में देखने से ही कारणों को कुछ गहराई से समझाया जा सकता है। जिस लड़का-लड़की का प्रेम इतनी कुर्बानी देने की ऊँचाइयाँ छू चुका हो और जिनके माता-पिता, नजदीकी रिश्तेदार, मित्र व समाज केवल अपने थोड़े अहम्, तथाकथित बदनामी, जाति बन्धनों के प्रपचों व किसी आर्थिक लाभ के लालच में इस बथार्थ को जानबूझ कर स्वीकार नहीं करें, प्रेमी युगल के मामले पर छोड़कर चले जाने या दुनिया ही छोड़ देने के अलावा विकल्प बचता भी क्या है ? हमारा समाज जिस सक्रमण काल से गुजर रहा है उसमें सामाजिक व पारिवारिक परम्पराओं, यौन सम्बन्धों पर सीमाओं, परिवार व समाज से जुड़े रहने की मजबूरियों व समाज पर व्यक्ति की निर्भरता जैसे तत्वों में आधारभूत अन्तर नहीं आया है। इसी कारण से युवा अपने प्रेम का सार्वजनिक प्रदर्शन करने, वयस्क के रूप में मिले अधिकारों का उपयोग करने, प्रेम को न्यायालय के माध्यम से विवाह में बदलने, विरोध करने वालों से तर्कपूर्ण वार्ता करने व घर से बाहर निकलने देने जैसे बंधनों का प्रतिकार करने का साहस नहीं जुटा पाता है। दूसरी ओर आज का युवा परिणाम प्राप्ति की जीव्यता में इन्तजार, सहनशीलता व समन्वय जैसे शब्दों का अर्थ ही भूलता जा रहा है। इसी आतुरता में वे आत्महत्या के विकल्प को ही चुन लेते हैं।

युवाओं में आत्महत्या में हो रही वृद्धि दर के लिए टेलीविजन के

माध्यम से स्वछंदतापूर्वक परोसी जा रही हिंसा, कामुकता, हर प्रकार की परम्पराओं का विरोध करती आधुनिकता व वर्जनाओं को हर कीमत पर तोड़ने की सीख जिम्मेदार है। स्वाभिमान, जुनून, शांति जैसे प्रत्येक मेधा सीरियल में वह सब कुछ करने की प्रेरणा दी जाती है जिसे हमारे समाज में करना एक प्रकार से असम्भव सा ही है। इन सीरियलों में सैन्य के लिए प्यार के झोंग, विवाहेतर सैक्स सम्बन्धों, एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों से सम्बन्ध, ब्लैकमेल, पैसे के दम पर पराई स्त्री का पुरुष खरीदना या पाप के सामने बच्चों द्वारा अपने प्रेम सम्बन्धों की खुल कर चर्चा करना, पैसे के लिए जिंम बेचने के अलावा क्या दिखाया जाता है? भारतीय समाज की दृष्टि से सरासर ऐसे झूठे चरित्रों से करवाई गई स्वाभाविक एवटंग के अनुसार युवक-युवतियाँ जिन्दगी को नहीं पाती हैं तो उनमें कभी हल नहीं हो सकने वाली कुंठाएं जन्म लेती हैं। ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला दृढ़ इच्छाशक्ति, तर्कपूर्ण सोच व उच्चाकांक्षाओं पर नियंत्रण से ही किया जा सकता है; जिन्का सर्वथा अभाव होने के कारण अपने ही अस्तित्व को समाप्त करने का सरल लेकिन भीरुतापूर्ण रास्ता अपनाया जाता है।

यह तथ्य विडम्बनापूर्ण ही है कि साक्षरता, शिक्षा, आर्थिक विकास व आधुनिकता के साथ ही दहेज, मातृहीनता, विवाह विच्छेद, पारिवारिक विघटन व रोमान्स के कारण होने वाली आत्महत्याओं का ग्राफ भी उसी गति से बढ़ता जा रहा है। दहेज के कारण आत्महत्याएँ व इसके लिए मजबूर करने की हरकतें दुर्भाग्य से शिक्षित, सम्भ्रांत व आधुनिक दिखने वाले परिवारों में ही अधिक हो रही हैं। आज समाज में दिखावे की प्रवृत्ति जिस प्रकार बढ़ती जा रही है, उसी कारण से दहेज के दानव का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षित की अनुपयोगिता व आम रूप से फैल रही अकर्यण्यता ने दहेज की विकृति को बढ़ाया ही है। अमीर दिखने, अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग करने व हर एक को पीछे छोड़ देने की हवस ने विवाह के बाजार में आम लडके की कीमत को भी बहुत अधिक बढ़ा दिया है, इसीलिए मिडलची परिवारों की उपेक्षित, उत्पीड़ित, उम्र में बड़ी, लेकिन स्वाभिमानि तथा माता या पिता विहीन लडकियों के सामने मभी विपत्तियों से हल का केवल उपाय

अपने को समाप्त कर लेने का ही रह जाता है। विवाह के बाद महिला को घर की जूती व उसके परिवार वालों को हेय समझने की मानसिकता से हम मुक्त नहीं हो सके हैं तथा दूसरी ओर टेलीविजन, समाचार पत्र व पत्रिकाओं के द्वारा नारी को विद्रोह करने की शिक्षा दी जा रही है, इसीलिए जरा सी मनचाही नहीं होने पर वास्तव में विद्रोह नहीं कर नारी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती है। नये वातावरण ने नारी को साहसी, विद्रोही व सतर्क बनाने के स्थान पर भ्रम, भयभीत व निराश बना दिया है। लोकलाज, समाज व पुरुष की महत्ता उसे आज भी स्वीकार करनी पड़ी है। सतानहीन होना आज भी किसी बीमारी, शारीरिक दुर्बलता या पति की कमजोरी का परिणाम नहीं बल्कि भगवान का अभिशाप ही माना जाता है। कामकाजी, शिक्षित व प्रबुद्ध महिलाएँ संतानहीन होने की स्थिति में मास, नन्द, पति व समाज के तानों को स्वाभाविक रूप से सहन नहीं कर पाती हैं तथा प्रतिवाद करने का साहस जुटा पाना उस स्थिति में उनके बस का होता नहीं है। ऐसे में निराशा का रास्ता या क्रोध के कारण आत्महत्या को अपना लिया जाता है।

मानसिक कारणों से होने वाली आत्महत्याओं की संख्या भी असामान्य रूप से तेजी से बढ़ती जा रही है। यहाँ संवेगात्मक अस्थिरता, निराशा, हीन भावना, मद बुद्धि व मानसिक रोग जैसे कारणों को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नौकरी के लिए दी गई परीक्षा में असफल होने, साधियों के सामने किसी द्वारा डाट दिए जाने, मोटर साइकिल के क्रैश के लिए राशि उपलब्ध नहीं करवाने या शराब आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लग जाने जैसे कारण पर आत्महत्या होने की घटनाएँ आज हो चली हैं। अच्छे स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर दो-अढ़ाई साल के बच्चों को स्कूल भेजने, होम वर्क, नियमितता व अनुशासन के नाम पर उन्हें दबाए रखने, हर बच्चे से हर क्षेत्र में शीर्ष सफलता की अपेक्षाएँ रखने, उन्हें आया या टीचर के भरोसे छोड़ देने, बहुत छोटी उम्र से ही छात्रावास के हवाले कर देने व व्यस्त माता-पिता द्वारा उन्हें प्यार किए जाने की औपचारिकता भर निभाने जैसे परोक्ष कारणों से उनकी मानसिकता विद्रोह या हताशा की हो जाती है। दोनों ही स्थितियों में जरा से विपरीत वातावरण में आत्महत्या की आशकाएँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। बेमेल

विवाह, विवाहोपरात आपसी तालमेल के अभाव, कायंगाल पति वा पत्नी द्वारा क्रिमां अन्य के साथ सम्बन्धों की घनिष्ठता व पत्नी द्वारा पति में आगे बढ़ जाने जैसे कारण वर्तमान में विवाहित व्यक्तियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

युत्पन्न की ओर तेजी से बढ़ रहे सामाजिक जीवन, उन्मुक्ततापूर्ण प्रदर्शनों व थोथी आधुनिकता के चक्र में नजदीकी मित्र व रिज्तेदार, फेमेली डॉक्टर व अध्यापक, आफिस के कर्मचारी व नौकर तब कम आयु की लड़कियों से मंत्रसम्बन्ध स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। दुर्भाग्य से मसुर व बट, चाचा व मामा के बच्चों, डेवर व भाभी, यहाँ तक कि सीतेली माँ वा बेटों में गारारिक सम्बन्ध स्थापित होना आम वान मौ हो गई है। ऐसे सम्बन्धों का रहस्य युत्पन्न पर मूल रूप से ऋद्धिवादी इस ममाज में आत्महत्या स्वतः श्रेष्ठ विकल्प बन जाता है। धनी होने के लिए नए पीढ़ी के लोग गरीर, ईमान, रिज्ना, नैतिकता, आपसी विग्रवाम मवजा मौटा करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वांछित सफलता नहीं मिलने पर कानून व समाज के डर में इस भीरुतापूर्ण रास्ते को चुन लेते हैं। इन परिस्थितियों में आत्महत्या को क्रिमां भी रूप में किसी का भी व्यक्तिगत मामला नहीं माना जा सकता है। यह एक सामाजिक बुराई है जो सामाजिक मान्यताओं के परिवर्तन के इस संक्रमण काल में बुराओं में ज्यादा बढ़ रही है, जिसे उन्हे गले लगा और अधिक बढ़ने में रोका जा सकता है, तिरस्कार करके नहीं।

□□□

देश वचाओ नारे का यथार्थ : वस आह्वानकर्ताओं का स्वार्थ

प्रथम आम चुनाव से लेकर आज तक प्रायः प्रत्येक राजनतिक दल 'देश को वचाने' के लिए अपने नेता के हाथ मजबूत करने का आह्वान चुनावों पर मंत्र-मन्त्र के समर करता रहा है। समय-समय पर देश में साम्प्रदायिकता, अन्तगायनाद, विदेशी आक्रमण, आतङ्काद, विदेशी हस्तक्षेप आदि का भय दिखा कर चुनाव जीतने के लिए जनभावना के साथ छिलजाड किया जाता रहा है। इसी प्रकार गरीबी उन्मूलन, आर्थिक व सामाजिक असमानता की समाप्ति, सामाजिक न्याय, ग्रामीणों का विकास, स्वावलम्बन, महिलाओं को समान अधिकार, रोजगार, विस्तार जैसे नारे भी चुनाव शस्त्र के रूप में काम में लिए जाते रहते हैं। वर्तमान में कांग्रेस विकास व स्थिरता, बीजेपी राष्ट्रीय अखण्डता व सम्पूर्ण सुरक्षा, समाजवादी व जनता दल सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाते रहते हैं। पिछले दशकों में आम जनता की उन्नति के लिए समाजवाद, अन्नोदय, वीममूत्री कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पिछड़े का पहल, नहर व जलाहर योजनाएँ, राष्ट्रीय ग्राम-रोजगार कार्यक्रम जैसे पता नहीं अरबों रुपये की कितनी योजनाएँ क्रियान्वित की गईं। महिला, श्रम, शिक्षा रोजगार में लेकर सस्फुटि तक की नीतियों घोषित कर दी गईं। गुप्तचरी, आन्तरिक सुरक्षा, प्रतिरक्षा व अति-विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के नाम पर अकल्पनीय राशि व्यय की जा रही है। इन सबके बावजूद जिस देश को वचान का नारा आज भी लगाया जा रहा है, प्रश्न उठता है उसमें वचाने को रह ही क्या गया है ?

क्या हम भ्रष्ट, अगशम, उत्तरदायित्वहीन व संवेदनहीन हो चुकी प्रशासनिक व्यवस्था, बेरोजगारी, उच्छृंखलता, उन्माद व दायित्वहीनता का कारण बन चुकी शिक्षा व्यवस्था, विषमता, विद्वेष, विग्रह व विग्रहण का पर्याय बन चुकी सामाजिक व्यवस्था, हिंसा, अत्याचार, अस्वीकृति, सामुदायिकता की ओर तेजी से बढ़ रही संस्कृति को बचाना चाह रहे हैं ? क्या हम चाहते हैं कि निरन्तर रूप से गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, बीमारी, अस्मानता बढ़ानी जा रही अर्धव्यवस्था, गरीबों, ग्रामीणों व अमहायों का उपनाम उडानी चिकित्सा व्यवस्था, अपराधियों, अस्मानाजिक तन्त्रों, पाण्डित्यों व म्बार्थियों की गिरफ्त में आती जा रही चुनाव व्यवस्था, हंगामा, बहिष्कार, मागपीट, धरनों के अड्डे बनती जा रही विधायिकाओं को बचाने के लिए किमी के हाथ मजबूत करते रहे ? क्या हमारा चाहत यह है कि हमारे प्यारे देश में केवल घोटालों, पट्टयंत्रों, तिकड़मबाजों, बयानबाजों, धोखे दौरो में व्यस्त रहने वाले राजनेताओं की राजनीति, मनोबन, तदर्थवाद, पाग्वारवाद व जातिवाद पर आधारित दलीय व्यवस्था, धर्मोन्माद, प्रतिगोध, आटम्वर व कट्टरपंथ को बढ़ाने वाली धर्मनिरपेक्षता, हत्या, डकैती, बलात्कार, आतंक, अपहरण, तस्करी, हिंसा को बढ़ते हुए देखती भर रहने वाली शासन व्यवस्था, फूलती-फलती रहे ? क्या हम गुण्डों को संरक्षण, गिरोहों को मूचना, गरीबों को धमकी देने तथा असामाजिक तत्वों में मेल-जोल रखने वाली पुलिस व्यवस्था, कर चोरी को सम्भव, ईमानदार को परेशान, सरकारी खजाने को घाटा व काली कमाई में वृद्धि करने वाली कर व्यवस्था तथा उत्पादन को हतोत्साहित, नन्दी माल को प्रोत्साहित व पल-पल पर बाधाएँ पैदा करने वाली लादमेंस व्यवस्था को कायम रखने के लिए देश बचाए रखना चाहते हैं ?

देश बचाने का नारा लगाने वालों से कोई यह पूछे कि यह क्या क्रिया जा रहा है ? बलिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इसके भौगोलिक क्षेत्रफल में भी कमी आती जा रही है और म्बार्थी राजनीतिवाज बिना किसी गर्म व डिझर के अपनी सत्ता बचाने के लिए देश बचाने का आह्वान करते रहने हैं । वर्ष 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही भारत के क्षेत्रफल को 32 लाख में 32 लाख 60 हजार वर्ग किलोमीटर के बीच पाँच बार परिवर्तित किया व वर्ष 1961 में

तो उसने जम्मू कश्मीर को भारत के एटलस से ही हटा दिया। पाकिस्तान ने वर्ष 1947 में ही 32 हजार 500 वर्ग मील जमीन भारत से झपट ली व दो हजार वर्ग मील का इलाका चीन को दे दिया। चीनी दबाव के आगे हमने तिब्बत पर अपना अधिकार छोड़ा व बंगलादेश को जमीन भेंट की। चीन हमारे हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नाजायज कब्जा किए हुए है व 1965 के युद्ध के बाद कच्छ की 320 वर्ग मील जमीन युद्ध में विजय के बाद पाकिस्तान को भेंट की गई। सत्ता में रहने वाले व देश वचाओं का राग अलापने वाले राजनीतिवाजों ने भारतीय भू-भाग को इस प्रकार बाँटा है जैसे वह उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। यह तथ्य किसी से छिपा हुआ नहीं है कि गुप्त रूप से चीन व पाकिस्तान के साथ यथास्थिति के समझौते करने की योजनाएँ बन रही हैं। देश को बचाने का दावा करने वालों का कोई भरोसा नहीं कि वे कंब अमेरिकी दबाव में आकर भारत माता की अस्मिता का ही सौदा कर लें। क्योंकि वे किसी के भी कितने ही दबाव के अनुसार देश के अस्तित्व को तो दाँव पर लगा सकते हैं, लेकिन सत्ता सुख नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देश बचाने का आह्वान करने का क्या नैतिक अधिकार है? इस प्रश्न का कोई सार्थक मतलब तब ही निकल सकता है जब इसे हजारों-लाखों व्यक्तियों द्वारा एक साथ व प्रभावपूर्ण तरीके से पूछा जाए।

पूछा तो यह भी जाना चाहिए कि देश को बचा इसीलिए बचाए रखना है, जिससे तीस करोड़ व्यक्तियों के पीड़ादायक गरीबी व पचास करोड़ के छत रहित आवास के हालत में जिन्दा रहने वालों के होते हुए भी राष्ट्रपति 335 कमरों, 3 किलोमीटर लम्बे बरामदों, 13 एकड़ में फैले अति सुन्दर बाग-वगीचों वाले मकान में रह सके व उसके रखरखाव पर प्रति वर्ष अरबों रुपए खर्च किए जा सकें। हत्या, लूट, बलात्कार, तस्करी, देशद्रोह व अनेकों वित्तीय अनियमितताओं के आरोपी मंत्रियों, सासदों व विधायकों की सुरक्षा पर गरीब देश की जनता का अरबों रुपयों का खर्च किया जा सके? शायद देश बचाने वाले चाहते हैं कि केवल एक बार मनोनयन या तथ्याकथित चुनाव से जनप्रतिनिधि बन जाने पर उन्हें सरकारी मकान, निशुल्क पानी व बिजली, यात्रा सुविधा, पेशन व अनेकों अनगिनत लाभ मिलते रह सकें। सरकारी खर्चें

अपनी ही बहनो व माताओं को सरेआम वेश्यावृत्ति के लिए परोसने वाली जनजातियों के लिए ऐसे आह्वानकर्ता बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं हैं ? उनका मन कागज बीनने वाले करोड़ों मानवों, भूखे पेट सोने वालों, मल त्याग के लिए खुले स्थानों का उपयोग करने वाली लक्ष्मियों को देख कर विचलित क्यों नहीं होता है ?

निष्कर्ष बिल्कुल सीधा व स्पष्ट है कि जो देश को बचाने की जितनी बातें करते हैं, देशवासियों की भलाई उनसे बचे रहने में ही है, क्योंकि ऐसे बहना उनकी आत्मा की नहीं बल्कि पाखण्ड, स्वार्थ व सत्तालोलुपता की आवाज है। वे देश के नाम पर अपनी सत्ता, सुख सुविधाओं व प्रभाव को ही बचाए रखना चाहते हैं। देशवासियों से उनका सरोकार नहीं के बराबर ही है।

□□□

पश्चिम का मानवाधिकार सरोकार : हमें क्यों हो स्वीकार

पाकिस्तान के कुछ मदरसों में छोटे बच्चों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार की चर्चा पश्चिमी समाचार माध्यमों में कई दिनों से शीर्ष स्थान बनाए हुए है। वॉर्नरमी व वाइम ऑफ अमेरिका प्रसारण माध्यमों व वाशिंगटन पोस्ट व गार्जियन जैसे समाचार पत्रों में रोज़ इम सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रसारित व प्रकाशित हो रही है। समय-समय पर ऐसा ही भारत में गलीचा, पटाका, माचिस व ब्राह्मरात उद्योग में लगे व चाय, पान, सड़क छाप ढावों पर काम करने वाले बालकों के सम्बन्ध में छपता रहता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में करोड़ों बच्चे दयनीय परिस्थितियों में जी रहे हैं, लेकिन असत्य यह भी नहीं है कि अमेरिका सहित पश्चिमी राष्ट्रों में भी असंख्य बालक-बालिकाएँ घोर अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। यह अलग बात है कि ऐसी खबरें पश्चिमी राष्ट्रों के समाचार माध्यमों पर प्रभावी नियंत्रण व हमारी हीन मानसिकता के कारण कभी व्यापक रूप नहीं ले पाती हैं। पता नहीं हम अमेरिका के इतने दवाव में क्यों हैं कि उसके हर दावे, प्रतिवाद व उलाहने को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं? उसकी दोगली व दुराग्रहपूर्ण हरकतों को उजागर करने के लिए यह एक ही तथ्य पर्याप्त होना चाहिए कि उसके द्वारा मानवाधिकारों के नाम पर सबकी नाक में नकेल डालने के प्रयत्नों के बावजूद वर्ष 1979 में 130 राष्ट्रों द्वारा महिला अधिकारों के लिए सम्पन्न समझौते पर उसने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जबकि केवल विकासशील राष्ट्रों में महिला अधिकारों के हनन का सर्वाधिक मुखर

विरोध उसी के द्वारा किया जा रहा है।

समय रहते इस बात को समझ लेना अति आवश्यक है कि अमेरिका के हर कहने व करने का सीधा अर्थ अपने दबदबे को बनाए रखने का है, जिससे उसके व्यापारिक हितों का संरक्षण होता रह सके। इसके लिए उसकी नीति भारत जैसे उभरते जा रहे विनामशील राष्ट्रों को इसी धहाने बढनाम, परेशान व नकारात्मक रूप से प्रभावित करते रहने की है। उसकी इस नीति का प्रतिकार अपनी ओर से दिए जाने वाले स्पष्टीकरणों से नहीं बल्कि "आक्रमण सबसे बड़ी सुरक्षा" के सिद्धान्त का पालन करने से ही सम्भव है। पता नहीं हम यह क्यों मान कर चलते हैं कि मानवाधिकार क्या है का निर्धारण केवल अमेरिका या पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा ही किया जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि मानवाधिकार हनन का निर्धारण निरपेक्ष रूप में नहीं बल्कि देश, काल व परिस्थिति की सापेक्षता के आधार पर ही किया जा सकता है। भारतीय संस्कारों के आधार पर तो विवाह सामाजिक बंधन पर स्त्रीगमन महापाप व सतान की देहभाल नैतिक दायित्व है। इन मर्यादाओं को नहीं मानना मानवाधिकार तो क्या अदृश्य शक्ति की सत्ता को चुनौती देने जैसा है और यह सब कुछ पश्चिमी देशों में सर्वाधिक हो रहा है। अकेले अमेरिका में प्रति वर्ष हजारों बच्चे माँ-बाप की पिटाई से मौत के मुँह में चले जाते हैं, लाखों स्त्रियाँ पतियों की पिटाई से मानसिक रूप से विकृत हो जाती हैं व हजारों के गर्भ गिर जाते हैं। वहाँ कार्यशील महिलाओं का शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण शायद सर्वाधिक होता है। ऐसी अधिसंख्यक महिलाओं को सम्भ्रांतता का आवरण ओढ़े हुए वेश्याओं का सा जीवन जीना होता है, समान कार्य के लिए कम वेतन व सुविधाओं को मजबूर होना होता है। यह तथ्य अविश्वसनीय होते हुए भी सत्य है कि अमेरिका में स्त्री के यौन शोषण से मुक्ति के सबसे प्रभावी उपाय-विवाह की न्यूनतम आयु सीमा व पंजीयन का कोई नियम नहीं है व फ्रांस में पति की स्वीकृति के बिना पत्नी बैंक में अपना खाता नहीं खोल सकती है। इसी का परिणाम है कि अकेले अमेरिका में अति कम आयु की एक करोड़ से भी अधिक बालिकाएँ गर्भवती हैं, जिनके कष्टों के सामने भारतीय बाल श्रमिकों के कष्ट तो कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश तो वे

बालिकाएँ हैं, जिनके माता-पिता ने अपने स्वार्थों के कारण उन्हें त्याग दिया है। यह घोर अमानवतावादी कृत्य नहीं तो क्या है ? जो पश्चिमी समाज भारत में वेश्याओं की अमानवीय परिस्थितियों को चटकारे लेकर प्रचारित करता है उसके हालात क्या हैं ? वैसे तो पूरा पश्चिमी समाज ही रंडीखाना है, लेकिन अबोध बालिकाओं के साथ उनके पिता, भाई व रिश्तेदार जैसी यौन क्रियाएं करते हैं, उसके लिए सजाए मौत भी अति न्यून दण्ड माना जाएगा, लेकिन निष्ठुर अमेरिकी प्रशासन तो इसे अन्यथा लेता ही नहीं है।

मानव को मानवीय परिस्थितियों में जिन्दा रखने का मूल अधिकार है तो सम्बन्धित सरकार का ऐसी परिस्थितियों उपलब्ध करवाना कर्तव्य है, लेकिन अधिकांश पश्चिमी सरकारें इस दृष्टि से तो मानवाधिकारों क्या मानव का ही उपहास उडा रही हैं। यहाँ शराब, हेरोइन, सैक्स, जुआ, बाल अपराध, पारिवारिक टूटन, विवाह संस्था की अवहेलना, हिंसा व अन्य अपराधों के कारण जीवन असहनीय ही नहीं बल्कि नारकीय बना हुआ है। मानसिक रोगियों, उपेक्षित वृद्धों, छिटकाए हुए बच्चों, तलाकशुदा महिलाओं, अविवाहित जोड़ों, अवयस्क वेश्याओं, अपराधी गिरोहों की बढ़ती संख्या ने आम नागरिक को आतंकित, असहाय व दुखी कर रखा है। हिंसा, बलात्कार, आतंक, जोरजबरदस्ती ने परिस्थितियों को नारकीय बना रखा है। मुदा यही है कि इस सबको मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन मानते हुए अमेरिका के साथ पश्चिमी राष्ट्रों को कठघरे में खड़ा क्यों नहीं किया जाए।

कैसी विडम्बना है, जिस देश ने इराक, हैथी, क्यूबा, सोमालिया जैसे राष्ट्रों के करोड़ों नागरिकों को केवल अपने हितों के लिए आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा नरक भोगने के लिए मजबूर कर रखा है, उसे कोई भी खुलेआम मानवाधिकारों का भक्षक नहीं कह रहा है। अगर कोई अपराध किया भी है तो इन राष्ट्रों के शासकों ने तो, फिर सजा वहाँ के नागरिकों को क्यों ? यह तो सरासर मानवता के विरुद्ध अपराध है, अमेरिका को भारत में आतंक के पर्याय बन चुके व्यक्तियों के विरुद्ध सरकारी कार्रवाई तक में मानवाधिकारों का उल्लंघन नजर आता है, उसका दिल पता नहीं क्यों दवा की कमी के कारण बिलाख-बिलाख कर मरते बच्चों व वृद्धों को देखकर भी पत्थर का हुआ रहता

हे। सोमालिया, इथोपिया, हैथी, वियतनाम जैसे देशों में लाखों-करोड़ों नागरिक आज भी अपग, त्रिकृत व बीमार होकर अमेरिका को कोस रहे हैं, इसने अपनी मूछ ऊंची रखने के चक्र में रासायनिक हथियारों, गोला-बारूद व हथियारों का असहाय व निर्दोष नागरिकों के विरुद्ध निर्दयतापूर्वक उपयोग किया है। यह वही अमेरिका है जिसने लाखों मानवों को परमाणु बम से मारने व अन्य करोड़ों को शारीरिक व मानसिक रूप से अयोग्य बनाने तथा पेरू, उत्तरी वियतनाम को बजर भूमि में परिवर्तित कर देने में किसी भी मानवीय मूल्यों, अन्तरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया या कानून की चिन्ता नहीं की। अपने ही कानून का सीधा उल्लंघन कर आज वह ब्यूनाई शरणार्थियों को अपने यहां आने से रोक कर उन्हें उस देश में रहने को मजबूर कर रहा है, जिसे राष्ट्रपति क्लिंटन 'कारावास' की सजा देते रहे हैं। यह कदम घोर अमानवतावादी कैसे नहीं है? जब इतना कुछ करना मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है तो जो बच्चे स्वेच्छापूर्वक अपना पेट भरने को केवल काम करते हैं, उसे मानवाधिकारों का उल्लंघन क्यों माना जाना चाहिए।

हमें पश्चिमी राष्ट्रों को यह बताना चाहिए कि जिस देश की तीस प्रतिशत जनसंख्या घोर गरीबी का जीवन जी रही हो, पाँच करोड़ के पास कोई काम नहीं हो, दस करोड़ गरीब वस्तियों में रह रहे हों, 45 करोड़ निरक्षर हों, वहाँ पश्चिमी मापदण्डों के अनुरूप जीवनयापन, काम की परिस्थितियों, स्वास्थ्य सेवाओं व पर्यावरण शुद्धता की आशा कैसे की जा सकती है। जहाँ आधे समय भूखे रहने, दुर्गंधपूर्ण व सीलनभरी जगहों में निवास करने व पोशाक के नाम पर केवल तन को ढँके भर रहने की मजबूरी हो, वहाँ बच्चों को काम से बचित करना उन्हें जानबूझ कर मरने को बाध्य करने के समान ही है। जब तक कि कोई सार्थक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाए। जो कि हर मामले में होना पूरी तरह असम्भव है। यह सही है कि बीडी, जवाहरात, भवन निर्माण जैसे उद्योगों में बाल श्रमिकों को उनकी क्षमता से ज्यादा काम करवाया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके द्वारा उत्पादित माल का बहिष्कार ही कर दिया जाए! यह तो बीमारी को दूर करने के स्थान पर बीमार को मारने जैसा हुआ। तो फिर जो पश्चिमी उत्पादक त्रिमासशील देशों में निषेध दवाइयों,

शास्त्रम्नुओं, रामायनिक व अन्य महाक कथिवागों आदि का निर्यात करने है, उन्हें क्या मत्रा दी जानी चाहिए ?

अज्ञात विडम्बना है, जो देगट्रोही, पथभ्रष्ट, अन्नामाजिक व आदनन अरुधी तन्त्र बिना बजह आम नागरिकों को गड मार रहे है, वहाँ पश्चिमी राष्ट्रों को मानवाधिकार हनन नजर नहीं आता है, लेकिन बचाव में की गई सैनिक वा पुलिस बार्गबाई में हमके अलावा कुछ दिखना ही नहीं है, तो क्या हम नक्षत्रधिन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए देग या प्रियुगहन, आन्नागिज् अगाति, निर्दोष लोगों का कत्लेआम व अर्थव्यवस्था की बर्बादी होने दे ? अन्नागिज् और उमके साथी देग तो बहा चाहते है जि हमे बिराम के गम्मे में जिम्मा भी तरह भटकावा जाए, लेकिन अंतिम निर्णय तो हमें ही लेना है जि हम उमके दबाव में सब कुछ स्वीकार करते चले वा उमकी क्रमियों को उजागर कर उमे रक्षात्मक होने को मजबूर करें। श्रेष्ठ विकल्प तो दूमग ही है। जन्म केवल दृढ़ राजनैतिक इच्छागकि जुटाने, ममान परिस्थितियों वाले देगों को संगठित करने व नियोजित रूप में आक्रमण करने की है।

□□□

साम्प्रदायिकता का बढ़ता उन्माद : आखिर रुके कैसे ?

प्रजातांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था में धूर्तीकरण एक सतत एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे राजनैतिक विकास के लिए एक सीमा तक आवश्यक भी माना जाता है। यदि उमका आधार मिडान्त, चिन्तन व नीतियाँ हों, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में घोर पुरातन पंथी, धर्मान्ध व सत्ता लोलुप तान्त्रों द्वारा छद्म धर्मनिरपेक्षता की अस्वीकृति, सस्कृति की रक्षा, तुष्टिकरण नीतियों के विरोध, रामराज्य की स्थापना, राम मंदिर के निर्माण, राष्ट्रीय अखण्डता व स्वायत्तत्व पर आधारित अर्थव्यवस्था की प्राप्ति के लक्ष्य के नाम पर ऐसा कुछ किए जाने की जो कुचेष्टाएँ की जा रही है क्या उन्हें प्रजातांत्रिक व्यवस्था की अनियमित बुराई मान कर सहन करते रहा जाए ? ऐसी चेष्टाएँ निरचय ही श्रेष्ठ लक्ष्य श्रेष्ठ साधन के सिद्धान्त के अनुरूप तो नहीं हैं। इतना ही नहीं ऐसी चेष्टाओं की सफलता की तो बहुत दूर की बात है इनका विचार ही राष्ट्रीय अखण्डता, धर्म निरपेक्षता व सामाजिक सहिष्णुता के लिए भारी खतरा बन गया है। तो क्या इन खतरों से बचाव के लिए धार्मिक आधारों पर राजनैतिक दलों के गठन, चुनाव प्रचार, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना जैसे कार्यों पर कानून बना कर रोक लगाना सार्थक उपाय हो सकता है ? ऐसे उपायों से कुछ समय के लिए ऐसी हरकतों पर आशिक नियंत्रण, एक दल विशेष के हितों की पूर्ति व राजनैतिक लाभ प्राप्ति की आकांक्षाओं की पूर्ति भले ही हो जाए, लेकिन समस्या के दीर्घकालीन हल की आशा नहीं की जा सकती है और फिर किन्हीं व्यक्तियों, समूहों व दलों की गतिविधियों को

प्रतिबंधित करना लोकतांत्रिक सिद्धान्तों तथा आधारों पर ही आघात करने के समान है। निकृष्ट साधनों से श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति आखिर कैसे की जा सकती है? वैसे भी राजनैतिक दृष्टि से ऐसा करना ऐसे तत्वों को शहीद या कुख्यात बना कर इनका रास्ता साफ व सरल बनाना ही है। इतिहास से तो इसी तथ्य की पुष्टि होती है। तो क्या इन तत्वों को स्वच्छंद छोड़ कर यहाँ विनाश को आने दिया जाए? कम से कम राजनैतिक दलों के लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है। विनका काम ही बात-घात पर आम जनता को राष्ट्रभक्ति, त्याग, बलिदान, समर्पण के लिए आह्वान करने का है। बस रास्ता केवल एक ही है कि सभी धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक व सच्ची राष्ट्रवादी ताकतें मिलकर ऐसे तत्वों का संगठित, समन्वित व दृढतापूर्वक राजनैतिक आधारों पर मुकाबला करें। इसके लिए इन तत्वों की कथनी व करनी के भेद को उजागर करने, छद्म चरित्र का पदांकाश करने, धर्म के नाम पर की जा रही आडम्बरता की खिल्ली उड़ाने, राष्ट्रीय अखण्डता की आड में रचे जा रहे विखण्डताकारी पद्धतियों को बेनकाब करने, रामराज्य के थोथे नारे की बखिया उधेड़ने, धार्मिक, चंदे के व्यापार से अखण्ड बन बैठे बगुलाभक्तों की कुटिलताओं को चौपट करने व लोकतंत्र के नाम पर फाजिमा के बढाए जा रहे प्रभाव को हर सम्भव रोकने की आवश्यकता है।

आम जनता जिसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, संकीर्ण स्वार्थों व कुण्ठाओं की संतुष्टि के लिए धर्म के नाम पर धमांडम्बर की अफीम खिला कर भ्रमित, उद्वेलित व पथभ्रष्ट करने की कुचेष्टाएँ की जा रही हैं, को सीधे तौर पर यह बताने की जरूरत है कि इन तत्वों ने विगत में गाय की रक्षा, गंगा जल की फेरी, राम शिलाओं की पूजा, मंदिर निर्माण के लिए भेंट, कारसेवकों की भर्ती, बलिदानी जत्थों के गठन, चरण पादुकाओं के पूजन, राम मंदिर के निर्माण, रामराज्य की स्थापना, अर्थव्यवस्था के स्वदेशीकरण जैसे पता नहीं कितने आह्वान किए व कार्यक्रम दिए हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी उनका विश्वास, भक्ति या श्रद्धा नहीं है। सब कुछ केवल राजनीति में कुछ पा जाने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए वे राष्ट्र, धर्म, संत, संस्कार, शांति, विकास, सौहार्द, व्यवस्था आदि किसी की भी बलि सभी की बलि चढाने को तैयार

ही नहीं है, बल्कि आमादा है। उन्हें किसी भी सुधार, विकास या सकारात्मक कृत्य से कोई लेना-देना नहीं है, साथ ही उन्हें किसी भी ढोंग, दिखावा या पद्म्यत्र करने से परहेज या पछतावा भी नहीं है।

यह तथ्य किसी से छिपा हुआ नहीं है कि गाय जिसे माता कह कर लोगो की भावनाएँ भडकाने के प्रयत्न यदा-कदा होते रहते है की सर्वाधिक दुर्दशा भारत में ही हो रही है। इतना ही नहीं इसकी पूजा का नारा देने वाले ही इसको दुत्कारने में सबसे आगे है। किसी भी शहर या गाँव में अनगिनत मारियल ही नहीं बल्कि मरणासन्न गाये यहाँ-वहाँ बूडा-कचरा बल्कि उससे भी अधिक निकृष्ट वस्तुएँ छाती हुई आसानी से देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, गाय की रक्षा व गोवध निषेध के लिए कानून बनाने के लिए आंदोलन करने व इसी मुद्दे के आधार पर वोटो की फसल काटने के आकाक्षी लोगो के घरों पर विना दूध देने वाली, बाँझ या आवारा गाय व बूढे बैल को बाँधा हुआ शायद ही किमी न देखा हो। बैल को वेदनापूर्ण तरीके से जोतने, बाँझ गाय से हल खिचवाने, इन्हे कर्त्तगृहो में भेजने, इनकी हड्डियो का लाभपूर्ण व्यापार करने से गाय भक्तो ने अपने को पूरी तरह से अलग तो नहीं कर रखा है। कैसी हास्यास्पद व निन्दा योग्य हकीकत है कि जो व्यक्ति, दल या सरकार गोहत्या निषेध के लिए मृत्युदण्ड जैसे कानून का सहारा लिए जाने को आमादा हैं वे ही बाकी जानवरों को लाखों की सख्या में कत्ल करवाने के लिए आधुनिकतम वधगृह खुलवाने के लिए जी-जान से लगे हुए है। जानवर-जानवर में ऐसा अमानवीय भेद करना पता नहीं किस धर्मशास्त्र में लिखा है ?

अयोध्या में किसी ढाँचे को गिरा कर गर्भगृह पर ही मंदिर बनाने के लिए हठ नर रहे लोग सर्वधर्म समभाव की हमारी संस्कृति, अनेकता में एकता की राष्ट्रीय विशेषता, राष्ट्रीय हितो व स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले राम की छवि के विरुद्ध ही हरकते नहीं कर रहे है, बल्कि देश के संविधान, कानून, न्याय पालिका व जनभावनाओ की भी खुलेआम धजियाँ उडा रहे ह। वादा खिलाफी इनके लिए शर्म की नहीं बल्कि गर्व की बात है, जो लोग राम को सर्वव्यापी मानते है वे ही उसके एक मंदिर के लिए दूसरे मंदिरों को समस्त ध्वस्त कर रहे है। एक मंदिर के लिए राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द्र,

धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक विकास, कानून एव व्यवस्था एव राजनैतिक व्यवस्था को दौब पर लगाने वाले धर्म व संस्कृति के ठेकेदारों को उन हजारों भगवान निवासों (मंदिरों) की अश मात्र भी चिन्ता नहीं है, जहाँ की मूर्तियाँ का सौदा चाँदी के टुकड़ों से किया जा रहा है। भगवान के रहने की जगह को छोटी कर व्यापारिक परिसर बनाए जा रहे हैं। भक्तगणों द्वारा 'भगवान' को चुवाया व दैनिक अर्चना के लिए तरमाया जा रहा है तथा पुजारियों को भूखे मरने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि विरव हिन्दू परिषद द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए देश एवं विदेश से मंदिर निर्माण, मंदिरों के जीर्णोद्धार व अन्य निर्माण तथा नियमित पूजा-अर्चना करवाने के नाम पर एकत्रित किए जा रहे हैं। इतने धन का धार्मिक कार्यों में लगी ऐसी सस्थाएँ कितना काला या श्वेत कार्यों में उपयोग करती हैं, इसका पता तो तब चले जब आय-व्यय का कानूनी अंकेक्षण नियमित व आवश्यक रूप से हो।

वैसे भी राम सहित धर्म के प्रायः प्रत्येक प्रतीक व माध्यम को धन कमाने का जरिया बनाकर गरीबों का शोषण व धनिकों का पोषण किया जा रहा है। इन प्रतीकों के स्टीकर, बैनर, विंदियाँ, ध्वज, वस्त्र, अंगूठियाँ राम की दुहाई देकर बड़े मुनाफे पर बेचे जा रहे हैं। ऐसे ही धर्म यात्राओं, दृश्य-श्रव्य कैसेटों, भजन-कीर्तन के आयोजनों में पैसा बनाया जा रहा है। इन सबका आर्थिक लाभ स्वाभाविक रूप से धनिकों को ही मिल रहा है। बेचारा गरीब तो चन्दे, चढावे व छरीद के चक्कर में पिसता ही जा रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीयता की बढ-चढ कर बातें करने वाले बीजेपी के पुराने संस्करण जनसघ व रामराज्य परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरखों का क्या इतिहास रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व वे अंग्रेजों के चहेते रहे व स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका नगण्य ही नहीं बल्कि नकारात्मक रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जिसे बापू कहने में इस जमात को शर्म आती है की हत्या किसी स्वयंसेवक द्वारा ही की गई थी, जबकि बापू के मरते समय निकले 'हे राम' शब्दों का राजनैतिक लाभ प्राप्ति के प्रयत्न करने में इन्हें जरा भी झिझक नहीं आती है। गुमान मल लोढा व सिकन्दर बहट जैसे नेता तो मूर्ति पूजा का विरोध करने वाली जमात के हैं व अडवानी झुलेलाल के उपासक हैं तथा प्रोफेसर जोशी

भ्रष्टाचार का फैलाव : हल क्या ?

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में सर्वाधिक विकास का क्षेत्र गायद भ्रष्टाचार ही रहा है। भ्रष्ट राजनेताओं, मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, वरिष्ठ प्रशासनिक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों व ठेकेदारों की भ्रष्टाचार व ऐसे मामलों में ज्योमिक्त दर से हो रही वृद्धि तो ऐसा ही आभास देती है। जन सामान्य की मानसिकता, भ्रष्टाचार को अनैतिक नहीं बल्कि जीवन जीने का अनिवार्य कृत्य मानने की होती जा रही है। भ्रष्ट आचरण का आरोपित व्यक्ति समाज में अपने आपको अपमानित, हीन, असहाय वा अलग-थलग महसूस नहीं करता है। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पूसखोरी वा वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने पर न तो सम्बन्धित व्यक्ति विचलित व हतोत्साहित होता है और न ही जनता उद्वेलित व आंदोलित होती है। इस स्थिति के लिए नैतिक स्तर की गिरावट, भौतिकवाद का प्रसार व शीघ्र सफलता प्राप्ति की बढ़ती आकांक्षा जैसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है भ्रष्टाचार के छोटे वा बड़े कांड में आरोपित व्यक्ति का अपवाद स्वरूप ही दोषी ठहराया जाना। इस निष्कर्ष की पुष्टि के लिए वड़ी सादड़ी, चुरहट, वोफोर्स, प्रतिभूति घोटाला, गोल्ड स्टार जैसे अनगिनत मामले गिनाए जा सकते हैं, जिनसे राजनैतिक भूचाल आया, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। देशी व विदेशी विशेषज्ञों की जांच समितियाँ बनाई गईं, संसदीय जांच दलों का गठन किया गया, पक्ष-विपक्ष पर आरोप पत्र दाखिल किए गए, उच्च अधिकार प्राप्त आयोगों की स्थापना हुई व न्यायालयों ने अपने फैसलों में दोषी ठहराया, लेकिन किसी भी व्यक्ति को

कारावास की मजा मिलना तो दूर आर्थिक दण्ट तक नहीं भुगतना पडा। न्यायालय के फैसले के अनुसार व्यवहार करना व नैतिकता के आधार पर पट में त्यागपत्र देना वीते समय की बातें हो गईं हैं। राजनीतियों के लिए सबसे बड़ा धर्म मत्ता में बने रहने का है।

यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है कि प्रायः शत-प्रतिशत जन प्रतिनिधि चुनावों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फरजी मतदान करवाने, मीमांसे अधिकृत व्यक्तियों को, मर्यादी माधनों का दुरुपयोग करने, चुनाव अधिकारियों से सांडगाँठ करने जैसे भ्रष्ट आचरण के दोषी होते हैं। उनकी ही महत्त्व सहमति से हिंसा व मतदान परिषदों को उठाने की घटनाएँ होती हैं, लेकिन कितने ऐसे दोषी व्यक्ति मजा पाते हैं ? इन दिनों पुलिस अधिकारियों के थोक भाव में जो तबादले हुए हैं उनके पीछे राजनेताओं की 'डिजाइर' महत्त्वपूर्ण कारण रहा है। प्रत्येक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ हर कोशिश कर अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपनी पसंद का प्रशासनिक, न्यायिक व पुलिस अधिकारी लगवाने की जी-तोड़ सांडगाँठ बैठाने में लगा है। यही कारण है कि पुलिस अधीक्षक जैसे अधिकारी का एक ही दिन में तबादला हो गया है। प्रति वर्ष 31 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा तबादलों पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन इस बार इस तिथि के बाद होने वाले तबादलों ने रिकार्ड बनाया है। आखिर क्यों ? स्पष्ट है प्रत्येक सम्भावित प्रत्याशी मतदाताओं के समर्थन के अभाव में भी अपनी जीत मुनिश्चित करना चाहता है। यह हर प्रकार से निम्न भ्रष्टाचार में होने वाले भ्रष्टाचार की पूर्व तैयारी ही है।

लगता है हम सब भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पूरी तरह से सचेतनहीन हो गए हैं। तब ही तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिभूति घोटालाकाण्ड में पाँच हजार करोड़ रुपयों से भी अधिक की राशि के लिए दर्जनों मुकदमों चल रहे हैं, उसका दुष्माहम प्रधानमंत्री को एक करोड़ रुपए देने का आरोप पत्रकार सम्मेलन बुला कर लगाने का हो रहा है। वह खुलेआम पूरी तरह से नियम विरुद्ध आचरण कर अपने वकील को लाजों रुपए की फीस और वकील आजादी के वाद में भ्रष्टतम अपराधी को जमानत पर छुड़वा रहा है, लेकिन जनता पूरी तरह गान है। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री इस

आरोप से माता माता की तरह पवित्र निक्लने का दावा तो करते हैं, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि इस आरोप ने नरसिंह राव के व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री पद की गरिमा व सम्पूर्ण राष्ट्र की इज्जत को गम्भीर चोट पहुँचाई है। ऐसे में भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों पर निवर्तण कैसे लग सकता है ? व्यक्ति ने पूरे देश की टोपी उछालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी तथा जिस पर राजनैतिक अस्थिरता, साम्प्रदायिक उन्माद व देशद्रोही ताकतों से हाथ मिलाने के आरोप लगाए गए हों, उस पर आरोपित व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करना दुःखद एवं हास्यास्पद ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार व अनिश्चितताओं को प्रोत्साहित करने के समान है। राव पर भ्रष्टाचार का घुलेआम आरोप लगाना केवल उनकी व्यक्तिगत इज्जत से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं माना जा सकता है। यहाँ मुद्रा प्रजातांत्रिक व्यवस्था, परम्पराओं व मान्यताओं का है। देश के प्रधानमंत्री पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप को जब तक धो नहीं दिया जाता है भ्रष्टाचारियों के बुन्दुन्द होते होमलों पर रोक कैसे लगाई जा सकती है ?

भ्रष्टाचार के तेज गति से फैलने का एक महत्वपूर्ण कारण राजनैतिक स्तर पर किसी भी दल द्वारा इसके विरुद्ध कभी भी गम्भीरतापूर्वक व योजनाबद्ध तरीके से अभियान नहीं चलाने का रहा है। बटु वथार्थ तो यह लग रहा है कि भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को बचाने के लिए सभी दलों के राजनीतिबाज एक ही हैं। इस सम्बन्ध में सभी दल संगठित व लामबंद हो रहे हैं। चाहे अपना-अपना राजनैतिक धरातल मजबूत करने के लिए एक-दूसरे राजनैतिक दलों के राजनीतिज्ञों पर भ्रष्टाचार के कितने भी आरोप लगाए जाएँ। लगता है किसी के भी विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं होने देने के लिए सब दलों के नेता सहमत हैं। नहीं तो क्या कारण है कि प्रताप सिंह कैरो, मोहन लाल सुखाडिया, अन्तुले, शरद पवार, अर्जुन सिंह व ओम प्रकाश चौटाला जैसे भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों पर गम्भीर आरोप लगाए फिर भी उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सका है, साथ ही इन आरोपित राजनेताओं ने आरोप लगाने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। आरोप तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र व रिश्तेदारों पर भी लगाए गए हैं, लेकिन हर मामले में राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के वाद

पता नहीं क्यों आश्चर्यजनक चुप्पी हो जाती है। कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वगरेष्पा जिन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, स्वयं प्रधानमंत्री को दो करोड़ रुपए दिए जाने का आरोप सार्वजनिक रूप से लगाते हैं। उनके विरुद्ध कांग्रेस दल के अध्यक्ष श्री राव जैसा सक्षम व्यक्ति अनुशासनहीनता की छोटी-मोटी कार्यवाही भी नहीं करे तो आम जनता को आशक्ति होने में कैसे व क्यों रोका जा सकता है? जबकि इनके लिए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना या हटाना तो मामूली बात है। ऐसे सर्वोच्च सत्ताधारी को भ्रष्टाचार के मामले में इम प्रकार की चुप्पी व मजबूरी भ्रष्टाचारियों के हाँसले बुलन्द ही करती है। प्रतिभूति घोटाले की जाँच के लिए वनी ससदीय जाँच समिति का कार्यकाल जिस प्रकार बार-बार बढ़ाया गया, जाँच के दौरान उसके सदस्यों ने निष्पक्ष सोच के स्थान पर राजनतिक हितों को बरीचता दी, गवाही के लिए व्यक्तियों को बुलाने में पक्षपात किया, उससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में जाँच समितियाँ भ्रष्ट व्यक्तियों के नामों व कारनामों को उजागर करने के लिए नहीं वन्कि मन्वन्धित मामले को अपनी मात म्बव मरने के लिए स्थापित की जाती हैं।

प्रतिभूति घोटाला काण्ड में वैको व वित्तीय सस्थाओं के आला अफसर जिस प्रकार गम्भीर रूप से लिस पाए गए हैं, यह तो केवल एक वानगी है। ऋतु वधार्थ तो यह है कि हर विभाग के आला अफसरों का यही हाल है। उन्होंने अपने अल्प सेवा काल में ही असामान्य रूप से अधिक धन-सम्पदा बनाई है, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है वयोकि इनकी लामबदी बहुत सरात है। इसके लिए पिछली सरकार के कार्यकाल में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप पर राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने पर राष्ट्रपति के सीधे हस्तक्षेप के बाद वापस बहाल किए जाने के मामले को उदाहरण के रूप में गिनाया जा सकता है। यह लामबदी का ही कमाल है कि भ्रष्टाचार के लिए आरोपित अधिकारियों को दण्डित करने के स्थान पर सरकार द्वारा पदोन्नत व पुरस्कृत करना पडता है। इन उदाहरणों के रहते आम जनता में भ्रष्टाचार के विरुद्ध नफरत व डर केने उत्पन्न किया जा सकता है। इस तथ्य को बार-बार प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि देश में इतने बडे पैमाने पर

हथियारों, विध्वंसक सामग्री, बहुमूल्य धातुओं व आतंकवादियों की तस्कारी भ्रष्ट उच्च अधिकारियों की मिली-भगत से ही हो रही है। नहीं तो क्या कारण है कि पाँच हजार करोड़ रुपए का प्रतिभूति घोटाळा हो जाए, हजारों प्रशिक्षित आतंकवादी व हजारों टन परिष्कृत विस्फोटक सामग्री देश में आ जाए, सैकड़ों-हजारों जन प्रतिनिधि कुछ ही समय में मालामाल हो जाएँ और सरकार तक खबर नहीं पहुँचे।

निष्कर्ष यह है कि जब तक ऊँचे स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने, आरोपित को दंड देने व दंडित को वहिष्कृत व पद मुक्ति के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार की इस अमर वेल को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आम जनता व राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता निर्भीक, निष्पक्ष व निर्लिप्त होकर राज शक्ति पर जनशक्ति का वास्तविक नियंत्रण स्थापित करने के लिए संगठित व समन्वित होकर आगे आएँ।

□□□

भारत में कानून क्या तोड़ने के लिए बनते हैं ?

क़िमी भी ममाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कानून के अस्तित्व को हर काल व शासन व्यवस्था में हर सुधारक व विचारक द्वारा स्वीकार किया गया है। इस आधार पर क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिस देश में जितने अधिक कानून हैं, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक व वित्तीय परिस्थितियाँ उतनी ही अधिक व्यवस्थित हैं ? क्योंकि प्रत्येक देश के कानून में इस सिद्धान्त को आवश्यक रूप से स्वीकार किया जाता है कि “कानून की अनभिज्ञता, दण्ड से छुटकारे का आधार” नहीं हो सकता है। अर्थात् कानून बनाते ही यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक नागरिक इसके अनुरूप व्यवहार कर रहा है या ऐसा नहीं होने पर उसे दण्ड का भागी बनना है। इसी बात को आधार बना कर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में केन्द्रीय व राज्य सरकारों के द्वारा अनगिनत कानून बनाए गए हैं। इस दृष्टि से तो भारत ने दुनिया में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। इस सन्दर्भ में दुर्भाग्यपूर्ण विरोधाभास यह है कि हमारे यहाँ कानूनों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है अव्यवस्था, अराजकता, भ्रष्टाचार, उच्छृंखलता व अनिश्चितता उससे भी तेज गति से बढ़ती जा रही है। कानून को तोड़ना यहाँ सबसे आसान काम समझा जाता है। विदेशियों को भारत को एक सुविधाजनक देश माने जाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है। यह व्यंग्य अब यथार्थ समझा जाने लगा है कि यहाँ कानून बनता ही तोड़ने के लिए है। विचारणीय ही नहीं बल्कि चिन्ता करने लायक प्रश्न यही है कि क्या वास्तविकता ऐसी ही है ? रोजमर्रा की जिन्दगी में जो कुछ देखने को मिलता है उससे तो इसकी पुष्टि ही होती है।

फुटपाथों पर बढ़ते जा रहे अतिक्रमण, अव्यवस्थित व जोखिमपूर्ण होता जा रहा यातायात, विस्तार लेती जा रही अनियोजित वस्तियाँ, आम होती जा रही विजली, पानी, आयकर विक्रीकर, सम्पत्ति कर, गृह कर आदि की चोरी, लाखों की संख्या में होने वाली अव्यवस्को की प्रति वर्ष की शादियाँ, बहु पत्नी प्रथा का बढ़ता चलन, गिरती जा रही सार्वजनिक परीक्षाओं की गरिमा, संसद व विधानसभाओं में जन प्रतिनिधियों का निरकुश होता जा रहा व्यवहार तो कानून तोड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति को ही इंगित करते हैं। इसके अलावा भी विना पढ़ाई के आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षाएँ, सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति, लाखों करोड़ों कर्मचारियों में पड़ी अप-डाउन की लत, सरकारी वाहनो का खुलेआम हो रहा दुरुपयोग, माप-तोल में हो रही अनिवमितताएँ, रोडवेज की बसों में ऊपर-नीचे लदी सवारियाँ, विना परमिट के चल रही हजारों लाखों, बसें, जीपें, टैम्पो व रिक्शा तथा परो में जल रहे गैस के चूल्हे यही कहानी कह रहे हैं।

भारत में ऐसा कौनसा शहर है जहाँ अवैध वाहन न चलते हों, निर्धारित संख्या से अधिक सवारियाँ ढोने वाले तिपहिये व चौपहिये वाहन टैफिक पुलिस की खिल्ली उड़ाते हुए नहीं दौड़ रहे हों। वाल श्रमिकों की मुक्ति के जितने कानून बनते जा रहे हैं, उनकी संख्या उतनी ही बढ़ती व दशा विगडती जा रही है, बंधुआ मजदूरों के उन्मूलन का कानून बना कर वाहवाही कितनी ही लूट ली गई हो, लेकिन उनकी संख्या घटी नहीं है। कई बड़े शहरों व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर भिक्षावृत्ति निरोधक कानून बना दिए जाने के बावजूद भिखारियों की संख्या बढ़ी है। ऐतिहासिक स्थलों, वन्य प्राणियों, दुर्लभ पक्षियों आदि के संरक्षण के पिछले वर्षों में पता नहीं कितने कानून बन चुके हैं, लेकिन मूर्तियों की चोरियाँ व पशुओं के शिकार पहले की ही तरह आम बने हुए हैं।

समान कार्य के लिए समान वेतन, निर्धारित दर पर वेतन व मजदूरी के भुगतान, कार्य दिवसों की संख्या व घंटों के निर्धारण, स्वास्थ्य मापदण्डों की पूर्ति आदि के कानून बने हैं, लेकिन समाज के पढ़े-लिखे तबके अर्थात् अध्यापकों व प्राध्यापकों तक को अण्डर-पेमेन्ट किया जाना नियम सा बन चुका है। चाय की दुकानों, होटलों, सड़क छाप ढावों व घर पर काम करने

वाले नौकरो का शोपण सरे आम हो रहा है। न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लंघन सरकारी विभागो तक मे किया जा रहा है। उपभोक्ता मरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जिला मचो मे मुकदमा दर्ज होने के 90 दिन मे फैसला होने का कानूनी प्रावधान है, लेकिन ऐसा पाँच प्रतिशत मामलो में भी नहीं होता है।

नियमो मे व्यवस्था होने पर भी आवासन मण्डल कॉलोनियो मे पार्क, अस्पताल, स्कूल जैसी अतिआवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवाता है। विकास प्राधिकरण विकास शुल्क वसूल करके भी विकास पूर्ण करवाना तो दूर, प्रारम्भ तक नहीं करता है। नगर पालिकाएँ सीवरेज लाइनें विछाये बिना सीवरेज टेक्स वसूल कर रही है और गृह कर लेकर भी सफाई, विजली व पानी की समुचित व्यवस्था नहीं कर रही है। सरकारी अस्पतालों तक मे निर्धारित मापदण्डो व नियमो के अनुसार डॉक्टरो, नर्सों व मरीजो का अनुपात नहीं है। प्रकाश, हवा व सफाई की व्यवस्था नहीं है। हमारे देश मे कानून व नियमो की धजियाँ किस सीमा तक उडती है, इसके लिए ससद व विधानसभाओ की कार्यवाहियो को देख व सुन कर आसानी से जाना जा सकता है। वहाँ संसदीय नियमो व परम्पराओ का जितना व जिस प्रकार से उल्लंघन कानून निर्माताओं द्वारा ही किया जाता है, उसे देख कर किसी भी स्वाभिमानी नागरिक का सिर शर्म से झुके बिना नहीं रह सकता है।

भारतीय नागरिको की यहाँ-वहाँ पेशाव करने की आदत के चर्चे तो पूरे विश्व मे है। पर के बाहर रास्ता रोक कर विवाह, पार्टी व उत्सव के लिए टेट लगा लेना तो हम हमारा अधिकार मानते है। लाखो लोग तो ऐसे है जो विजली के तारो मे काँटा डाल कर विजली लेना व जलापूर्ति पाइप को तोड कर पानी लेना व देना भी मूल अधिकारो मे ही शामिल करते है। कच्ची बस्ती मे रहने वालो के लिए तो किसी कानून का पालन करना आवश्यक माना ही नहीं जाता है। प्रतिदिन रेलवे से लाखो लोग बिना टिकट यात्रा कर करोडों रुपए का चूना सरकार के लगा ही रहे है। प्लेटफार्म टिकट लेने का जैसे चलन ही नहीं है। ऐसे अभिभावक तो अपवादस्वरूप ही मिलेंगे जो निर्धारित आयु सीमा पार करते ही अपने बच्चो की पूरी टिकट लेना आरम्भ कर देते है।

नियम यह है कि एक शिक्षक अनुमति लेकर ही अधिकतम दो विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ा सकता है, लेकिन बिना अनुमति के ही पाँच-दस के समूह में पढ़ाने वाले ट्यूशनवाज हर छोटे-बड़े शहर व कस्बे में बड़ी संख्या में आसानी से मिल जाएंगे। ऐसी ही स्थिति डॉक्टरों की है। ड्यूटी के बाद वे कितनी प्रेक्टिस करते हैं, इसकी यदि एक बार के लिए चर्चा नहीं की जाए तो उसके दौरान ही गाँवों व कस्बों के डॉक्टर प्राइवेट विजिट पर जाते हैं उनका क्या किया जाए। यह सर्वविदित तथ्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कारवैरत डॉक्टर, अध्यापक व अन्य कर्मचारी ड्यूटी रजिस्टर में पाँच-छह दिन के हस्ताक्षर एक साथ ही करते हैं। हैड-क्वार्टर लीव के लिए आवेदन अपवाद स्वरूप ही किया जाता है। नियमानुसार आकस्मिक अवकाश के लिए भी समय पूर्व ही आवेदन करना होता है, लेकिन ऐसा करना कर्मचारियों की आदत में ही नहीं है।

मैट्रिक माप-तोल प्रणाली को लागू हुए तीन दशक से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गज व सेर का अस्तित्व उसी प्रकार बना हुआ है। इतना ही क्यों प्रमाणित वाटों के स्थान पर पत्थर के बाट राजधानी तक में बेरोक-टोक धड़ल्ले से चल रहे हैं। एक व दो पैसों के सिक्कों को वैधानिक रूप से चलाने से बाहर नहीं किए जाने पर भी उन्हें कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है। एक, दो, पाँच व दस रुपए के नोटों को तो बैंक वाले आम तौर पर जमा करने से मना कर देते हैं, जबकि ऐसा करना कानूनी अपराध है। ऐसी ही स्थिति बैंक खाता खोलने के सम्बन्ध में है। कार्यभार बढ़ने के डर से बैंककर्मी आम नागरिक के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन कर खाता खोलने से मना कर देते हैं। किसी भी बैंक में ठीक दस बजे काम प्रारम्भ नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह तो पूरी तरह स्पष्ट हो ही जाता है कि कानूनों और नियमों का उल्लंघन जितना भारत में होता है उतना शायद अन्य किसी देश में नहीं। प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? यह प्रश्न चाहे गम्भीर लगे, लेकिन इसका उत्तर बहुत आसान है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि हमारे यहाँ कानून बनाने में आवश्यक गम्भीरता व चिन्तन का नितान्त अभाव रहता है। यही कारण है कि अधिकांश कानून विधायिका में

प्रिना बहम के ही पारित हो जाते हैं। कानून बनाने से पूर्व ऐतिहासिक व वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन, भविष्य की प्रतिक्रियाओं व दूसरे विकल्पों का विश्लेषण विस्तृत नहीं किया जाता है। कानून निर्माण से सम्बन्धित सामाजिक हित नहीं वनिक राजनैतिक लाभ देखा जाता है, इसलिए उमे लागू करवाने की मानसिकता बन ही नहीं पाती है। सरकार की मानसिकता, सामाजिक मुद्दों के लिए व्यक्तियों को शिक्षित करने के स्थान पर कानून बनाने की हो गई है, इसलिए हर कानून को जनता भार समझने लगती है। भारत में अधिकांश कानून अपूर्ण होते हैं अर्थात् उनकी विभिन्न व्याख्या करना सम्भव होता है, इसलिए उल्लंघन की सम्भावनाएँ भी बढ़ जाती हैं।

यह हमारा समाज का दुर्भाग्य है कि यहाँ कानून तोटना गर्म की नहा वनिक फल की बात मानी जाती है। आम धारणा यह बन गई है कि कोई पहुँच अर्थात् हेमियत वाला व्यक्ति ही कानून या नियम तोड़ सकता है। इसी तर्क के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी हेमियत बढ़ाना चाहता है। वही कारण है कि अभी तक हमें लाइन में खड़ा होना तक नहीं आया है। एक कारण यह है कि अत्र न्याय मिलता नहीं वनिक विक्रम लगा है, इसलिए कानून तोड़ने का भय समाप्त होता जा रहा है। सिफारिश करवाना आसान होता जा रहा है तथा राजनैतिक जागरूकता बढ़ने के साथ ही साथ कर्तव्य परावणता कम होती जा रही है। कानून लागू करवाने के अधिकारी उतने सक्षम, उत्तरदायित्वपूर्ण व लगनशील नहीं रहे हैं। इन सब का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ है कि हमारी छवि कावटे-कानून के विपरीत व्यवहार करने वालों की बन गई है।

पर्यावरण प्रदूषण से बचाव : कड़े कदम केवल उपाय

वर्ष 1972 से लगातार विश्वभर में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने की परम्परा निर्वाध रूप से चली आ रही है, इस दिन पर्यावरण प्रदूषण के खतरों, वैज्ञानिक विश्लेषणों व रोकने के उपायों से सम्बन्धित भाषण व वक्तव्य दिए जाते हैं। इनसे सम्बन्धित समाचारों का प्रकाशन व प्रसारण व्यापक पैमाने पर होता है। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संगोष्ठियों, सम्मेलनों, रैलियों व प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण सुधार के नाम पर पिछले वर्षों में अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात। बेरोजगारी, निरक्षरता, जनसंख्या विस्तार, गरीबी, जलापूर्ति आदि क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी 'ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया' की कहावत चरितार्थ हो रही है। वनों का क्षेत्रफल तैंतीस से घट कर बारह रह गया है, भूमिगत जल का स्तर कई गुना नीचे व भयंकर रूप से प्रदूषित शहरों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। नाक पर माँस्क लगाना फैशन नहीं मजबूरी हो गया है। तापमान बढ़ता हुआ असहनीय स्तर तक पहुँच चुका है, ऋतुएँ अपना क्रम भूल चुकी हैं व अधिकांश बड़े शहरों में सूर्यास्त के बाद श्वास लेना मुश्किल होता जा रहा है। प्रश्न उठता है कि पर्यावरण सुधार के लिए इतने शोर-शराबे, धन खर्च व प्रचार के बावजूद भी कोई सार्थक सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है ?

हमारे देश की हर महत्वपूर्ण समस्या के पीछे धन व साधनों की नहीं बल्कि राजनैतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक कुशलता व ईमानदारी, स्तरीय

जनजागृति तथा उत्तरदायित्व निर्धारण व्यवस्था का अभाव होता है। यही कारण इस क्षेत्र की अनुपलब्धि के लिए उत्तरदायी है। पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित जगलो की बेरहम कटाई ने क्रिया है। इस कटाई के लिए इमारती लकड़ी, रेल लाइन के स्लीपर, घरेलू ऊर्जा, अखवारी व सामान्य कामज तथा फर्नीचर उद्योग आदि बहुत से कारण गिनाए जा सकते हैं, साथ ही झूमर खेती, स्थाई खेती, आवास निर्माण, कल-कारखाने व वाँधो का विस्तार, रेगिस्तान के फेलाव, बाढ़ की विभीषिका, जंगल की आग जैसे कारण भी महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी रहे हैं। इसका वह मतलब विन्कुल नहीं है कि पर्यावरण सुधार या रक्षा के नाम पर विकास की प्रत्येक प्रक्रिया को रोक दिया जाए। हाँ, इस सम्बन्ध में धैर्य एवं अतिरिक्त समझ की आवश्यकता थी व अभी भी है। देश में देर से ही सही लेकिन ऐसे कानून अमर्य बने हैं कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना वाँधो के निर्माण या किसी अन्य कारण से जगलो को नष्ट करने की जरूरत पडती भी है तो उतने ही पौधे अन्य स्थान पर लगाने पडे। इसी प्रकार जब स्थापित औद्योगिक इकाइयों के लिए आसपास इतने पेड लगाना जरूरी है, जिससे सम्बन्धित क्षेत्र का वातावरण दूषित न हो सके। अवशेष पदार्थों को यथाचित व हानिरहित तरीकों से काम में लेना भी कानूनी रूप से आवश्यक होता है, लेकिन भ्रष्ट, अकर्मण्य व उत्तरदायित्वहीन प्रशासनिक व्यवस्था ने सब कुछ गुड-गोबर कर रखा है। यही कारण है कि इतने कानूनों के बावजूद भी नदियों में फैक्ट्रियों के गदे व रसायनयुक्त हानिकारक पानी के निरन्तर बहाव, बहुत ही कम ऊँचाई वाली चिमनियों व वाहनो से निकलने वाले धुएँ, हानिकारक रसायनिक गैसों के रिसाव व आवासीय कॉलोनियों के फैक्ट्रीकरण की प्रक्रिया पर जरा सी भी लगाम नहीं लग पायी है। आवासीय कॉलोनियों के कारण प्रति वर्ष हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि खेतो व पेड पौधो से दूर की जा रही है, लेकिन कानूनी व्यवस्था के बावजूद भी उनके पार्कों में हरियाली व सडको के किनारे पेड नहीं लगाए जा रहे हैं। सामाजिक वानिकी के नाम पर प्रति वर्ष अरबों रुपए सरकारी सहायता के रूप में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, लेकिन इस योजना के अन्तर्गत जमीन हड़पो एवं सहायता गटको का अभियान चलने के अलावा कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं योजना बनाने,

आर्थिक सहायता स्वीकृत करने तथा सम्पादित ऋणों का निरीक्षण व सत्यापन करने वाले अधिकारियों को कार्य नहीं होने की स्थिति में पूछा क्यों नहीं जाता है? उदाहरणार्थ जबपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही प्रति वर्ष लाखों की सख्या में पेड लगाए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन जबपुर में हरियाली हर वर्ष कम होती जा रही है। निश्चय ही सम्बन्धित अधिकारी किसी न किसी रूप में तो इसके लिए उत्तरदायी हों ही तो फिर वर्षों-वर्षों से उन्हें अभयदान क्यों दिया हुआ है? निश्चय ही ऐसा करने के लिए जिस राजनैतिक इच्छा शक्ति व निष्पक्ष निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है वह अधिकांश गजर्नातिवाजों में नहीं है। सत्य तो यह है कि जिन्हें स्वहितों की पूर्ति, मुद्रा के संग्रह व विलासितापूर्ण जीवन यापन से ही फुर्सत नहीं है उनमें ऐसी आशा करना बेकार है।

बड़ी अजीब स्थिति है कि जंगलों के होते जा रहे सफाए के कारण मानव जाति के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है और सरकारी इमारतों में ही लकड़ी का उपयोग पागलपन की सीमा तक बढ़ता जा रहा है। देश में खाना पकाने के लिए अस्सी प्रतिशत ऊर्जा लकड़ी से प्राप्त होती है व दूसरी ओर करोड़ों टन गैस संग्रह सुविधाओं के अभाव में प्रति वर्ष बेकार चली जाती है। आखिर ऐसी कौनसी बाधा है कि मकान बनाने, फर्नीचर निर्माण आदि में लकड़ी के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से तब जब कि स्टील, एल्यूमिनियम आदि के रूप में अधिक अच्छे व सस्ते विकल्प उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कागज के एक ओर ही लिखने, हासिया छोड़ने, हर समय नए कागज का उपयोग करने, नए प्रश्न का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारम्भ करने, हर कार्य के लिए नई उत्तर पुस्तिका का उपयोग करने जैसी विलासितापूर्ण परम्पराओं को अब जारी नहीं रखा जा सकता है।

पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक महत्वपूर्ण कारण भूमिगत जल का अंधाधुंध उपयोग है। आश्चर्य है कि जल को राष्ट्रीय सम्पदा घोषित किया गया है उसकी बर्बादी के नियंत्रण के लिए अभी तक कानून बनाने की बात तो दूर गम्भीर चिन्तन तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि अनियोजित व्यवस्था के कारण अधिक विकट समस्या पानी की कमी की न

होकर उमकी अधिकता की है। पानी की अधिकता के कारण ही हजारों एकड़ भूमि लवणीय होकर हरियालीरहित हो गई है। वाद की विनाश लीला हजारों लाखों लोगों के दुर्भाग्य का स्थाई तत्व ही नहीं हो गई है वल्कि इस कारण में कितने वन नष्ट व कितनी भूमि अनुपजाऊ हो गई है इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। एक क्षेत्र वा वर्ग विगेष को अनावश्यक रूप से अधिक पानी देने के कारण ही वाकी लाखों-करोड़ों को प्यासा रहना पडता है। यह कमा बिडम्बना है कि भूमिगत जल स्तर के निरन्तर व तेजी से नीचे होते जाने पर भी निजी ट्यूबवेलम पर किसी प्रकार का नियंत्रण वा बराधान नहीं है। अब समय आ चुका है जब पानी के उपयोग मूल्य को ध्यान में रख कर ही उमका विनिमय मूल्य निर्धारित करना होगा, साथ ही जलापूर्ति शुल्क को प्रगतिशील, पानी के टुरूपयोग को टण्टनीय, निजी कुओ को प्रतिबधित वा नियमिन, वर्षा के जल के उपयोग को आवश्यक करना होगा, तब ही पर्यावरण व मानव के अस्तित्व की रक्षा की जा सकती है।

पर्यावरण प्रदूषण का एक और महत्वपूर्ण कारण है वाहनो से निम्लने वाला धुआँ जो बहुत अधिक जहरीला व हानिकारक होता है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि ग्रांस की राजधानी एथेन्स की तरह वाहन के प्रयोग पर प्रतिबध ही लगा दिया जाए। हाँ, लेकिन हम इतने ही बेफिकर रहे तो हमारे यहाँ के मलकता, दिल्ली व जयपुर जैसे शहरो में ऐसा भी किए जाने के लिए निकट भविष्य में ही मजबूर होना पड सकता है। उदाहरणार्थ जयपुर शहर में टैम्पो व विक्रम जितना प्रदूषण फलाते है उतना शायद वाकी सभी वाहन मिल कर भी नहीं फैलाते है। इस तथ्य को विभिन्न अध्वयनो ने सिद्ध भी कर दिया है, लेकिन फिर भी अनेको निर्णयो के बावजूद भी वोट राजनीति के चलते उनको सडको में हटाया नहीं जा सका है। इसी प्रकार जरूरत से ज्यादा धुआँ छोडने वाले अन्य वाहन भी बेरोकटोर चल रहे है। कारखानो से उठने वाले धुआँ से ताजमहल तक प्रभावित हो रहा है तो इस क्षेत्र में मानव का क्या हाल होगा किसी को चिन्ता नहीं है।

मल-मूत्र निरासी की समुचित व्यवस्था के अभाव में भी विकराल ममम्याएँ छडी कर दी है। हमारे यहाँ तो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर मल-

मृत् त्याग करना जन सामान्य का अधिकार सा बन गया है। इसके लिए सोच व सुविधाएँ दोनों की कमी ही उत्तरदायी है। दूरदराज के गाँवों व आदिवासी क्षेत्रों में तो आधुनिक सुविधाओं की कल्पना ही नहीं की जाती है, लेकिन इस स्वच्छंद व्यवहार से कितनी धीमारियों को फलने-फूलने का मौका मिलता है, वह विलकुल अकल्पनीय है। हर बड़े शहर को सडाध का पर्यायवाची कहा जा सकता है। पानी की लाइन में गटर लाइन के मिल जाने पर भी हमारा धैर्य ही नहीं बल्कि आत्मस्य भी जवाब नहीं देता है। कई बार तो ऐसा मन्नाहो तक चलता रहता है, लेकिन न प्रशासन जागता है न जनता की नींद खुलती है।

वह तथ्य तो बताने लायक रहे ही नहीं हैं कि परमाणु व हाइड्रोजन विस्फोटों, ग्रीनहाउस प्रभावों, पेट्रोल के कुओ व कोयले की खानों में वर्षों से लगा आग, युद्ध सामग्री के उपयोग आदि के कारण पृथ्वी का पर्यावरण बहुत अधिक विकृत हो चुका है। ऐसे में इसे प्रलयकारी स्थिति तक पहुँचने में रोकने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक व कठोर कदमों के उठाए जाने व व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़े बिना काम चलना मुश्किल है। इसके लिए प्रदर्शन की नहीं बल्कि काम की जरूरत है। काम भी केवल सभा, सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, रैलियाँ, निबंध प्रतियोगिताएँ आदि आयोजित तक ही सीमित नहीं होकर पेड लगाने, जंगलों को बचाने, वैकल्पिक उपायों को अपनाने जैसे होने चाहिए, तब ही मानव जाति के अस्तित्व पर आए भयानक संकट के हल में कुछ सहयोग दिया जा सकता है।

□□□

स्वदेशी जागरण : जरूरी है तो होता क्यों नहीं ?

आज चारों ओर 'स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ' नारे की धूम मची हुई है। विदेशी वस्तुओं व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बिम्बु दिल खोलकर बोला व लिखा जा रहा है। कहीं-कहीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादनों की होली भी जलाई जा रही है। स्वदेशी अपनाने को प्रेरित करने के लिए प्रभात फेरियाँ, जुलूस व रैलियाँ निकाली जा रही हैं, धरने दिए जा रहे हैं व रास्ते रोके जा रहे हैं। प्रश्न उठता है वह सब कुछ वास्तव में ही क्या म्ब, स्वाभिमान व स्वावलम्बन की भावना से प्रेरित होकर किया जा रहा है या यह भी सत्ता, धन व प्रचार के भूखे राजनैतिक खिलाड़ियों के जनमत को अपनी ओर आकर्षित करने का एक नया खेल है ? यह आशका व्यक्त किए जाने का कारण यही है कि जो बीजेपी शुरु से निजीकरण, उदारीकरण व वैश्रीकरण का प्रबल समर्थन करती आ रही है वह ही आज इस आंदोलन की अगवाई कर रही है। अगचर्यजनक स्थिति तो यह है कि जिन साम्यवादी व मार्क्सवादी दलों को अपने वैचारिक मूलधार के कारण इस क्षेत्र में सबसे आगे होना चाहिए था, वस विरोध का दिखावा भर कर रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि सभी सर्वादयी, गांधीवादी व लोहियावादी जो मन, वचन व कर्म से स्वदेशी के पर्याय रहे हैं एक प्रकार से मान माधे हुए हैं। इस जडता को तोड़े बिना न तो विदेशी का विरोध, न स्वदेशी का सार्थक व प्रभावी समर्थन किया जा सकता है। जम्हरत इस बात की है कि विदेशी के खतरों को जानने व जताने के साथ ही हम यह भी जानें कि स्वदेशी में हमारा आशय क्या है व विदेशी का विरोध कर हम विकल्प के रूप में क्या व क्यों करना चाहते हैं ?

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सम्पूर्ण स्वदेशीकरण व स्वावलम्बन की बातें करना स्वप्न लोक में विचरण व मानसिक हरकत करते रहने के अलावा कुछ नहीं है। विश्व में आज भौगोलिक दूरियाँ जिस प्रकार कम, संदेशवाहन के साधन सुलभ, सस्ते व शीघ्रगामी, शैक्षणिक व सांस्कृतिक आदान-प्रदान स्वाभाविक व तीव्र उपभोक्तावादी दृष्टिकोण व विचारों की उन्मुक्तता का विस्तार तथा अन्तरराष्ट्रीय राजनीति व अर्थव्यवस्था का एकीकरण हो रहा है, उम्मे गांधी व विनोबा के विचारों को अक्षरज लागू करना न तो सम्भव ही है और न आवश्यक ही। समय की धारा को न तो कोई रोक सकता है और न ही रोक सकता है। हाँ, धारा के इस बहाव में मही, व्यावहारिक नियोजन व दृढ़ इच्छाशक्ति से डूबने से अवरुद्ध बच सकते हैं। यहाँ प्रति-प्रश्न यह उठता है कि क्या हम वास्तव में ही डूबने की स्थिति में पहुँच गए हैं? देश पर 3.5 लाख करोड़ रुपए का विदेशी व चार लाख करोड़ रुपए का आन्तरिक कर्ज, 46 हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान, आठ करोड़ बेरोजगारों की फौज, 45 करोड़ अभागे निरक्षर, 35 करोड़ अत्यधिक गरीब इस पर भी पाँच हजार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अस्तित्व तो इसी बात की पुष्टि करता है। यह स्थिति निश्चय ही हास्यास्पद है कि जिस देश को संसार की महत्त्वपूर्ण अन्तरिक्ष, परमाणु, हथियार निर्माण, सैनिक, प्रशिक्षित, श्रम व आर्थिक शक्ति माना जाता है, यहाँ के नागरिक नहाने व धोने के साबुन, दूधपेस्ट, शेविंग क्रीम, ब्लेड, लिपिस्टिक, पाउडर, विस्किट, चाय, काफी, शीतल पेय, आइसक्रीम, मार्चिस, पैन, बूट पालिश, टायर, अचार, चटनी आदि सामान्य उपयोग की वस्तुओं के लिए भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम से विदेशों या विदेशियों पर निर्भर करते हैं। दुखद आश्चर्य तो यह है कि हमारी निर्भरता दीवानगी की सीमा को भी पार कर चुकी है। हम थोथी प्रतिष्ठा व आपुनिकता के जुनून में अच्छी-बुरी वस्तु का भेद करना ही भूल गए हैं। हम प्रचार व प्रोपेगण्डा के सामने नतमस्तक होते जा रहे हैं। हमारी तर्क करने, तटस्थ विश्लेषण करने व सही को खुल कर कहने की ताकत जैसे समाप्त ही हो गई है। सन्निही समाप्त या कम करने, विद्युत व जल आपूर्ति की दरें बढ़ाने, सार्वजनिक क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने, प्रचार-प्रसार माध्यमों को

घुला छाड़ने, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओ व प्रशिक्षण कार्यो को महंगा करने, गरीबी उन्मूलन व अन्य सामाजिक सेवा कार्यो से ध्यान हटाने व घाटा कम करने के मामलो मे हम निम्न वेक यानि अमेरिका के इशारो पर नाचने के अलावा कुछ नही कर पा रहे है। आश्चर्य ह विदेशी ऋणो से बडे विदेशी मुद्रा भण्डार पर हम इतरा रहे है। हम निम्न ही धारे-धारे विदेशी तकरीक, पूंजी व प्रबन्ध के जिम्मे मे फमते ही नही जा रहे हे यन्कि हमारे जहाँ चिन्तन, आदतो व्यवहार सहित हर कर्म पर विदेश व विदेशी प्रभाव हाजी हाता जा रहा ह।

चिन्ता की बात तो यह हे कि अग्रेजो वा अमेरिकीजो की समय की पावटी, काम व समय केवल काम व मौज के समय केवल मौज, स्त्री-पुरुष की समानता, गण्टु भक्ति, खुले प्रिचार जैसे सद्गुणो का अनुसरण हम नही कर पा रह ह, लकिन एकाकी परिवार व्यवस्था, मद्यपान के सेवन, नगाले पदार्थो के उपयोग तलाक, स्वच्छंद योन सम्बन्धा, अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शनो, अग्रेजी माध्यम म शिक्षा, एलोपेथी से इलाज, वेड टी, टेगी स उठने जैसी अनेको बुराटको को अधभक्ति से अपनाते जा रहे है। बच्चो के माथ बठकर ऐसी-वैसी फिल्म देखने, टूटी-फूटी अग्रेजी बोलने, टाई वाले स्कूल म बच्चो को पढ़ने भजन, दो साल के बच्चे को ही दूधबूश हाथ मे पकडा देने, बच्चो को होस्टल म रखने, नजान गिजु को माँ के दूध से बचित करने, दूध, दही से परहेज करने व्यूटांपालनर के चक्कर लगाते रहने, मुँह मे हर समय च्विगम चवाने रहने, तेज आवाज मे पश्चिमी फूहड सर्गीत सुनने के स्थान पर दूसरो को परेशान करने, नुर्मी पर वेड का खाना खाने का ही हम शान की बात समझने लगे हे। आज परम्परागत तीज-त्योहारो, रीति-रिवाजो, मेलो का स्थान फेर व फेट लेने जा रहे हे। प्रिवाह जैसे अवसरो पर भी फिल्मी गानो का नगा हमारे सिर पर चढ़कर बोलता रहता हे व पर्जाकरण के माध्यम मे होने वाली शादियो का चलन बढ़ता जा रहा है।

आर्थिक क्षेत्र मे तो पश्चिमी प्रभाव सभी सीमाओ को पार कर रहा है। नर को नारायण और गरीब की सेवा को भगवान की सेवा मानने की मान्यता वाले इस देश मे श्रेष्ठ को ही जिन्दा रहने का अधिकार है की पश्चिमी मान्यता

को पूर्ण रूप से अंगीकार कर लिया है। दो हजार के करीब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हमने लाखों लघु इकाइयों को रीढ़ने, पश्चिमी देशों में प्रतिबद्धित पांच सौ प्रकार की ट्वाइवों को भारतीय बाजारों में बेचने का अधिकार देकर जीवन के साथ खिलवाड़ करने देने, कुल विनियोगित पूँजी के बग़र प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा बाहर ले जाने देने की खुली छूट देकर पता नहीं हम इतरा क्यों रहे ह ? गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, अपांष्टिक खानपान व वाल मृत्यु जैसी आधारभूत समस्याओं से हमारा ध्यान पूरी तरह हट सा गया है। उमरे म्यान पर हम उदारोकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, स्पए की परिवर्तनशीलता व विदेशी निवेश के मुद्दों पर बहस करने में लग गए हैं, जिसका हमारी परम्पराओं, सोच व आपश्यता से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति तो गादा जीवन उच्च विचार, परमार्थ को बरीयता व भोगने के स्थान पर छोड़ने की ग्ही है।

इस संदर्भ में स्वाभाविक प्रश्न यही उठता है कि जब हमारा वर्तमान इतना अधकारमय है तो भविष्य कितना ऋष्टदायी होगा ? निश्चय ही इसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसका हल क्या है ? इसका हल स्वदेशी के नाम पर राजनीति करने में नहीं बल्कि उसे अपनाते में ही है। इस सम्बन्ध में वचन का कर्म से मेल बैठाना बहुत आवरक है, क्योंकि स्वदेशी वचन में नहीं बल्कि भावना में निहित है।

स्वदेशी जागरण कोलगेट, पॉण्ड्स, कॉम्प्लान, ग्लूकोन डी या सिनथॉल के डिब्बे में से माल निकाल कर उसे सार्वजनिक रूप से जलाने, शराब पीकर मदिरा निषेध के सम्बन्ध में गला फाड़-फाड़ कर भाषण देने, ससद व विधायिकाओं में काम रुकवाने, प्रदर्शन या हड़तालें करवाने से होने वाला नहीं है। इसके लिए तो जन-जन तक सम्बन्धित जानकारियाँ तर्कपूर्ण ढंग से पहुँचाने, स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, विज्ञापन के अधिक सार्थक व प्रभावी तरीकों के अपनाते के साथ ही अभियान चला कर स्वदेशी पहनावे व खानपान का प्रदर्शन करने की जरूरत है। इस अभियान में लगे व्यक्तियों को अपना आचरण, व्यवहार व सोच उसी के अनुरूप बनाना पड़ेगा तथा विदेशी से हर प्रकार का मोह त्यागना होगा। स्वदेशी जागरण का अभियान चलाने

बालों के बच्चे कान्वेन्ट स्कूलों या विदेश में पढ़ें, हिन्दी से परहेज करें, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में ऊँचे पद प्राप्त करें, विदेशियों से शादी के रिश्ते बनाएँ तो उनका प्रभाव जनता पर नहीं पड़ सकता है ? इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से ही स्वदेशी का सदेश नहीं दिया जा सकता है । इसके लिए तो एक साथ पश्चिमी संगीत, नृत्य, सिनेमा, टेलीविजन, खानपान व रहन-सहन के तरीकों, शृंगार की भाव-भंगिमाओं, सौन्दर्य प्रतियोगिताओं के आयोजनों, प्रोपेगण्डा व माध्यमों आदि पर सर्गातित रूप से चोट करने की आवश्यकता है । जनतंत्र में सबसे बड़ी चोट तो चुनावों व समय मतदाता दे सकता है । जसा उमने हाल ही के विधानसभा चुनावों में किया । बात सही भी है जब तब सरकार को स्वदेशी का पक्षधर नहीं बनाया जाता है, बाकी प्रयत्न बेकार या कम प्रभावी ही रहेंगे, क्योंकि निर्णय का अधिकार तो उमी के पास है । यह सब कुछ अनुनय-विनय से होने वाला नहीं है । इसके लिए तो टक्कर बनाना ही सही हल है, जो जायद सच्चे गाँधीवादियों व गर-राजनतिक व्यक्तियों के नेतृत्व में आंदोलन चला कर ही किया जा सकता है ।

□□□

प्रतिमाओं को दूध पिलाने वालों की चाल : विकृत मानसिकता का बुरा हाल

देशभर में गणेश व शिव परिवार की प्रतिमाओं द्वारा दुग्ध पान की खबरों या अफवाहों जिस रहस्यपूर्ण तरीके से अचानक फैली और लाखों करोड़ों की संख्या में शिक्षित व निरक्षर, वैज्ञानिक व धर्मान्ध, बड़े सरकारी अधिकारी व राजनीतिक, शहरी व ग्रामीण, बच्चे व युजुर्ग तथा अमीर व गरीब हाथों में दूध के वर्तन व चम्मच लेकर बिना कुछ सोचे समझे सड़कों पर निकल पड़े वह चाहे भगवान का न सही लेकिन चमत्कार अवश्य था। इस खबर के कारण एक साथ पूरे देश में सरकारी, अर्द्ध सरकारी दफ्तर, विद्यालय एवं महाविद्यालय, वैज्ञानिक शोध संस्थान, पुलिसकर्मियों के कार्यस्थल आदि कुछ ही समय में खाली हो गए। दूध के भाव आसमान तक चढ़ गए, यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बेकाबू हो गई। एक तरह से पूरा राष्ट्र सम्मोहन वाली चरम की स्थिति में पहुँच गया था। प्रशासन व राजनैतिक तथा सामाजिक नेतृत्व कुछ भी करने या सोचने की स्थिति में नहीं था। हर कोई चमत्कार के सामने भौचकसा हो रहा था। आश्चर्य तो यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, मारिशस, सिंगापुर, हांगकांग जैसे राष्ट्रों में स्थित ऐसी प्रतिमाओं के सामने भी भीड़ का ऐतिहासिक सैलाव उमड़ रहा था, सेकड़ों टेलीविजन कम्पनियाँ अभूतपूर्व दृश्यों को धडाधड अपने कैमरों में कैद करे जा रही थीं। विस्मयकारी तथ्य तो यह है कि उन देशों में इसको ईश्वरीय चमत्कार के अलावा और कुछ मानने को कोई तैयार ही नहीं था। प्रश्न उठता है आखिर यह सब कुछ था क्या ? गणेश व शिव का चमत्कार या कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई केवल अफवाह मात्र। जैसा कि

हमारे देश में होता है। इस घटना को भी राजनीतिवाजों ने अपने तरह से परिभाषित किया है। बीजेपी, प्रिन्स हिन्दू परिषद व शिखरसेना के पदाधिकारियों ने इसे चमत्कार ही नहीं माना, बल्कि प्रतिमाओं को मार्जनिष्क रूप से व कई स्थानों पर समागोहपूर्वक दुग्धपान कराया। फोटो खिचवाए व चमत्कार को इंटरनेट की महिमा बाते हुए उसका प्रचार किया। विभिन्न व्यक्तियों व पक्षों ने इसके नकारात्मक व सकारात्मक प्रभावों की व्याख्या की। नेमीचन्द्र जैन उर्फ चन्द्रास्यामा न वहती गंगा में हाथ धोते हुए इसे अपना ही चमत्कार बता दिया। कांग्रेस (इ) को इसके बीजेपी व आर एस एम के अफवाह फैलाऊ तत्वों का पड़वत्र नजर आता है। वज्ञानिकों की दृष्टि में यह दृष्टिभ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। उनके अनुसार प्रतिमाओं द्वारा दूध पीने जैसी हरकत का कारण सतह तनाव, मिट्टी की प्रतिमा द्वारा उम्रे सोखना व श्वेत सगमरमर में वहता हुआ दूध दिखाई नहीं देना है। वास्तविकता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर श्रद्धातिरेक से ओतप्रोत व धर्मभीरु व्यक्तियों को न तो दिया ही जा सकता है आर न ही ऐसी आवश्यकता ही है, जो राजनैतिक हितों के आगे कुछ देख या सुन नहीं पाते हैं तथा इसके लिए कुछ भी बुरा करने को हमेशा तैयार रहते हैं। उनके सामने भी वैज्ञानिक तर्क रखना बेकार ही है।

चिन्तन नहीं बल्कि चिन्ता का विषय तो वह है कि जिस देश में किसी अफवाह को इतनी आसानी व सुनियोजित तरीके से इतने बड़े पैमाने पर कभी भी फैलाया जा सकता हो वहाँ सरकार, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था व खुफिया तंत्र होने व उन पर अरबों रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का आखिर मतलब क्या है? दुर्भाग्य से किसी अनहोनी घटना से पूरे देश को लकवाग्रस्त कर देने की यह प्रथम घटना नहीं बल्कि कहा जाना चाहिए दुर्घटना है। इससे पूर्व भी धर्म व देवताओं के नाम पर ही महिलाओं द्वारा एक निश्चित दिवस को खास क्रिस्म की चूड़ियाँ पहनना, जिससे सुहाग की रक्षा हो सके, पुत्र की रक्षा के लिए जलेबी खाना, घरों के बाहर मेहदी के छापे लगाना, ननद को साड़ी भेट करना जैसी अफवाहें इसी तरह फल चुकी हैं। आपातकाल के दौरान एक विशेष समूहों के द्वारा बच्चों के परो में नपुंसकता पैदा करने वाले इजेक्शन लगाए जाने की अफवाह जिस राजनैतिक उद्देश्य के लिए इसी प्रकार फैलाई गई थी

वह अब इतिहास का विषय बन चुका है। उस समय भी प्रशासनिक सेवा के उच्चाधिकारियों से लेकर सामान्य मजदूर तक अपने बच्चों को लेने स्कूलों की ओर दौड़ता नजर आ रहा था, जबकि उस बात का जरा-सा भी आधार कहीं नहीं था। वह तो बिना राई के ही पहाड़ बनने वाली बात थी। सामान्य प्रशासन उस समय भी पूरी तरह पगु बना रहा था। उसी समय अपने को सर्वाधिक राष्ट्रवादी मानने वाले सगठन ने ही ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्ती नसबंदी किए जाने की अफवाहें फैला कर पूरे देश में अराजकता व भय का वातावरण फैला दिया था। इस अफवाहों के परिवार नियोजन कार्यक्रम व राष्ट्रीय हितों को कितना आघात लगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आश्चर्य तो यह है कि ऐसी अफवाहों के असली मूत्रधार कभी भी पकड़ में नहीं आए। इसके स्पष्ट दो ही कारण हो सकते हैं। या तो अफवाहवाजों का गिरोह सुदृढ़ व नियोजित है या प्रशासनिक ढांचा निष्प्रभावी। इनमें से सही चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन राष्ट्रीय एकता, अखण्डता व सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत की घतरनाक बात है।

प्रतिमाओं द्वारा दुग्ध पान की अफवाहों को वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों, प्रबुद्ध समझे जाने वाले नागरिकों, धर्म गुरुओं व स्वयंशीर्ष राजनेताओं द्वारा समय रहते स्पष्ट नहीं किया जाना निश्चय ही राष्ट्रीय व सामाजिक अपराध है। दुर्घटना हो जाने के बाद केन्द्र में सत्ताधारी दल के प्रवक्ता विट्ठल गाडगिल द्वारा यह बयान दिया जाना कि आर.एस.एस. अफवाह फैलाने की शानदार मशीन है व बीजेपी राजनैतिक उद्देश्यों के लिए जनता की भावनाएँ भडकाने में माहिर है, बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। गाडगिल से यह पूछा ही जाना चाहिए कि ऐसी अफवाहों के समय व इससे पूर्व खुफिया मशीनरी के सोते रहने, प्रशासन के निष्प्रभावी रहने व दूरदर्शन व आकाशवाणी जैसे सशक्त प्रसार माध्यमों द्वारा आग में घी का काम करने जैसी हरकतों के लिए उनके दल की केन्द्रीय सरकार दोषी व अपराधी क्यों नहीं है? हर बार अफवाह फैलाने वालों की काट के लिए कोई भी प्रभावी उपाय क्यों नहीं किया जा सकता है? उनके दल से तो भारत में मानवाधिकारों का व्यापक हनन, कश्मीर में कत्लेआम, मुसलमानों के साथ दूसरी श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार,

भारत द्वारा पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप जैसी अफवाहों का खण्डन तक नहीं होता है, जबकि ऐसी ही अफवाहों के कारण नैतिक, सामरिक व आर्थिक हित व्यापक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। लगता है देश में सरकार जैसी कोई बात ही नहीं। तब ही तो दुग्ध पान जैसी सरासर थोथी, अधविश्वास व रुढ़ियों को बढ़ावा देने व निकम्मेपन को प्रोत्साहित करने वाली बात का खुलआम समर्थन सर्वाधिक उत्तरदायी लोग ही सबसे अधिक कर रहे हैं। भोलीभाली जनता को फुमलाने व दहशत में डालने वाले बवानों पर आखिर रोक लगाई क्यों नहीं जाती है। चन्द्रास्वामी जैसे ठगा, पाखण्डी व हर प्रकार में सदिग्ध आचरण वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिए जाने की क्यों इजाजत दी जा रही है कि वह सब कुछ उसी की प्रार्थना पर हुआ। इसी सदर्भ में डा. गणपति चन्द्र गुप्त का वह बयान भी पाखण्ड फैलाने वाला ही माना जाना चाहिए कि दुग्ध पान की वह क्रिया भोलेनाथ के आगमन का पूर्व संकेत है। उन्होंने तो उस बालक की जन्म तिथि व माता-पिता का नाम तक घोषित कर दिया है। यह तो विचार अभिव्यक्ति के नाम पर स्वच्छंदतापूर्वक पाखण्डों को प्रचारित कर समाज को विकृत करना ही हुआ, तो फिर ऐसे पाखण्डियों को रोकने के स्थान पर बार-बार उनके पाँवों में अपना माथा लगाने, उनके काले कारनामों को छिपाने व उन्हें हर प्रकार के कानून व नियम से ऊपर मानने का क्या मतलब है? लोगों की धार्मिक भावनाओं को व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इस प्रकार काम में लेने देना लोकतांत्रिक मूल्य व कानूनी दायित्व से पलायन करना ही माना जाएगा।

सरकार व समाज दोनों को ही चुनौती के पर में इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि ऐसी अतर्कपूर्ण व आधारहीन बातों के तर्कपूर्ण व वैज्ञानिक विश्लेषणों को आम जनता के साथ ही सम्भ्रान्त कहे जाने वाली जमात के लोग भी स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री भाभडा व प्रशासनिक अधिकारी सिसोदिया जैसे लोगों द्वारा कुछ मिलने वालों की साइन में लगना तो इसी बात को प्रमाणित करता है कि यह सब नाटक अध विश्वास व अफवाह पर आधारित था तो इस सबको पहले ही दिन ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को प्रताडित व दण्डित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? दण्ड के हकदार

तो खुफिया सेवाओं में लगे अधिकारी भी है जो जिम्मा भी प्रकार का पूर्वानुमान नहीं लगा सके हैं। भविष्य में यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान जैसे ग़रु राष्ट्र की कोई संस्था या भारत में काम कर रहे उनके एजेंट देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए साम्प्रदायिक दंगों, विदेशों में हिन्दुओं की मामूहिक हत्या या किसी महत्त्वपूर्ण नेता की अप्राकृतिक मृत्यु की ऐसी ही अफवाह फैला कर अराजकता का माहौल बना दे। आम चुनाव जेमे-जेमे नजदीक आते जा रहे हैं अफवाहों, धर्मान्धता के जुनून व साम्प्रदायिक तनाव के महारे केन्द्र में सत्ता प्राप्ति के आकांक्षी यह सब कुछ कभी भी कर सकते हैं। एंमे में खुफिया तंत्र तो बहुत सजग रह कर उत्तरदायी बनना चाहिए।

तथ्यों से स्पष्ट है कि चुनावों में मत्ता लायक बहुमत प्राप्त करने के लिए पंथी ताकतें एक साथ मिल कर कई चमत्कार करवाने का प्रयास करेंगी, जिससे भोली-भाली जनता को किसी देवता के नाराज होने या प्रलय होने का भय बता कर एक दल या गुट विशेष को ही मत देने को प्रेरित या बाध्य कर सकें। ऐसा यदि हो जाता है तो भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे अधिक अफसोस व सरकार के लिए कलंकित बात दूसरी नहीं होगी। सरकार का तो यह संवैधानिक दायित्व है कि वह देश में अंधविश्वासों, कलंकित परम्पराओं व कठमुल्लापन को विकसित नहीं होने दे। इक्कीसवीं सदी की दहलीज पर खड़े भारत के निवासियों का पन्द्रहवीं सदी जैसा व्यवहार निश्चय ही शर्म की बात है। इससे अधिक शर्मनाक बात यह है कि कोई भी जिम्मेदार राजनेता केवल वोटों के लालच में इसका विरोध नहीं कर रहा है। राजनीति भारत को कहां ले जाएगी इसका उत्तर किसी के पास नहीं है।

राष्ट्रीय नेताओं के सम्मान के तरीके : कितने सम्मान के योग्य

जिसकी व्यक्ति का सम्मान दिया जाना हर दृष्टि से व्यक्तिनिष्ठ भाव है अर्थात् इसके लिए किसी का भी वाध्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे देश में राजनताओं की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक मनाने, मार्गदर्शक छुड़ी करने, राष्ट्रीय ध्वज में लफेट कर दाह सम्कार करने, जन्म व मृत्यु दिनों पर अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा आदमन्द मूर्तियाँ माल्यार्पण करने, वस्त्रियों, वाजारों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, परियोजनाओं आदि के नामकरण उनके नामों के आधार पर करने जैसी परम्पराएँ हैं। जैसी हमारे देश के शाब्दिक किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं हैं। आश्चर्य है कि पूरे राष्ट्र को एक साथ व अचानक निष्क्रिय ही नहीं बल्कि ऊर्महीन बनाने वाले सरकारी निर्णय दिवगत नेता को श्रद्धार्जलि कार्यक्रमों में सच्चा देशभक्त, ऊर्मगोल, राष्ट्रीय हितों का पोषक, राष्ट्र का निर्माता व जनतांत्रिक सिद्धान्तों का समर्थक महित पता नहीं क्या-क्या बताए जाने के साथ ही लिए जाते हैं। प्रश्न उठता है यह सब कुछ करना क्या वास्तव में ही दिवगत नेता का सम्मान है ? इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह है कि ऐसा करना क्या लोकतांत्रिक सिद्धान्तों, जनभावनाओं एवं सम्मान शब्द का ही अपमान और सामाजिक तथा राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा नहीं है ? अगर ऐसा है तो इसके दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं ?

सोच का मुद्दा यह है कि हमारे देश में हम कार्य करने या निठल्ला बैठे रहने की संस्कृति का प्रिकाम करना चाहते हैं ? हमारा इन्हीं मजदूर-कर्मचारी संगठनों या राजनैतिक दलों द्वारा हड़ताल करने का विरोध व नेता की मृत्यु पर

सरकार द्वारा प्रत्येक काम बंद करवा कर देश को करोड़ों रुपए का नुकसान बरवाने का आखिर आधार क्या है ? आराम हराम है नारे के प्रवर्तक पंडित नेहरू 'जय जवान जय किसान' के शास्त्री, कर्म ही धर्म की समर्थक इंदिरा गांधी, अनुशामन ही जीवन है के पक्षधर मोरारजी देसाई की आत्मा क्या उनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में बैंको, बीमा कम्पनियों, पोस्ट आफिस, अनुमधान केंद्रों सहित सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों को बंद कर लाखों व्यापारियों के सामने भुगतान की दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर के मामले पेट भरने की, उद्योगपति के सामने बिना उत्पादन किए ही लागत लगाने की व आम नागरिक के सामने ममय गुजारने की समस्या उत्पन्न कर प्रसन्न होगी ? उनके नामों के सामने नारों के जो विज्ञापण लगाए गए हैं उनमें यदि कोई सत्यता है तो उनकी आत्मा ऐसा करने से प्रसन्न हो ही नहीं सकती है। अगर प्रसन्न होती है तो उनके बारे में कही बातें गलत है। दोनों ही परिस्थितियों में यह सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है।

हमारे संविधान का मूलाधार व्यक्ति पूजा, एकाधिकार व विचार थोपने की प्रवृत्तियों का विरोध करना है, लेकिन नेता के नाम को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ सब कुछ इसके विपरीत किया जाता है। आज भारत का शायद ही कोई बड़ा शहर हो जहाँ का कोई न कोई बाजार, आवासीय वस्ती, विद्यालय, चिकित्सालय आदि गांधी, इंदिरा या नेहरू के नाम पर न हो। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा आवास, नेहरू रोजगार, जवाहर रोजगार आदि योजनाओं, हजारों चौराहों पर लगी इनकी मूर्तियों व परियोजनाओं पर लगे नाम पट्टों का आखिर मतलब क्या है ? पूर्व निर्धारित समय व लागत से कई गुना अधिक व्यय करने पर भी परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने व अरबों रुपयों की रोजगार योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर भी बेरोजगारों की संख्या के तेज गति से बढ़ते जाने से क्या इंदिरा व नेहरू का नाम बदनाम नहीं हो रहा है ? नेताओं की मूर्तियों पर सार्वजनिक रूप से सरकारी कार्यक्रम आयोजित करना व फूल चढ़वाना क्या उन्हें जबरदस्ती महिमा मंडित करवाना नहीं है ? ऐसे अवसरों पर उनके तथाकथित गुणों को आकाशवाणी, दूरदर्शन व करोड़ों रुपए के अखबारी विज्ञापनों के माध्यम से उजागर करना व सत्तालोलुपता, व्यक्तिगत उच्चाकांक्षा,

भ्रष्ट आचरण, परिहारवाद, चापलूसी व राजनैतिक अनैतिकता जैसे अवगुणों को जानबूझ कर छिपाना क्या सही कृत्य है ? निश्चय ही विल्कुल नहीं। सामान्यतया हर राजनेता के राजनैतिक जीवन में यह घुराइयाँ होती हैं तथा उसकी एक ही भूल या गलती उसकी प्रत्येक अच्छाई को धो देने के लिए पर्याप्त होती है। इसके लिए सम्पूर्ण राष्ट्र उसे क्षमा नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए ऋषीमौर में भारतीय फौज की तूफानी गति को रोक कर पीटत नेहरू द्वारा बुद्ध प्रियम व आत्म निर्णय की बात को स्वीकार करना, इंदिरा गांधी द्वारा लाकतत्र को क्लकित करने वाला आपातकाल लगाना, बी पी मिह द्वारा मडल आयोग के माध्यम से सम्पूर्ण देश को स्थायी जातीय द्वेष व दगो में डाल देना, नरसिंह राव द्वारा वावरी मस्जिद को तोड़ने देकर साम्प्रदायिक व धार्मिक उन्माद तथा टकराव को म्धायी बना देना किस गुनाह से कम है ? उनके एक ही निर्णय के कारण राष्ट्र को कितना आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक नुकसान उठाना पडा है, इसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकता है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा कर दफनाना, उसे आधा झुका देना और सेना से सलामी दिलवाना क्या उनका अपमान नहीं है ? राष्ट्रीय ध्वज ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें लिपटा कर देशद्रोह, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिक उन्माद विस्तार व सविधान के अपमान के आरोपियों को अंतिम विदाई दी जाए। इतिहास इस बात का गवाह है कि अधिकांश मामलों में ऐसा ही होता है।

एक विचारणीय विन्दु यह है कि प्रत्येक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्री को राष्ट्रीय सम्मान दिए जाने के लायक मानना क्यों अनिवार्य है तथा वैसे सम्मान उच्चतम दर्जे के साहित्यकार, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, प्रबंधक, लेखक व अर्थशास्त्री को क्यों नहीं दिया जाता है ? यदि सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, ध्वज का आधा झुकना व दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर मातर्मः धुन बजाना ही सम्मान देना है तो ऐसा गैर राजनैतिक व्यक्तियों को सामान्य मंत्रों से बहुत महान व उपयोगी होते हैं को उसी प्रकार क्यों नहीं मिलता है ? क्या देश के लिए इनकी उपयोगिता तुलनात्मक रूप में कम होती है ? निश्चय ही इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है - नहीं। फिर भी ऐसा होने का केवल कारण राजनीतिवाजों

द्वारा अपना ही विरादरी को सर्वोपरि बनाए रखने की एक सुनियोजित चाल है। यह स्थिति निश्चय ही हास्यास्पद है कि राजनीतिज्ञ जिस व्यक्ति के जीवनकाल में उसे भ्रष्ट, देशद्रोही व अक्रमण्य कहते रहते हैं, उसकी मृत्यु के बाद उसके स्मारक बनाने, विश्वविद्यालय का नामकरण करने, जन्म दिन पर छुट्टी रखने जैसी पुरजोर माँगें ही नहीं करते, बल्कि भारत रत्न घोषित किए जाने की माँग भी करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि राजनैतिक लाभ के लिए ऐसी माँगें मान भी ली जाती हैं। तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी रामचन्द्रन को प्रदान किया गया भारत रत्न इस बात का स्पष्ट उदाहरण है। उनके जीवनकाल में उन्हें लिट्टे में दोम्ती गखने वाला, हिन्दी विरोधी, कट्टर क्षेत्रीयतावादी बल्कि देशद्रोही तब घोषित किया गया, लेकिन केवल मात्र चुनावी गणित को अपने पक्ष में करने के लिए केन्द्र में मत्ताधारी दल ने उन्हें यित्कुल सामान्य किस्म का राजनेता होते हुए भी भारत रत्न से सम्मानित किया। कटु सत्य तो यह है कि इस घोषणा ने सभी पूर्व भारत रत्न उपाधिधारकों के सम्मान को कम ही किया है।

चिन्तन का विषय यह भी है कि स्वतंत्र प्रतियोगिता, भूमण्डलीकरण और असंरक्षित व्यापार के इस युग में क्या हम साल में केवल 102 कार्य दिवस रख कर जिनमें वास्तव में कितना काम होता है यह हम सब जानते हैं अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, तो फिर हर नेता की मृत्यु पर दो दिन वचांद करके सम्मान देने वाला तरीका आखिर कब तक चलता रह सकता है? बल्कि क्यों चलता रहना चाहिए? हमें करोड़ों रुपये प्रति वर्ष रखरखाव लागत वाली प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जैसे नेताओं की सैकड़ों एकाड़ जमान पर फैली समाधि व्यवस्था पर तथा राष्ट्र व समाज हित में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इस कारण से इस गरीब राष्ट्र की उधार पर चल रही अर्थव्यवस्था पर कितना भार पड़ रहा है इसको जान लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आए बिना नहीं रह सकता है। जी न्यूज सर्विस के एक कार्यक्रम में दिए आँकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में राजघाट के रखरखाव पर 91 करोड़, शक्ति स्थल पर 61 करोड़, राजीव गांधी की समाधि पर 27 करोड़ व सबसे कम 7 करोड़ रुपये किसान घाट पर खर्च हुए। पूरे देश में हजारों

की मर्यादा में देने ऐसे ही ममारको व चौराहों पर लगी मूर्तियों पर कितने क्रोट स्पष्ट खर्च होते हैं, यह निश्चय ही शोध का विषय है। दिल्ली में ही समाधि क्षेत्र की कितने अगव मयों की बहूमूल्य भूमि बेकार पड़ी हुई है, यह हर भारतीय के समाचार की बात है। एक समाचार के अनुसार तो ज़िमान घाट के लिए अगव भूमि उपलब्ध करवाने के लिए वहाँ पटने वाले धर्मल पावर स्टेशन को ही बंद किए जाने की योजना बन रही है। यह समाचार यदि सच सा भी सत्य है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इसमें अर्धशर्त गर्म की बात दृष्टिगो नहीं हो सकती है। जो नेता अपने जीवन काल में शूद्र राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष व लोककल्याण के लिए समर्पित रहे हैं उन्हें दण्डों घाट केवल राजनैतिक जागृकों से मनालोत्पन्न भ्रष्ट व स्वार्थी राजनीतिज्ञों द्वारा अलज्ज व सम्मानित घोषित किया जाए यह एक तरह में उनका अपमान है। सार्वजनिक रूप से अपमानित व्यक्ति द्वारा निर्माता सम्मान केसे किया जा सकता है? जनता द्वारा प्राप्त किए गए सम्मानित व्यक्तियों द्वारा ऐसे औपचारिक सम्मानों को बहुत बुरा समझना ही ठीक है। मृत व्यक्ति भी जीवित अवस्था में शान्द एसा ही करता ना मृत्यु के बाद 'सम्मानित' किए जाने को अपने स्वार्थ के लिए दृष्टिगो की मजबूती का लाभ उठाना ही माना जाएगा। ममद के कक्ष में नेताओं की आदमन्द तस्वीरों पर हर वर्ष फूलमालाएँ चढ़ाना व वहाँ पर उनका आदर्शों, नीतियों व कार्यक्रमों की ध्वजियाँ उड़ाना टोगलेपन के अन्तारा कुछ नहीं है। इनसे मृत आत्माएँ अपने को अपमानित ही महसूस करती हैं। यह तथ्य हर किसी का सम्मान करने धूमने नेताओं को समझ लेना चाहिए।

मोगर्जा देसाई की मृत्यु पर दो दिन के सार्वजनिक अवकाश के कारण जनता के हर क्षेत्र के व्यक्तियों ने परेशान होकर जैसी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उनमें भविष्य में ऐसे ही 'सम्मान' के भूखे नेता व्यवस्था में कुछ समागतिक पाठ्यक्रम करेग, ऐसी केवल अपेक्षा तो की जा सकती है, आशा नहीं।

पेजल की समस्या : हल केवल कड़े उपाय

“बनों में पाँच दिन के अन्दर म पानी”, “जन स्वाच्छ अभियंत्रिनी मत्रो ज घेराव”, “जलापूर्ति लाइन गट लाइन मे मिल्नी”, “हजारो की मटना में हैन्डपम्प खराब”, “अवनेरवानियो का बीमलनुर योजना ज पानी नेने मे इनकार”, “भूजल और नीचा गया”, “रामगढ मे जलापूर्ति पूरी नरह बंद” जैसे समाचारों मे अजवार गर्मी का मोमम प्रारम्भ होने मे पहले ही भरते प्रारम्भ हो गए थे । एक लोकांत्रिक देग की कल्याणकारी क्री जाने वाली मरजार के लिए इससे अधिक गर्म की वान दूमरी क्या हो मकती है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के करीब पचास वर्षों के बाद भी 85 प्रतिशत जनमरदा को गुड पेजल उपलब्ध नहीं है । राजस्थान तो इस दृष्टि से सर्वाधिक दुभाग्यशाली राज्यों की गिनती में आता है । जहाँ एक घडा पानी पाँच या अधिक स्पए में विजना अब समाचार बनने वाला तथ्य नहीं रहा है । शासन व प्रशासन की संवेदनहीनता का यह हाल है कि पेजल मे कीडो, गदगी, मल-मूत्र, मिट्टी व अन्य जीवानुओं की मिलाबट के समाचार भी उन्हें बेचैन नहीं करते हैं । हर बार वे आश्वासन देने के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं कर पाते है, जबकि इन मनम्या के निदान के लिए सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली मुद्रा प्रति वर्ष अममान्य गति से बढ़ती जा रही है । सरकार अधिक राशि आवंटन को अपनी सफलता व जनता के कल्याण के रूप में प्रदर्शिन करता है । इस वर्ष भी करीब सठे सात अरब स्पए की राशि पेजल योजनाओं पर खर्च करने के लिए निधानमभा द्वारा स्वीकृत की गई है, जबकि पानी के लिए विधायकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, संस्थाओं तथा स्वयं पीडित जनता द्वारा मचाई जाने वाली

हायतोवा भी उर्मा रफतार मे कढ रही है। केवल पीने के पानी के लिए बरवाद होने वाले मानव श्रम दिवसो, सामाजिक लागत, मानसिक बेदना व आपसी विवादो के साथ ही प्रदर्शनो, हडतालो, रास्ता रोको अभियानो आदि से होने वाले नुकसान का माट्रिक सदर्थ मे अनुमान लगाया जाए तो वह कई अरब रुपए प्रति वर्ष हो सकता है। प्रश्न उठता है इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पेयजल समस्या विकराल क्यों होती आ रही है ? क्या समाधान वास्तव में ही कम होते जा रह है ? क्या समस्या का कोई हल है ही नहीं ? इनमे से किसी भी प्रश्न का सीधा व स्पष्ट उत्तर तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इतना निश्चित है कि पेयजल योजनाओ का क्रियान्वयन, प्रवन्धन व मूल्यांकन सही नीति, पीडितोन्मुखी व राजनैतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व को आवश्यक बना दिया जाए तो हर एक के पानी के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए साथ ही दृढ राजनैतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक निष्पक्षता, कार्यकुशलता तथा समस्या के मानवीय पक्ष पर बल देने की आवश्यकता है।

किसी भी समस्या के निदान के लिए मॉग एव आपूर्ति में समन्वय बैठाना पहली शर्त है। पेयजल समस्या के सम्बन्ध में हम इसी वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें यह मान लेना चाहिए कि भूमिगत जल स्रोत भी असीमित मात्रा में नहीं है या इन्हे असीमित मात्रा में उपलब्ध करवाते रहना मानव के दस की नहीं है, अर्थात् बढ़ती हुई भागो के अनुरूप पूर्ति करने की सोच पूरी तरह अव्यावहारिक है, इमीलिए ऐसे प्रयत्नो की आवश्यकता है, जिनसे पानी के दुरुपयोग या जम्रत से ज्यादा उपयोग को रोका जा सके। हमारे स्वभाव व स्वार्थी दृष्टिकोण को देखते हुए केवल ऐसे उपदेश देने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए तो समाज व सरकार के दृष्टिकोण, कानूनों प्रावधानो व आपूर्ति व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अधिकांश बड़े शहरो में पेयजल समस्या का मूल कारण जलापूर्ति का कम होना नहीं बल्कि लॉन, कूलर, टब वाले स्नानघरो में स्नान, निर्माण कार्य, आपूर्ति लाइनों से रिसाव, फालतू बहाव आदि कारण है। इनके सार्थक समाधान के बिना कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन पानी के कम दबाव, अल्प अवधि पूर्ति, आपूर्ति शून्यता की समस्या का हल निकाला ही नहीं जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार जयपुर शहर में ही पेयजल का अधिक उपयोग

पाने के अलावा अन्य दूसरे कार्यों में होता है। यह सही है कि इन उद्देश्यों के लिए पानी के उपयोग को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन कम अवश्य किया जा सकता है। इसके लिए मकान के 15 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक का लॉन लगाने की कानूनी मनाई, कंक्रीट की जमीन पर मिट्टी डाल कर ही लॉन लगाने की वाध्यता, कूलर के लिए पेयजल के उपयोग को व्यापारिक श्रेणी में रखकर अधिक शुल्क की वसूली, जलापूर्ति शुल्क को क्रमागत वृद्धि दर व्यवस्था के अनुरूप बनाने, पेयजल आपूर्ति के समय बिना कारण खुला नल छोड़ने वालों के विरुद्ध प्रतिसंधात्मक कार्यवाही, चौबीस घंटे आपूर्ति व्यवस्था की समाप्ति जैसे कदम उठाना समय की जरूरत समझी जानी चाहिए, क्योंकि जब तक अति आवश्यक कार्यों के लिए भी एक ही शहर में लाखों लोग पानी के लिए तरसते रहें तो दूसरे कुछ हजार व्यक्तियों को इसके विलासितापूर्ण उपयोग का अधिकार देना गलत ही नहीं बल्कि अनैतिक भी है। लॉन की हरियाली से ज्यादा जरूरी गले की प्यास बुझाना है। कूलर की शीतलता उस समाज के लिए निष्ठुरता ही है जहाँ लाखों लोग मेहनत-मजदूरी के बाद पसीने के बंदू को हटाने के लिए दो लोटा पानी को तरसते रहते हैं। जिस वस्ती की झोपड़ी में आटा गूँथने के लिए दो गिलास पानी नहीं हो वहाँ ही आँगन चमकाने या कार धोने के लिए हजारों गैलन पानी बर्बाद करना सामाजिक अपराध ही है। एक ही व्यक्ति द्वारा सैकड़ों गैलन पानी से नहाना, एक सामान्य से परिवार द्वारा एक से अधिक नल कनेक्शन लेना, जलदाय विभाग को न्यूनतम शुल्क देकर पानी को सड़क पर बहने के लिए जान-बूझकर या लापरवाही से खुला छोड़ देना या स्वयं का नलकूप खुदवा कर पानी की बर्बादी करना अब व्यक्तिगत मामला नहीं माना जा सकता है, क्योंकि स्वार्थ या निकम्पेपन पर आधारित ये हरकतें पूरे समाज को परेशान व प्रदूषित करती हैं। इनको रोकने के लिए सामाजिक चेतना के साथ ही कानूनी प्रयत्न करने की भी आवश्यकता है। संवेदनहीन होते समाज में कानून का भय व प्रशासन का रुखा व्यवहार आवश्यक हो गया है।

अब बूस्टर लगाने वालों को समझाने जैसी दयनीयता दिखाने या जलापूर्ति के समय बिजली आपूर्ति बंद करने जैसी बंदर घुडकी दिखाने से काम चलने वाला नहीं है। ऐसा करना तो एक प्रकार से कानून तोड़ने व समाज फंटकों के सामने आत्मसमर्पण करना ही है। प्रशासन ऐसा क्यों नहीं कर

मरना है कि एक वाग की चेतावनी के बाद टुधारा ऐसी ही हस्त करने पर जनेकान ही फाट दिया जाए व टम गुगा शुल्क पर भी उमे टम टिन बाट ही जोटा जाए। तब ही "जिममे पाँच न फटी थिचार्द, वो क्या जाने पार पराई" कहावत को मही भावित किया जा सकता है। आश्चर्य है कि जिम जल को गट्याय सम्पनि माना जाता है उसकी बर्बादी को रोकना तो दूर की बात है, बल्कि प्रोत्साहित किया जाता है। निजी नल्लू पो पर नियंत्रण नहीं लगाने का आग्रह क्या मतलब है ? अब समय आ गया है कि सरकार ऐसे नल्लू पो पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दे। ऐसा करने का माहम वह नहीं जुटा पानी है तो भारी शुल्क का कानून तो बनाना ही जाना चाहिए, माथ ही शुल्क का निर्धारण काम में लिए गए पानी की मात्रा के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नल्लू पो का कारण भूमिगत उल का स्तर निरन्तर रूप में नीचा होता जा रहा है।

सरकार का वह भी मोचना पड़ेगा कि बड़ी लागत से माफ़ किए पानी का लॉन की सिचार्द, कूलर व निर्माण कार्य के लिए काम में लिए जाने की प्रिनामिता का क्या कर जार्ग रखा जा सकता है ? ऐसे कार्यों के लिए बिना माफ़ किए पानी या छोटे पानों की आपूर्ति अलग से क्यों नहीं की जा सकती है ? बड़े आयामों भवनों के लिए नहाने के काम आए पानी को संग्रहीत कर मल-मूत्र बरताने के लिए काम में लेने की व्यवस्था करने को आवश्यक बनाया जा सकता है। भविष्य में मरानों के नरगे ऐसी व्यवस्था होने पर ही स्याकृत किए जाने चाहिए। रूप में रूप जलपु जैमे बटे व पेयजल मरुट वाले गहरों में तो स्यामिग पूल बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, जिनमें कुछ ही व्यक्तियों के लिए हजारों की प्याम बुझा करने वाला पानी बर्बाद कर दिया जाता है। ऊर्ध्व तौर पर ऐसे सुझाव कुछ जड़े लग सकते हैं, लेकिन वह निश्चित है कि वर्तमान में ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में ओर भी कड़े कदम उठाना हमारा मजबूरी ही सकती है।

बढ़ती आवास समस्या : आखिर हल क्या ?

राजस्थान की शेखावत सरकार ने पिछले वर्षों में परिवहन, चिकित्सा व कला जैसे क्षेत्रों में भी नीति की घोषणाएँ की हैं, लेकिन पता नहीं जिस राज्य में जनसंख्या का अधिकांग भाग अपने घर की हसरत जीवनभर पूरी नहीं कर पाता हो और आवास जीवन की सबसे बड़ी समस्या हो वहाँ किसी नीति की बात जन संवेदनाओं को समझने वाले शासन प्रमुख के दिमाग में क्यों नहीं आती है। इस विकृत समस्या के हल के लिए मकान निर्माण, किराया कानून, कच्ची बस्तियाँ निवासियों के अन्यत्र पुनर्वास, गाँवों से पलायन व स्लम्प विस्तार पर रोक जैसे विषयों पर एक साथ व्यावहारिक दृष्टि से सोचने की जरूरत है। राज्य में विरोध रूप से जयपुर जैसे बड़े शहरों में जनसंख्या जितनी तेज गति से बढ़ रही है आवास समस्या भी उतनी ही विकराल होती जा रही है, जिसका समाधान सरकार, सहकारी समितियाँ व समाज मिलजुल कर ही कर सकते हैं।

वर्तमान में राजस्थान आवासन मंडल इस कार्य में लगी सबसे बड़ी संस्था है, जिसने अपनी वर्ष 1970 में स्थापना से लेकर जुबली वर्ष 1995 तक 1,37,466 मकानों के निर्माण का कार्य हाथ में लेकर 43 शहरों व कस्बों की 52 वस्तियों में 1,29,914 मकान बनाए व 1,07,829 मकान आवंटित किए हैं, जबकि दूसरी ओर स्थिति यह है कि सहकारी समितियों ने पिछले वर्षों में कितने भूखण्ड बेचे हैं, इसका हिसाब लगाया जाना ही मुश्किल है, फिर भी मकान पिपासुओं की भूख व रात को छत के नीचे सोने की जगह ढूँढ़ने वालों की संख्या प्रति वर्ष लाखों में बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक प्रश्न यह उठता ही है कि आखिर ऐसा विरोधाभास क्यों ? उत्तर स्पष्ट है सरकार की

मोच व योजनाएँ व्यवहारवादी नहीं है।

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्बन्ध में ही निर्धारित अग्रधि में आवंटन के प्रभाव मूल्य में तेजी से वृद्धि, निर्माण की घटिया किस्म, आकार में निरन्तर रूप से होती कमी, वास्तवों में चिकित्सालय, विद्यालय, खेल के मैदान जैसी आवश्यक मुविधाओं का अभाव, हिसाब की अनुपलब्धि आदि जैसी गिरावटें मकान का पर्यायन करवाने व उन्हें प्राप्त करने वालों की ओर से आती रहती है, जिनका समाधान कमी भी रूप में होता नजर नहीं आता है। पिछले दिनों भारतीय प्रगामनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राम मोहन की अध्यक्षता में मण्डल के कार्यों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए प्रगामनिक सुधार समिति का गठन किया जाना और उसके पूर्व विधाओं की समिति इमां उद्देश्य हेतु बनाना निश्चय ही सकारात्मक कदम है, लेकिन वास्तविक सुधार व कल्याणकारी परिणाम तो ऐसे सुझावों को व्यावहारिक रूप देने में ही आ सकते हैं। किस्त भुगतान व्यवस्था लागू करना आवश्यक ही नहीं बल्कि मंडल स्थापना का मूल उद्देश्य है। जिस गरीबों की सहायता के लिए आवासन मंडल की स्थापना की गई थी वह तो वर्तमान में किराया क्रय पद्धति के आधार पर भी मकान प्राप्ति की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मकान का कब्जा लेने से पूर्व उसे करीब पचास प्रतिशत राशि का भुगतान करना पड़ता है, जो किसी हालत में बीस प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती है। मंडल की व्यवस्था में ऐसे कुछ परिवर्तन किए जाने अब अति आवश्यक हो गए हैं, जिससे निर्माण लागत को न्यूनतम किया जा सके। इसके लिए पूर्व निर्धारित अग्रधि में ही निर्माण कार्य को पूर्ण करने, ऐसा नहीं होने पर सम्बन्धित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराने, आवास विकास सस्थान की अनावश्यक भूमिका को समाप्त करने, केवल मजदूरी को ठेके पर देने, आधुनिक तकनीक व श्रेष्ठ स्थापनापन्न निर्माण सामग्रियों का उपयोग करने व रखरखाव लागत को न्यून करने की आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार आवास विकास सस्थान की मध्यस्थता के कारण निर्माण लागत में 15 प्रतिशत की वृद्धि बिना बजह हो जाती है। भूमि जो कि आमतौर पर मंडल द्वारा कोडी के भाव अत्राप की जाती है, आवेदनकर्ता को हजारों रुपए वर्गज के बाजार भाव देना तर्क

पूर्ण तो ठहराया जा सकता है, लेकिन उचित नहीं, क्योंकि मंडल कोई व्यावसायिक संस्था नहीं है।

मंडल व्यवस्था में प्रशासनिक परिवर्तन करके भी छर्चों में बहुत कमी की जा सकती है। इसके लिए उच्च पदों में कमी, कर्मचारियों के एक-दूसरे गृह में बड़े पैमाने पर तबादले, प्रत्येक कर्मचारी के लिए न्यूनतम कार्य का निर्धारण व कार्य समय में उपस्थिति की अनिवार्यता, एक छठीय प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मचारियों की एक ही यूनियन को मान्यता, कर्मचारियों के लिए सजीव प्रोत्साहन नीति का प्रिबान्धन, कम्प्यूटर व्यवस्था जैसे म्दम उठाये जाने अपरिहार्य हो गये हैं। आवटन के तुरन्त बाद से म्मान के मालिक बने व्यक्ति को दीवारों के गिरते प्लास्टर, नलों की फिटिंग से रिसते पानी, धँसते आँगन, छत के कभी भी टूटने वाली पट्टी, निम्न स्तरीय व कमजोर विजली फिटिंग के कारण रोज-रोज की असुविधा, बरसात में टपकते पानी की समस्याओं को देखते हुए कुछ निर्धारित समय के लिए गारन्टी दिए जाने की कानूनी व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। कॉलोनी में सभी नागरिक व आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवा दिए जाने की भी कुछ अधिकतम सीमा के लिए कानूनी बंधन से इनकार नहीं किया जा सकता है।

राज्य में कच्ची वस्तियों व स्लम्स में रहने वालों की संख्या करोड़ों में है जहाँ अधिकांश लोग रहते हैं, जहाँ पीने के पानी, शौच व मूत्र त्याग, रोगनी व सोने तक की न्यूनतम सुविधाएँ भी नहीं हैं। यह सही है कि राजनैतिक ही नहीं बल्कि मानवीय कारणों से भी कच्ची वस्ती व स्लम्प हटाओ कार्यक्रम को संवेदनहीन तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी स्थान का सौन्दर्यकरण मानव के अस्तित्व व अस्मिता की रक्षा से बढ़कर नहीं हो सकता है। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों के लिए अति अल्प मूल्य पर भूमि निर्माण के लिए नाममात्र की व्याज दर पर राशि व अधिकतम सम्भव अनुदान उपलब्ध करवाने की जरूरत है। चाहे इसके लिए पैसा सरकारी खजाने, केन्द्रीय सरकार या विश्व बैंक कहीं से भी प्राप्त करना पड़े। ऐसे शहरों के सौन्दर्यकरण, सड़कों के बेवजह डामरीकरण, चौराहों के विस्तारीकरण, संगीत फव्वारों, अप्पू पारों, पाँच सितारा होटलों के निर्माण को सराहा नहीं जा सकता है।

सरकार का दायित्व तो सर्वाधिक गरीब, पिछड़े व पीड़ितों के लिए ही सबसे पहले व अधिक बनता है। उनका गरीब होना दुर्भाग्य तो हो सकता है, लेकिन गुनाह नहीं। उनकी इस स्थिति के लिए सरकार, समाज व व्यवस्था भी तो एक सीमा तक जिम्मेदार है, ता फिर इस दायित्व से क्या कहर बचा जा सकता है?

अत्यधिक जनसङ्ख्या जिसे आर्थिक विकास का मापदण्ड माना जाता है भा आवास समस्या के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार है, जिसका हल ग्रामीण क्षेत्र में जाता-जात, मटेगवाहन, मनारजन, चिकित्सा, शिक्षा जैसी सेवाओं का मूल्य व मुल्ब रूप में उपलब्ध करवाने, कृषि उद्योग व व्यापार की सम्भावनाएँ बढ़ाने, सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालयों को हस्तान्तरित करने व ऋण-विकास की गतिविधियों का विस्तार करने में ही हो सकता है। नहीं तो “जैसे-जैसे देश की मर्ज बढ़ता ही गया” की कहावत ही चरितार्थ होनी है। यह विगधाभाम निश्चय ही दुखदायी है कि राजस्थान के अधिकांश कस्बों में होटलनुमा हवेलियों विद्यमान पटी है व अधिकांश बड़े शहर जनमट्टा के दबाव के कारण बर्बाद हो रहे हैं। इतना ही नहीं प्रत्येक शिक्षित, राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी, व्यापारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी हर हालत में शहरों में ही निवास करना चाह रहा है। हर एक को जीवन का आनन्द तो शहर में ही लगता है। कर्मचारियों की अप-टाउन की बीमारी जो सरकार की टिलाई के कारण भयानक रूप से बढ़ रही है, ने भी आवास समस्या को विकराल बनाने में बहुत योगदान दिया है। इन सब पर काबू पाने बिना आवास समस्या के हल के बारे में सोचा नहीं जा सकता है।

किराया नियंत्रण कानून जो कि किरायेदार के पक्ष में बहुत दुका हुआ है का ही परिणाम है क्योंकि शहरों में भी लोग मजान खाली होने पर भी किराये पर उठाने से परहेज करने लगे है, वयोकि पगड़ी लिए बिना बहुत ही कम किरायेदार मजान खाली करते है व वह पगड़ी अधिकांश मामलों में कुल चुकाये किराये से भी अधिक होती है। आवास समस्या के हल के लिए समय का तजाजा यही है कि किराया नियंत्रण कानून में आवश्यक संशोधन कर इसे व्यावहारिक बनाया जाए। इसके लिए प्रति वर्ष स्वतः किराया वृद्धि के न्यूनतम

प्रतिशत का कानूनी निर्धारण, निर्धारित समयावधि में मकान मालिक की जरूरत पर खाली करवाने के अधिकार, मकान मालिक की सेवानिवृत्ति पर चाहने पर खाली करने की अनिवार्य व्यवस्था, मकान मालिक व किरायेदार के झगडों को उपभोक्ता न्यायालयों की ही तरह समबद्ध रूप में निवटाने, मृत्यु के मकान की स्थिति में किराये के मकान को मृत्यु खाली करने की अनिवार्यता, आवास योग्य मकान के व्यापारिक उपयोग पर पूर्ण निषेध जैसे प्रावधान करना जरूरी हो गया है।

निष्कर्ष यही है कि आवास समस्या के व्यावहारिक हल के लिए सरकार द्वारा नीति की घोषणा करना जरूरी हो गया है, जिसमें मकानों के तेजी से निर्माण के साथ ही उपलब्ध मकान किसी भी हालत में खाली नहीं रह सकें।

□□□

अनियमितताओं का विस्तार : कितना दोषी सरकारी व्यवहार

भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, मिलापट, धर्मान्धता, क्षेत्रीयता, तम्करी करचोरी में लेकर आतङ्कवाद, पृथक्तावाद व गणफियावाद की बुराइयों टिन-प्रतिदिन बहुत तेज गति में बढ़ती जा रही है, जहाँक हर समाज सुधारक स्वच्छिन्न सगठन, राजनतिक दल व सरकार द्वारा इसके विरुद्ध दिये जाने वाले ब्यतव्या, घोषित कार्यक्रमों व बनाए जाने वाले कानूनों की गति भी उससे अधिक अनुपात में बढ़ी है, यत्कि विगत में कई सरकारें इसी मुद्दे को लेकर बनीं व विगड़ीं हैं व राजनीतिवाजों ने शिष्टर से लेकर धरातल तक को छुआ है। बी पी सिंह इसी मुद्दे के सहारे सत्ता के शीर्ष तक पहुँचे, राजीव गांधी ने दलालों की समाप्ति के नारे को देकर बाह-बाही लूटी व लाइसेन्स राज की समाप्ति की घोषणा कर पी बी नरसिंह राव भी ऐसी प्रसिद्धि पाने में सफल हुए। प्रश्न उठता है इस सबके बावजूद भी यह सब बुराइयाँ हमारे जीवन का अंग व रोजमर्रा की विषय वस्तु बन क्यों गईं ? इसके लिए आम जनता में गिरते गिरते मूल्यों, धार्मिक आस्थाओं तथा धन, वैभवं, भोग विलास व भौतिकवादी सोच को भले ही दोषी ठहराया जाए, लेकिन सबसे बड़ा कारण राजनीतिवाज व सरकार ही है। यह निष्पक्ष व विस्तृत विश्लेषण के बाद सही सिद्ध होता है।

शेषन साहव को चाहे कितना ही सनकी, हठी व प्रचार का भूखा बतयाया जाए लेकिन उनका यह कथन सत्य के बहुत ही करीब है कि चुनावों में धन व भुजबल का अत्यधिक दुरुपयोग ही ऐसी अनेक बुराइयों की जड़ है।

दोषपूर्ण कानूनों के कारण ही हत्या, बलात्कार, डकैती, तस्करी ही नहीं वनिक देशद्रोह, सरकार विरोधी षड्यंत्र, जामूसी, सामूहिक नरसंहार, साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने के अपराधी भी चुनाव लड़कर विजयी ही नहीं हो जाते, वनिक मंत्री पद पाकर सार्वजनिक सम्मान, कड़ी सुरक्षा व सरकारी खजाने को लूटने के अधिकारी बन जाते हैं। जिन व्यक्तियों को बीच चोराहे पर फामी की सजा मिलनी चाहिए उनको कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इतना ही नहीं जिन व्यक्तियों के कारण कानून मजबूर, शासन व्यवस्था क्लंिकित, सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त व अर्थ व्यवस्था चौपट हो जाए उन्ही की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पडती है। तब ऐसे अपराधियों, समाज कंटकों व षड्यंत्रकारियों को वाना बदलते ही उद्घाटन करने, उपदेश देने, लालवत्ती वाली गाडी में चलने, मशीनगन धारी कमाण्डो रखने का अधिकार मिल जाए तो कौन अपराधी बडा अपराधी नहीं बनना चाहेगा। यह शायद भारत देश महान ही है, जहां महा अपराधियों को महिमा मंडित किया जाता है। तब ही तो पंजाब व कश्मीर के लबखी जिनके सर पर लाखों रुपयों का ईनाम घोषित हो, आतंकवादियों, देश के कानून व संविधान को नहीं मानने वाले पृथकतावादियों, हिंसा व तांडव नृत्य करने वाले डकैतों व कुख्यात तस्करों को समारोहों में माफी दी जाती है तथा जीवन की सुरक्षा व आजीविका की व्यवस्था की जाती है। सरकार की ऐसी रीति-नीति के कारण ही चारों ओर अपराध बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं कुख्यात अपराधी समर्पण कर अपनी सुरक्षा नहीं कर पाने का उलाहना सरकार को देने का अधिकार पा जाते हैं। चोरों द्वारा कोतवाल की ऐसी दुर्दशा तो शायद संसार के किसी भी देश में नहीं होती है।

यह तथ्य किसी से छिपा हुआ नहीं है कि देश में जितने भी भूमि, शराब, नशीले पदार्थ, देह व्यापार व तस्करी के गिरोहों का अस्तित्व है उनको संरक्षण राजनीतिबाजों, पुलिस अधिकारियों व सत्ताधारियों का ही है। वास्तव में लोहेवाला, मांखेवाला, हर्षद मेहता या दाऊद तो उनके मोहरे हैं। यदि हम इस जयपुर का ही उदाहरण दें तो क्या यह तथ्य किसी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी तथा राजनीतिबाजों से छिपा हुआ है कि यहाँ पिछले पन्द्रह-बीस

वर्षों से समाजकटको, लड़ैतो व प्रभावशाली व्यक्तियों की मिल्तीभगत से मरकारी भूमि हडपने, मजान-दुकान छाली करवाने, जमीन कम मूल्य पर बेचने को मजबूर करने, गैर कानूनी रूप से व्यापारिक परिसर बनाने का धधा फलता-फूलता रहा है। सैकड़ो सडक छाप व्यक्ति बकायक करोडपति बन बैठे है। वास्तविकता तो यह है कि भूमाफियों व राजनीतिवाजों तथा पुलिस अधिकारियों का तो चोली-दामन का साध है। नहीं तो महाराष्ट्र का एक मामान्य अधिकारी भावी प्रधानमंत्री की नाक में दम नहीं कर सकता था। एक प्रश्न यह उठाया जा सकता है कि हर अपराधी के पापों का घडा लवालव भर जाने के बाद ही उमका पता बयो चलता है। कारण विन्कुल स्पष्ट है, सरक्षित अपराधी जब सरक्षणकर्ता को हाँ आँखे दिखाने लगता है या अपराध बिग्व के नियमों का भी पालन करना बंद कर देता है तो बाध्य होकर सरक्षणकर्ता राजनीतिवाजों या अधिकारी को उसे औकात दिखाने के लिए कुछ समय के लिए ऐसी कठोर कार्रवाई करनी पडती है। जयपुर में भूमाफिया कहे जाने वाले लोहेवाले के साथ भी ऐसा ही हो चुका है।

भारत में आतकवाद व पृथकतावाद के रूप में जो भयकर समस्या उभरी है उसके अंत के लिए हम चाहे कितने ही प्रशासनिक व सैनिक उपाय अपनाएँ लेकिन उनके लिए वास्तविक दोषी राजनीति की गदगी ही है। ससार का स्वर्ग कहे जाने वाले क्षेत्र के नागरिकों के नारकीय जीवन, अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी व अशिक्षा के लिए दोषी कौन है ? पजाब में भिण्डरावाले को हवा किसने दी ? कश्मीर में जनता से पूरी तरह कटे रहने वाले नेताओं को अनावगक महत्व कौन दे रहा है ? इन प्रान्तों में जिनके विरुड देशद्रोह, बलवा व सैकड़ो हत्याओं के मुकदमें स्वयं सरकार ने चलाए व न्यायालयों ने सजा सुनाई उन्हें राजनैतिक निर्णयों के आधार पर छोड देना अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा देना ही तो है। उनसे कोई पूछे कि क्या तुच्छ राजनैतिक हित राष्ट्र हित से भी बडा हो गया। सरकार के ऐसे स्वार्थी व भीरू निर्णयों से अपराधियों के हाँसले वुलन्द ही होते हैं। कुख्यात डकैतों को राजनैतिक लाभ के लिए आत्मसमर्पण करवाना, उनकी सुरक्षा का दायित्व लेना, उन्हें खेती योग्य जमीन दिलवाना, चल रहे मुकदमों को उठा लेना, सामाजिक सुधार का नहीं बल्कि

समर्पण का प्रभाव है। इससे सरकार की सकारात्मकता का नही बल्कि निष्क्रमेण का ही पता चलता है, जिससे अपराधी सुधरते नहीं है बल्कि उनकी सख्या बढ़ती ही है।

सरकार काली कमाई वालो के लिए समय-समय पर स्वैच्छिक घोषणाएँ घोषित कर, विगिष्ट अवसरों पर कैदियों को रिहा कर, आतङ्कादियों के लिए आत्मसमर्पण समारोह आयोजित कर, विना मुनगाई के बर्यो आरोपियों को बंद रख, साम्प्रदायिक टगो मे पुलिस मुठभेड मे मरे व्यक्तियों के परिवारों के लिए मुआवजा घोषित कर, कुख्यात बंदियों को विना शर्त सामूहिक रूप से रिहा कर, अतिव्रमणकारियों व अवैध रूप से गृह निर्माण करने वालो के नियमितकरण के लिए शिविर लगाकर, कच्ची बस्तियों मे पानी व बिजली के कनेक्शन देने हेतु समारोह आयोजित कर, पिछला गृह या सम्पत्ति कर चुकाने के लिए कर में छूट दिए जाने की घोषणाएँ कर अनियमितताओ को प्रोत्साहित नहीं तो क्या करती है ? अनियमितता करने वालों को लताडने के स्थान पर पुचकारना, महिमा मंडित करना तथा राजनैतिक संरक्षण देना ऐसी प्रवृत्तियों के विस्तार में सहयोग देना ही है।

सरकार प्रत्यक्षत भी भ्रष्टाचार विस्तार मे सहयोग करती है। टेलीफोन सलाहकार समितियों में अशिक्षित व टेलीफोन का उपयोग तक नहीं जानने वालों को सदस्य बनाना, अधिकांशत राजनीति में लिप्त व्यक्तियों को ही आकाशवाणी, दूरदर्शन सलाहकार समितियों में रखना व गैस कनेक्शन बडी मात्रा में आवंटित करना एवं विक्रय की स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं करना भ्रष्ट गतिविधियों को बढ़ावा देना नहीं तो और क्या है ? वोफोर्स, प्रतिभूति, चीनी जैसे जग-जाहिर घोटालों को जाँच समितियों के हवाले कर, प्रधानमंत्रियों तक के हत्यारों को मुकदमेबाजी के बहाने लम्बे समय तक जिन्दा रखना, उनको शहीद व कौम के हीरो के रूप में प्रतिष्ठित करने वालों को सहन करना व अति विशिष्ट व्यक्तियों जैसा व्यवहार करना अन्य लोगों को ऐसे ही कार्यों के लिए उत्साहित करना जैसा ही है। राजनैतिक दलों में घुसपैठ कर चुके गुंडों, समाजकंटकों व आदतन अपराधियों को बात-बात पर हड़ताल, बंद, धरनों व घेराव के नाम पर आम जनता को परेशान करने की छूट देना कानून

का मजाक उटाना ही है।

निष्कर्ष यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था के बहाने जब तक स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छता, दलों के नाम पर गिरोहों, समाज सुधारकों के नाम पर ममाजकटकों, जन सेवकों के नाम पर जान लेबकों, न्याय के नाम पर अन्याय को व सबसे महत्वपूर्ण राजनेताओं के नाम पर राजनीतिवाजों को सहन किया जाता रहेगा तब तक निर्मा भी मुधार की आशा नहीं की जा सकती है।

□□□

आरक्षण : क्यों है समस्या, क्या है हल

प्रजातांत्रिक सरकार का अतिम लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण होता है या कहा जाए - होना चाहिए। यह तब ही सम्भव है जब जनकल्याण योजनाओं में पिछड़ों, पीड़ितों व गरीबों को प्राथमिकता दी जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर सविधान निर्माताओं ने दस वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसे भारतीय संसद में प्रायः सर्वसम्मति से दस-दस वर्षों के लिए नियमित रूप से बढ़ाया जाता रहा है। आरक्षण को मूल रूप में समाज में व्याप्त असामान्य सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व आर्थिक असमानता को न्यूनतम करने के लक्ष्य के साधन के रूप में अपनाया गया था। वही कारण है कि हजारों वर्षों से शोषण, उत्पीड़न व अमानवीय व्यवहार करने वाली जातियों में इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं हो सकी, लेकिन जबसे इसे विशेषतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक जैसे दक्षिणी सामान्यतः अधिकांश राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार ने राजनैतिक हथियार के रूप में काम में लेना शुरू किया है, जन सामान्य में विरोधी प्रतिक्रियाएँ हिंसात्मक तक होने लगी हैं। एक तरफ ये ताकते हैं जो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर समाज में भयानक विग्रह व अपनी राजनैतिक ताकत बढ़ाने के कुप्रयासों में लगी हैं व दूसरी ओर ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है जो प्रत्येक प्रकार के आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। ये दोनों ही विचार अतिवादी हैं। प्रश्न उठता है तो क्या समाज को इसी प्रकार विखरते व विगड़ते हुए तथा देश के भविष्य को काला होने देना हमारी मजबूरी बन गई है? नहीं, लम्बे समय तक ऐसा नहीं हो सकता है। प्रकृति के नियमानुसार भी प्रत्येक विनाश के बाद

सृजन का होना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण को प्रतिबन्धित करने के ऐतिहासिक व तर्कपूर्ण निर्णय के बाद भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विहार व उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सरकारें इस सीमा को तोड़ने पर आमादा है। उससे लगता यही है कि पूर्ण विनाश की स्थिति अभी आना बाकी है।

सैद्धान्तिक व प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से तो इस तर्क का समर्थन किया जा सकता है कि जिन जातियों व वर्गों को पिछले हजारों सालों में जितना व जिस प्रकार अपमानित, उपेक्षित व पीड़ित किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए तो वर्तमान नीति को सैकड़ों सालों तक जरा ही नहीं बल्कि बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा करने का उद्देश्य केवल केन्द्र की कांग्रेस सरकार के सामने 'इधर पड़ो तो कुआँ, उधर पड़ो तो खाई' की सुनियोजित चाल के अन्तर्गत दुविधापूर्ण स्थिति पैदा करना ही है। शर्मनाक स्थिति तो यह है कि कांग्रेस भी समाज पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों की चिन्ता किए बिना केवल वोट के लिए समर्पण करती प्रतीत हो रही है। आश्चर्य है काशीराम तो पिछड़ों के उग्रवाद को हवा देने के लिए 85 प्रतिशत तक आरक्षण किए जाने की असम्भव माँग रख रहे हैं। मुलायम सिंह तो इनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए उत्तराखण्ड में दो प्रतिशत व्यक्तियों के लिए बीस प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिए जाने की बात पर अड़े हुए हैं। उन्हें अपने राजनैतिक लाभ के लालच में तर्क, अनुग्रह, सत्याग्रह व हिंसा किसी की भी भाषा समझ में नहीं आ रही है।

प्रश्न उठता है कि आरक्षण की इतनी बढ़-चढ़ कर माँग करने वाले क्या वास्तव में ही सामाजिक न्याय व समानता के लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं? बिना किसी लाग-लपेट के इसका उत्तर है - नहीं। ऐसा करके वे आरक्षित वर्ग में एक छोटे से उच्च वर्ग को ही लाभ पहुँचाना चाहते हैं, तभी तो वे आरक्षण की गंगा में बहुत अधिक नहा चुके व्यक्तियों के लिए ही लड़ रहे हैं। वे इस तर्क को जानबूझ कर स्वीकार नहीं करते हैं कि क्रीमीलेयर वालों को इसका लाभ मिलना बंद हो जाए, जिससे बाकी बचे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें व पदोन्नति में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। उनका तर्क देखिये कि जिस पिता की पाँचों सतान भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो उसके

पोतों को भी यह लाभ मिलता रहे अर्थात् सर्वाधिक पिछड़ों को लाभ से वंचित कर दिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का कुतर्क देखिये - वे कहते हैं, "अभी तो दूध ही पूरा नहीं मिला है तो क्रीम की बात कहाँ से आ गई तथा भारतीय संविधान में ऐसे वर्ग की कोई व्याख्या नहीं है।" आरक्षण के समर्थक तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत प्रावधानों वाला संशोधन कर उसे नवें अनुच्छेद में डलवाना चाहते हैं, जिससे उसे न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से ही दूर रखा जा सके। यह तो संविधान के मूल ढाँचे के साथ छेड़छाड़ करना व उसकी आत्मा को आहत करना होगा। लगता है सत्तालोलुप राजनीतिवाज यह भी करके रहेंगे। उन्हें इन्तजार केवल उपयुक्त समय का ही है।

आरक्षण के मुद्दे पर बार-बार होने वाली हड़तालों, बंद व विवाद को तर्कपूर्ण बना कर ही कम किया जा सकता है। सर्वप्रथम तो सीताराम केसरी के निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने के विचार को तुरन्त दफनाने की आवश्यकता है, जिससे सात अगस्त, 1990 को मंडल कमीशन को लागू करने की घोषणा के बाद जैसी स्थिति पुनः उत्पन्न न हो। वैसे तो केसरी की यह घोषणा भी राजनीति से ही प्रेरित थी, जो उन्हीं की सरकार की उदारोकरण की नीति के विल्कुल विपरीत थी। उन्हें वास्तव में संविधान में ऐसे परिवर्तन करवाने की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति की पारिवारिक आर्थिक स्थिति को आरक्षण का लाभ देने व न देने का आधार बनाया जा सके अर्थात् गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था हो सके व एक निर्धारित आर्थिक स्तर के बाद व्यक्तियों को इस लाभ से स्वतः वंचित किया जा सके। करना तो वास्तव में यह भी चाहिए कि जिस पीढ़ी के व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल गया है उसकी संतान को ऐसे लाभ से वंचित कर अधिक पिछड़ों व पीड़ितों के लिए अधिक अवसरों की व्यवस्था की जाए, जिससे उनमें ही वर्ग संपर्ष का खतरा पैदा नहीं हो सके। आरक्षण के उन्मादियों को यह भी समझना चाहिए कि गरीबी से बड़ी सजा दूसरी नहीं होती है। पेट में भूख का अहसास तो उच्च वर्ग के गरीब को भी उतना ही होता है, तो फिर गरीबतम व्यक्तियों के लिए 10-15 प्रतिशत आरक्षण का विरोध

नूतन मानवीय सोच क्यो नही मानी जानी चाहिए । ऐसा करना वर्तमान विधानिक प्रावधानो के अनुसार सम्भव नहीं है तो उसमें परिवर्तन क्यो नही किया जा सकता है ? कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि आरक्षण के मुद्दे को नमस्वा बनने से तब ही रोका जा सकता है जब केवल वोटो के लिए इसका हस्तेमाल नहीं किया जाकर सम्पूर्ण प्रश्न पर तटस्थ भाव से सोच कर निर्णय लिए व उसे शक्ति के साथ लागू किया जाए, लेकिन ऐसी आशा केवल अपने लिए राजनीति करने वालो से कैसे की जा सकती है ।

□□□